₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

जुलाई 2023

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.-BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PP-35

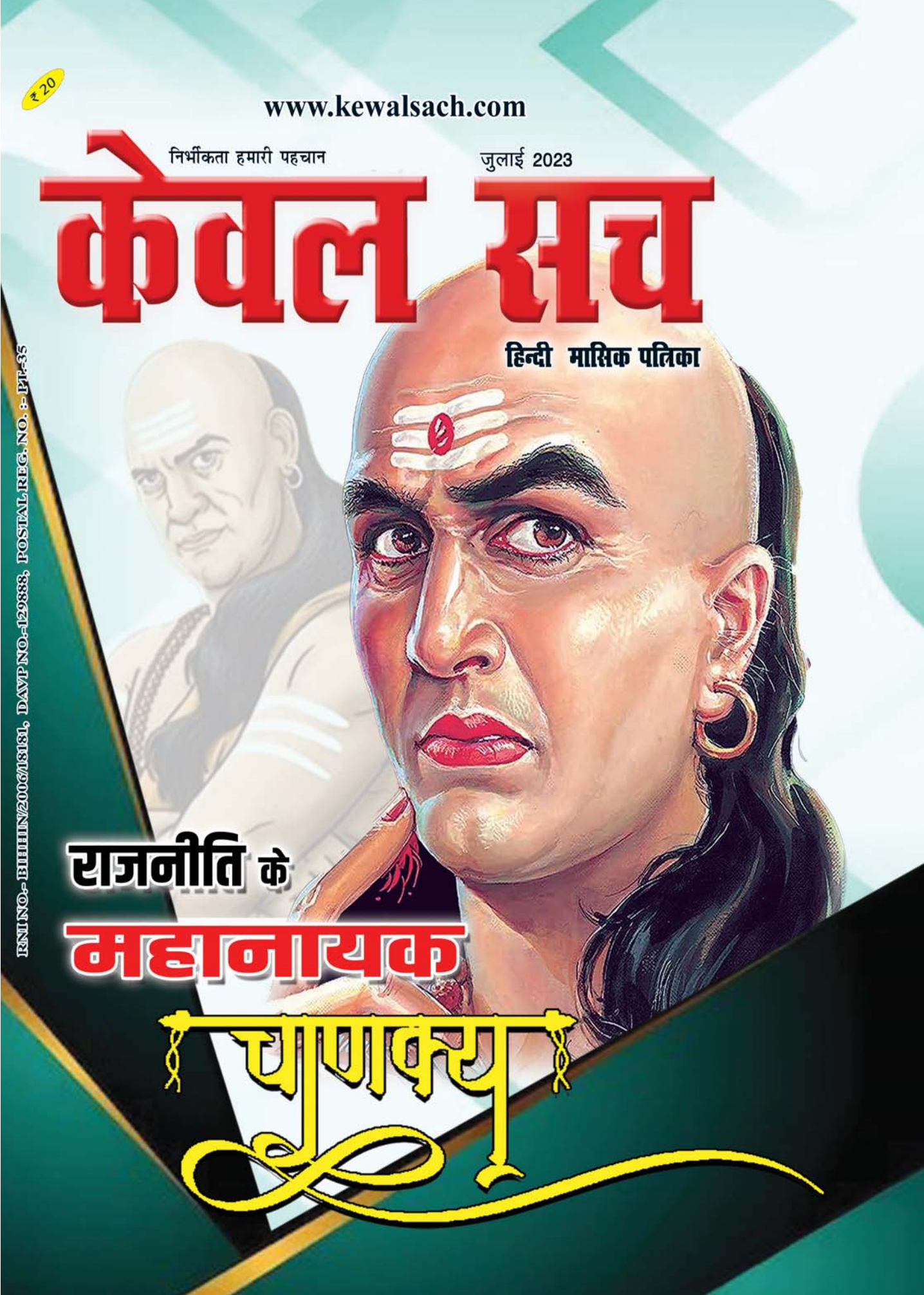

राजनीति के महानायक

चाणक्य

HIMALAYA GROUP OF INSTITUTION'S, PATNA

Affiliated by:- Aryabhatta Knowledge University, Patliputra University
Approved By:- Bar Council of India, P.C.I., AICTE, Indian Nursing Counsil, (NCISM) Ministry of AYUSH, Gov. of India

Courses Offered

Medical Course
B.A.M.S.

Law Course
LL.B | B.A.LL.B
B.B.A. LL.B

Professsional Course
M.B.A. | M.C.A.
B.B.A. | B.C.A.
B.M.C.| B.Com(P)

Pharmacy Course
B.Pharm | D.Pharm

Education Course
B.Ed. | D.El.Ed.
M.A. (Education)

Nursing Course
ANM | GNM
B.Sc. Nursing
P.B.B.Sc. Nursing
M.Sc. Nursing

ITI Course
Electrician | Fitter
Electronics | Mech. Disels

Paramedical Course
Diploma | Degree
Master Degree

ADMISSION OPEN

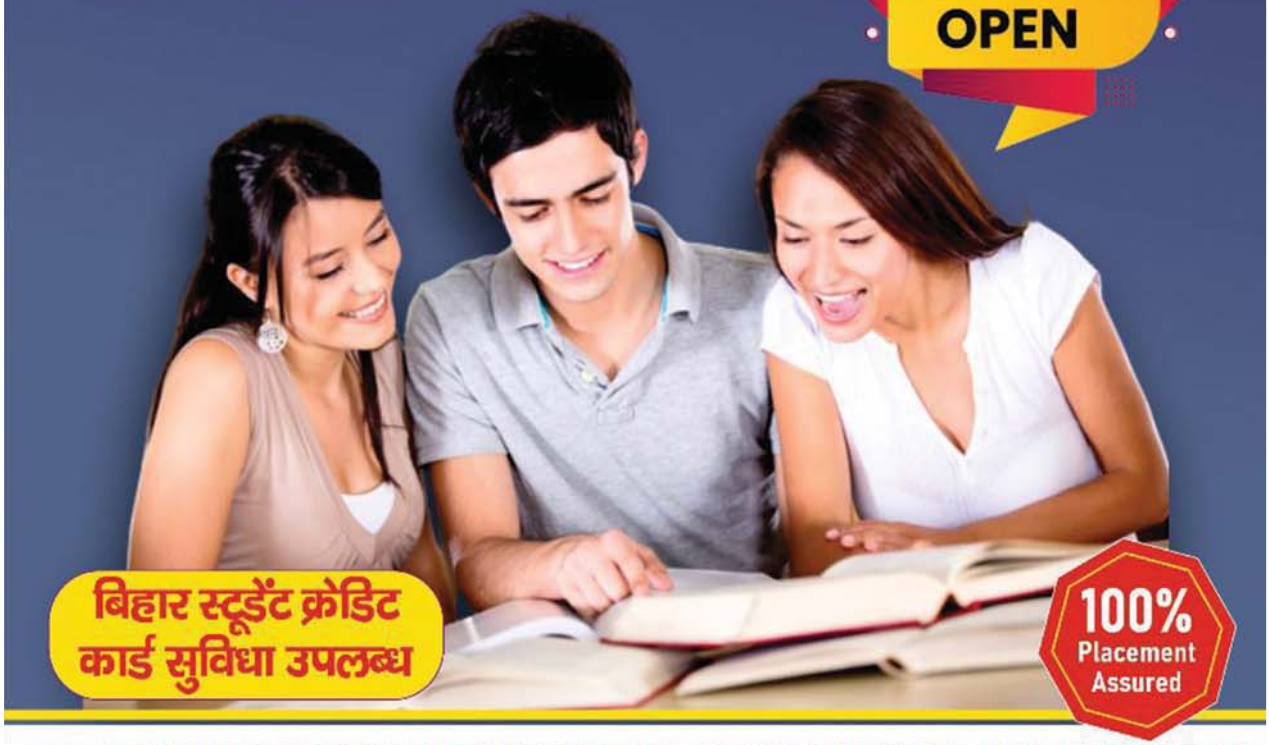

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध

100% Placement Assured

Cont.: 9031052022,9031052029, 9031015487, 9264469783

Admission Office- Patna ITI campus Brahampur, New Jaganpura, New Byass Road Patna

बालमुकुन्द सुपर स्टील

Fe 600 सुप्रीम मज़बूती की गारंटी

BALMUKUND SUPER STEEL

सुपर स्टील अपनाएं, सुपर मकान बनाएं

Toll Free: 1800 121 212121

स्वामी सहजानन्द सरस्वती औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

शकुराबाद, जहानाबाद

NCVT से मान्यता प्राप्त सहजानन्द शिक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित

-: हमारी विशेषताएँ :-

समृद्ध भवन में उच्च कोटि के वर्कशॉप की व्यवस्था एवं सुयोग्य प्रशिक्षको के द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था।

मो०:- 9431263954 प्राचार्य

इलेक्ट्रीक एवं भी.टी.पी. में नामांकन प्रारंभ

एक ही छत के नीचे जच्चा-बच्चा का सुरक्षित इलाज आधुनिक संसाधनों से युक्त बक्सर का एकमात्र हॉस्पिटल

माँ मुण्डेवरी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल एण्ड मदर केयर

माँ मुण्डेश्वरी मदर एण्ड चिल्ड्रेन अस्पताल में बच्चों से सम्बंधित जटिल बिमारियों का इलाज मेट्रो शहरों जैसी सुविधाओं के साथ दिल्ली के अनुभवी डा. मेजर पी. के. पाण्डेय द्वारा संचालित व्यवस्था

नॉर्मल डिलेवरी की सुविधा एवं आधुनिक तकनीकी से ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध

1. जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों का सम्पूर्ण इलाज।
2. NICU और PICU की व्यवस्था
3. हाई फ्रीक्वेंसी एवं कनवेंशनल वेंटीलेटर की व्यवस्था।
4. सी, पैप, वाई पैप एवं एच्एफएनसी की व्यवस्था।
5. जन्म के समय नही रोने वाले नवजात बच्चों के लिए थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया देने वाला बिहार एवं उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक अस्पताल।
6. समय से पहले पैदा होने वाले नवजात बच्चों के लिए सरफेक्टेन्ट एवं हाई फ्रिक्वेंसी वेंटीलेटर की व्यवस्था।
7. प्राइमरी परमोनरी हाईपरटेंशन वाले बच्चों के लिए इनहेल्ड नाइट्रिक आक्साइड की व्यवस्था।
8. जन्म के पश्चात हेयरिंग, स्क्रेनिंग के लिए इको स्क्रेनिंग की व्यवस्था।
9. नवजात बच्चे को पोलिया होने पर फोटोथेरेपी एवं एक्सचेंस ट्रान्सफीउजन की व्यवस्था।
10. हाई रिस्क वेबी के लिए नार्मल डिलेवरी एवं ऑपरेशन की व्यवस्था।

डा. मेजर पी. के. पाण्डेय
MBBS, MD
Peidatrician & Neonoiologist Army Hospital
(Research & Referral) New Delhi

हनुमान मंदिर, महिपाल पोखरा, सोहनी पट्टी, नया बस स्टैण्ड, बक्सर
Mob : 8863913334, 9572174250

कार्यालय नगर परिषद, हिलसा (नालन्दा)

नगर परिषद हिलसा के तरफ से आप सभी नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ है।

नगर परिषद हिलसा के नागरिकों से अपील :-

- समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करें।
- अपने-अपने घरों का कूड़ा-कचड़ा यत्र-तत्र सार्वजनिक स्थलों पर न फेंके, कूड़ा-कचड़ा कूड़ादान में ही डालें।
- सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल न करें, सड़क, नाली-गली को अतिक्रमण से मुक्त रखें।
- समय पर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अवश्य करायें।
- सभी नगर वासियों अपना भवन बनाने के पूर्व मानचित्र (नक्शा) अवश्य पारित करायें।
- सभी व्यवसायी बंधु अपना ट्रेड लाइसेंस अवश्य बनायें।
- प्रदुषण मुक्त शहर बनाने में सहयोग करें।

नगर परिषद, हिलसा के बढ़ते कदम :-

- नगर परिषद हिलसा के सभी (1 से 26) वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा-कचड़ा उठाने का कार्य सफाई एजेंसी के द्वारा कराने का प्रबंध किया गया है।
- नगर परिषद हिलसा में आश्रय स्थल (रैन बसेरा) में पूर्ण सुविधा के साथ संचालन किया जा रहा है।
- नगर परिषद हिलसा क्षेत्रान्तर्गत सभी (1 से 26) वार्डों में रौशनी की व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाईट प्रत्येक पोल पर लगवाया गया है।
- नगर परिषद हिलसा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पेयजल हेतु प्याउ की व्यवस्था की गयी है।
- नगर परिषद हिलसा क्षेत्रान्तर्गत सुझाव, शिकायतें एवं जानकारी हेतु **Toll Free No-8252332292** जारी किया गया है।
- नगर परिषद हिलसा क्षेत्रान्तर्गत **Toll Free No-8252332292** पर चापाकल, नल-जल, सफाई एवं अन्य किसी भी प्रकार की मिल रहे शिकायतों का 24 से 48 घंटा में निवारण किया जा रहा है।
- सभी गरीब व्यक्तियों को सबके लिए आवास योजना से आवास का निर्माण करवाया जा रहा है।
- नगर परिषद हिलसा के सभी (1 से 26) वार्डों में हर घर नल का जल उपलब्ध है।
- सभी वार्डों में नली-गली का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।
- सभी घरों में शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया गया है।
- जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत कुआँ एवं तालाब का जीर्णोधार, रैन वाटर हार्वेसटिंग का निर्माण एवं सोख्ता पीट का निर्माण करवा लिया गया है।
- शहर के फुटपाथ विक्रेता के लिए वेडिंग जोन की व्यवस्था की जा रही है।
- सरकार के दिये गए 100 Days नाला उड़ाही योजना के तहत नाला उड़ाही का कार्य संपन्न कराया गया।

धनंजय कुमार
मुख्य पार्षद
नगर परिषद, हिलसा

साबित खिदमत
फाउंडेशन एण्ड हॉस्पिटल

केवल सच पत्रिका के 18वें स्थापना वर्ष
पर समस्त पत्रकार बंधुओं एवं पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएँ।

-: निवेदक :-

डॉ. दिलशाद अहमद

उपलब्ध सुविधाएँ :-

- आईसीयू एण्ड एनआईसीयू/दवाएं
- वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध
- 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध
- आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल परिसर

मौला बाबा मजार, चीनी मिल,
बक्सर, मो० :- 9708821454

गंगा राम मदन प्रसाद
ज्वेलर्स

हालमार्क सोने एवं चांदी के आभूषण

- चांदी एवं सोने के गहनो का नया स्टॉक
- चांदी के सिक्के एवं बर्तन
- प्लैटिनम ज्वेलरी
- हॉलमार्क सोने के ब्रांडेड आभूषण
- हॉलमार्क चांदी की मूर्ति
- सभी प्रकार के ग्रहरत्न

Jhoonbabu
BUXAR

पुराना चौक, बक्सर, मो.- 9471208399

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी राजनीति

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

1000 वर्ष से अधिक गुलाम रहने के बाद भारत को राजतंत्र से मुक्ति मिलने के बाद भी 75 वर्षो में भारतीय शौचालय के लिए भी सरकार के भरोसे रहना पड़ता है। 1 करोड़ 42 लाख के लगभग जनसंख्या होने के बाद भी भारत की संस्कृति एवं सभ्यता और संस्कार दुनिया को शिक्षा दे रहा है। 29 राज्य, 09 केन्द्र संघ राज्य, 08 धर्म, 21 आधुनिक भाषा, 3000 जातियां एवं 25000 उपजातियां, 766 जिला, 263274 पंचायत और लगभग साढ़े 6 लाख गांव के ममुचित विकास के लिए लोकसभा के 543 एवं राज्यसभा के 245 सीटें, देश के सभी राज्यों में विधानसभा और कई राज्यों में विधान परिषद की सीटों पर चुने गये विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि आमजनता के जन-बुनियादी समस्याओं के निराकरण एवं सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं और गाँव स्तर तक सरकार की योजना पहुंचे उसके लिए पंचायत स्तर तक मुखिया का निर्वाचन होता है परन्तु सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो जाने के बाद लोकतंत्र की विधायिका अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्यपालिका के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करके सरकारी खजाने को आजादी के बाद से लगातार लूट रही है और इसकी जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री तक देते रहे हैं। लोकतंत्र के चारो स्तंभ कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के दल-दल में धंसता जा रहा है जिसको कुछ गिने-चुने लोगों की वजह से बचाने की कोशिश चल रही है परन्तु राजनीति के बिगड़ते हालात के कारण राजनीति एवं सत्ता जनहित के बजाय व्यक्तिगत हित की रखैल बन बनती जा रही है।

देश में लोकतंत्र है तथा लगभग 1 करोड़ 42 लाख लोगों के बेहतर जीवन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजनेताओं को विभिन्न पदों पर योग्यता एवं दक्षता के अनुसार मुखिया से लेकर सांसद तक चुनती है ताकि देश एवं प्रदेश और पंचायत के सिंहासन पर बैठा व्यक्ति जनहित के लिए स्वच्छ राजनीति करे परन्तु 15 अगस्त, 1947 में मिली आजादी के बाद संविधान का हवाला दे-देकर राजनीति करने वालों ने भारत को धर्म एवं जातियों के टुकड़े में बांटकर जनहित के बजाय व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ-साथ परिवारवाद एवं क्षेत्रवाद की राजनीति करके सत्ता के लिए अपराध एवं आतंकवाद से हांथ मिलाकर भ्रष्टाचार करने में भी कोई परहेज नहीं करते। एक गरीब राजनेता बगैर कोई उद्योग के वह देश के करोड़ों-अरबों रूपये का मालिक बन जाता है और यह हालत सिर्फ बिहार-झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों की हालत कामोवेश एक ही है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने राजनीति की परिभाषा गढ़ी की राजनीति जनसेवा का मुख्य आधार है और जनता की बुनियादी सुविधाओं को मुहैय्या कराने वाले को ही सत्ता के सिंहासन पर बैठना चाहिए न की जनता के सेवा के नाम पर उसपर अधिक टैक्स का बोझ डाल दें और खुद शासक बनकर जनता के साथ सौतेलापन व्यवहार करे। राजनीति में सरकार वास्तव में जनता ही है जो अपने जनप्रतिनियों को 5 साल के लिए चुनती है और बेहतर कार्य करने वाले को दोबारा तथा कई बार सेवा का अवसर देती है परन्तु आज जिन्दा रहने के लिए भी सुविधा प्राप्त करने में जनता को जलालत का जीवन जीने पर विवश होना पड़ता है। मुखिया, जिला परिषद्, विधायक, विधान पार्षद, सांसद अपने-अपने क्षेत्र के विकास के नाम पर सरकार द्वारा मिलने वाली राशि में भी अधिकांशत अपना कमीशन वसूल लेते हैं जिसकी वजह से विकास की गुणवता पर ग्रहण लग जाता है। भारत का गौरवशाली इतिहास पर भले ही हम ताल ठोक लें लेकिन वर्त्तमान इतिहास को भावी पीढ़ी अपने पूर्वजों के इतिहास को काला अध्याय ही मानेगी। राक्षसों के द्वारा भारत की धर्म एवं संस्कृति को नष्ट करना, विभिन्न अक्रांताओं के द्वारा देश की अस्मिता एवं अस्तित्व को लूटना तथा मुगलों के द्वारा सनातन धर्म, गुरूकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट करना और तो और देश के खजाने एवं धरोहरों को नष्ट करना और अंग्रजो के द्वारा फूट डालो राज करो की राजनीति को झेलने के बाद भी भारत की जनता आजादी के 75 वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव का एहसास कर रही है क्योंकि भारत के त्याग एवं राष्ट्र को माँ का दर्जा देने वालों ने अपनी आहूतियां दी है परन्तु वर्त्तमान समय की राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार ने देश को घुन की तरह मानवता तक को खोखला कर दिया है। आज राजनीति का उद्देश्य अपने गावं शहर राष्ट्र के विकास से कहीं ज्यादा अपने एवं अपनी सात पीढ़ी के लिए अकूट संपत्ति अर्जित करना मात्र रह गया है। चुनाव में लड़ने के पहले जिस राजनेता की संपत्ति लाख थी वह एक ही टर्म में कई सौ करोड़ की हो जाती है। सायकिल से चलने वाले नेता जी करोड़ों रूपये की लग्जरी से घूमने लगते हैं और मंचों से अपनी गरीबी का हवाला देते हैं कि संघर्ष करके हम कहां से कहां आ गये, वैसे में यह सवाल लाजमी है की देश की युवा पीढ़ी के बीच राजनीति सेवा नहीं बल्कि एक सुनियोजित व्यापार है जहां पूंजी के नाम पर जाति है और लाभ के लिए सरकारी खजाना है यह सोच विकसित करती जा रही है। सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए शिक्षा या सेवा काबिलियत नहीं बल्कि धन-दौलत, अपराध, जातिवाद, परिवारवाद और वैसी पार्टी जो जनता को जात-धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर सत्ता हासिल कर ले। जनता बुद्धि विवेक छोड़कर भावनाओं में बह जाती है उसको कोई भी मूर्ख बना सकता है और भावानाओं से कैसे खेलना है इसमें भारतीय राजनेता काफी हुनर रखते हैं भले हीं उनकी शौक्षणिक योग्यता शून्य हो। आजादी के बाद 95 फिसदी राजनेताओं ने देश में सिर्फ राजनीति करके अरबों की संपत्ति अर्जित की है और जो ईमानदारी, निष्ठा एवं समर्पण के भाव से राजनीति किया है उसको जनता ही मूख समझती है की किसी काम का आदमी नहीं था। कांग्रेस परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, सोरेन परिवार सहित देश में कई राजनीतिक परिवार है जो राजनीति में भ्रष्टाचार करके अकूट संपत्ति अर्जित की है जिसका जांच हमेशा चलता रहता है और ऐसा भी नहीं है देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा इससे अदूता है। शौचालय से लेकर भवन तक लेने में राजनेताओं को नजराना देना पड़ता है। अनाज से लेकर श्मशान घाट तक योजना का कुछ हिस्सा नेता जी के खाते में जाना चाहिए। शिक्षा से लेकर मनरेगा तक में कुछ न कुछ चढ़ावा देना पड़ता है और राजनेता की बढ़ती भूख का फायदा पदाधिकारी भी उठाते हैं। चपरासी से प्रधान सचिव तक की देश की संपत्ति एवं जनता का भावना को रौंदते हैं। आजाद भारत में राजनीति भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, यह चुनाव आयोग भी जानता है।

जून 2023

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

हमारा ई-मेल
kewalsach_times@rediffmail.com

साक्षात्कार

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका सिर्फ पुलिस के विपक्ष में ही नहीं लिखती बल्कि पुलिस के सार्थक प्रयास को भी पूरी गंभीरता से प्राकशित करती है। जून 2023 अंक में पत्रकार श्रीधर पाण्डेय ने पटना के ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा का साक्षात्कार आमजनता के लिए काफी संदेशपरक लगा। ऐसा साक्षात्कार पढ़ने से जानकारी भी मिलती है। अब पत्रिका में कानूनी सलाह के साथ-साथ ज्योतिषीय सलाह भी बहुत कारगर है और इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य पर भी स्थायी स्तंभ होना चाहिए।

✦ **अजित कर्मकार, टावर चौक मुजफ्फरपुर**

एक देश-एक चुनाव

ब्रजेश जी,

जून अंक 2023 में भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रो० संजय द्विवेदी का आलेख ''**एक देश - एक चुनाव**'' में बहुत ही सटीक समीक्षा करते हुए एक चुनाव पर तार्किक बिन्दुओं को रखते हुए लिखा है। एक चुनाव होने से निश्चित तौर पर आर्थिक बोझ से भी निजात मिलेगा तथा गंदी राजनीति करने का लोगों के पास समय ही नहीं बचेगा। आमजनता को भी राहत मिलेगा और सुरक्षाकर्मी भी अपराध एवं आतंकवाद के नियंत्रण में भरपूर समय देंगे। यह खबर मुझे काफी सटीक लगा।

✦ **सुरेश अग्रवाल, अपर बाजार, राँची, झा०**

बालश्रम व अन्य खबरें

मिश्रा जी,

मैं केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका का नियमित पाठक हूं। जून 2023 अंक में बड़ी खबरों के साथ-साथ किशनगंज, भोलपुर और झारखंड की छोटी-छोटी खबरें काफी जानकारीप्रद हैं। मिथिलेश कुमार की खबर ''**बाल श्रम मजबूरी या जरूरी**'' में बच्चों को ड्रग पैडलर बनाकर उसका बचपन छीन रहा है और कही न कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही इसका प्रमुख कारण है। सरकारी योजना के बावजूद बालश्रम पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। अमित कुमार की ''**विपक्षी एकजुटता महज एक दिखावा**'' खबर भी काफी सटीक लगा।

✦ **गणेश पंडित, रजौली बाजार, नवादा**

खूंटा ठोक

मिश्रा जी,

सच्ची खबरों के लिए केवल सच, पत्रिका पाठकों के बीच खास स्थान रखता है। बिना लगा लपेट के आपका संपादकीय आमजनता और सरकार के साथ प्रशासन की सच्चाई से रू-ब-रू कराता है। जून 2023 के संपादकीय ''**खूंटा ठोक मोदी ने किया काम**'' में आपने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किये गये 09 साल के काम को बुहत ही सटीक समीक्षात्मक रूप देकर विपक्ष को जहां बड़ा झटका दिया तो जनता को मोदी को चुनने का विकल्प भी दिया है। आपकी लेखनी भी खूंटा ठोक कर होती है जिससे दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता के साथ रखा जाता है।

✦ **कौशल दीक्षित, सेक्टर-6, बोकारो, झा०**

महालूट

संपादक जी,

महालूट की खबरों को पढ़ने के लिए केवल सच को पढ़ना ही होगा क्योंकि प्रत्येक महीने के अंक में महालूट की खबरें रहती है। जून अंक में पटना के ''**गंगा देवी महाविषलय में महालूट**'' में पार्ट-2 एवं 3 में नामांकन में अवैध वसूली की जा रही है। फीस से ज्यादा राशि वसूली जा रही है। पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करके महाविद्यालय ने अपनी गलती को स्वीकार भी किया है। सांगर उपाध्याय एवं के के सिंह ने छात्रों की आवाज को बुलंद किया है यह सकारात्मक पत्रकारिता का प्रमाण है। इस अंक का सभी खबर बेजोड़ है।

✦ **दीनानाथ सिन्हा, एफ सेक्टर, कंकड़बाग**

अधिकारी मंत्री मस्त

संपादक जी,

केवल सच, पत्रिका और इसके पत्रकार शशि रंजन सिंह और राजीव शुक्ला की प्रत्येक माह की खबर किसी न किसी का पर्दाफास करती है। दीघा थाना प्रभारी का सच सामने लाकर दिलेरी का काम किया है और ''**पुल ध्वस्त-जनता पस्त, अधिकारी -मंत्री मस्त**'' खबर में पुल निमार्ण कंपनी पर उचित सवाल उठाते हुए समीक्षात्मक बिन्दुओं को रखा है। केवल सच पत्रिका बिहार में फैले भ्रष्टाचार की खबर को पूरी गंभीरता के साथ लिखता है, ऐसी ही खबरें देश के अन्य राज्यों का भी आना चाहिए ताकि पाठकों को दूसरों जगहों की भी जानकारी मिले।

✦ **रणधीर लाल, पाया न.-40, राजा बाजार**

अन्दर के पन्नों में

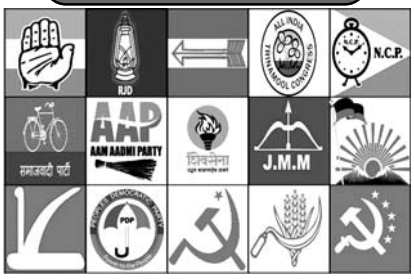

मोदी बनाम 15 पार्टियां.....36

समाज तोड़ने वाले सावधान : एसएसपी...91

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888
समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 18, | अंक:- 206, | माह:- जुलाई 2023, | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204
सुरजीत तिवारी 9431222619
निलेन्दु कुमार झा 9431810505/8210878854
सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350
अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000
triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154
मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 8603069137
प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186
ब्रजेश सहाय 7488696914
ललन कुमार 7979909054, 9334813587
आलोक कुमार सिंह 8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212
राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565
कृष्ण कुमार सिंह 6209194719, 7909077239
काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179
मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833
नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203
बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485
रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०):- श्रीधर पाण्डेय 9470709185
(म०):- गौरव कुमार 9472400626
(ग्रा०) :-
बाढ़ :-
भोजपुर :- गुड्डू कुमार सिंह 8789291547
बक्सर :- बिन्ध्याचल सिंह 8935909034
कैमूर :-
रोहतास :- अशोक कुमार सिंह 7739706506
:-
गया (श०) :- सुमित कुमार मिश्र 7667482916
(ग्रा०) :-
औरंगाबाद :-
जहानाबाद :- नवीन कुमार रौशन 9934039939
अरवल :- संतोष कुमार मिश्रा 9934248543
नालन्दा :-
:-
नवादा :- अमित कुमार 9934706928
:-
मुंगेर :-
लखीसराय :-
शेखपुरा :-
बेगूसराय :- निलेश कुमार 9113384406
:-
खगड़िया :-
समस्तीपुर :-
जमुई :- अजय कुमार 09430030594
वैशाली :-
:-
छपरा :-
सिवान :-
:-
गोपालगंज :-
:-
मुजफ्फरपुर :- .
:-
सीतामढ़ी :-
शिवहर :-
बेतिया :- रवि रंजन मिश्रा 9801447649
बगहा :-
मोतिहारी :- संजीव रंजन तिवारी 9430915909
दरभंगा :-
:-
मधुबनी :- सुरेश प्रसाद गुप्ता 9939817141
:- प्रशांत कुमार गुप्ता 6299028442
सहरसा :-
मधेपुरा :-
सुपौल :-
किशनगंज :-
:-
अररिया :- अब्दुल कय्यूम 9934276870
पूर्णिया :-
कटिहार :-
भागलपुर, :-
(ग्रा०):- रवि पाण्डेय 7033040570
नवगछिया :-

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तर प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक
राजीव कुमार 9431369995, 7280999339

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

झारखण्ड सहायक संपादक
ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205
ब्रजेश मिश्र 7654122344-7979769647
अभिजीत दीप 7004274675-9430192929

उप संपादक
अजय कुमार 8409103023, 62037239995

संयुक्त संपादक
शशि भूषण 7061052578, 9905643374

विशेष प्रतिनिधि
भारती मिश्रा 8210023343-8863893672

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो
राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
साहेबगंज :- अनंत मोहन यादव 9546624444
खूँटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

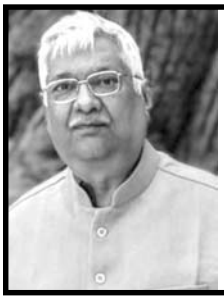

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
08877663300

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सागर कुमार	9155378519, 8863014673
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
लक्ष्मी नारायण सिंह	9204090774
मणिभूषण तिवारी	9693498852
राजीव रंजन	9431657626
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
अनु कुमारी	9471715038, 7542026482
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रंजीत कुमार सिन्हा	9931783240, 7033394824
कुणाल कुमार सिंह	9988447877, 9472213899

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

कलराज मिश्र
राज्यपाल, राजस्थान

सत्यमेव जयते

Kalraj Mishra
Governor, Rajasthan

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि 'केवल सच' मासिक पत्रिका का 'राजनीति के महानायक' विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। इस अवसर पर आप 'आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान 2023' का भी आयोजन कर रहे है।

पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि इसके जरिए नागरिकों को जागरूक करने का कार्य और कर्तव्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। सुखद है आचार्य चाणक्य के आलोक में आपकी पत्रिका उनके आदर्शो पर केन्द्रित विशेषांक निकाल रही है। आचार्य चाणक्य राजनीति के ही नहीं जीवन के उदात्त मूल्यों के साथ अखण्ड भारत के निर्माता थे। उनका अवदान अप्रतीम है। विश्वास है आप द्वारा प्रकाशित सामग्री पाठकोपयोगी प्रेरणादायक होगी।

मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं।

कलराज मिश्र
(कलराज मिश्र)

राज भवन, सिविल लाइन्स, जयपुर–302006
Raj Bhawan, Civil Lines, Jaipur-302006
दूरभाष : 0141–2228716–19, 2228611–12, 2228722

सत्यमेव जयते

भूपेन्द्र पटेल
मुख्यमंत्री, गुजरात राज्य

दि. १०-०७-२०२३

संदेश

समाचार के आदान-प्रदान का हर एक क्षेत्र समाज का दर्पण है। यह न केवल संचार का माध्यम है बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बल देने और समाज में जागरुकता फैलाने का एक आदर्श तरीका है। पत्रकारत्व लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसे कायम रखना पत्रकार का उत्तरदायित्व है। सरकारी योजनाओं को प्रजा तक पहुंचाना और जनता के प्रश्नों को वाचा देने का कर्तव्य निभाये यह प्रसार माध्यमों से अपेक्षित है।

केवल सच राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका का २३ जुलाई, २०२३ के दिन १८ वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर **राजनीति के महानायक** विशेषांक का प्रकाशन हो रहा है, यह आवकार्य है। इस दिन **आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान-२०२३** का आयोजन भी प्रेरणादायी बना रहेगा।

केवल सच राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका की समग्र टीम को हार्दिक बधाई एवं सम्मानित होने वाले सभी को अभिनंदन।

आपका,

(भूपेन्द्र पटेल)

To,
Shree Brijesh Mishra, Editor,
Kewal Sach Rashtriy Hindi Monthly Patrika,
Poorvi Ashoknagar Road No 14,
House No. 14/28, Kankadbaag,
Patana - 834020.
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@reddifmail.com,
Mo. 9431073769, 9955077308, 8340360961

Apro/md/2023/07/10/jp

सत्यमेव जयते

देवेश चन्द्र ठाकुर

बी.ए. (प्रतिष्ठा) फर्गुसन कॉलेज, पुणे
एल.एल.बी. (आई.एल.एस.), पुणे

सभापति
बिहार विधान परिषद्

पत्रांक.....

दिनांक..21/06/2023

शुभकामना-संदेश

यह प्रसन्नता की बात है कि **'केवल सच'** हिन्दी मासिक पत्रिका द्वारा 23 जुलाई, 2023 को अपने 18वें स्थापना वर्ष के अवसर पर **'राजनीति के महानायक'** विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभा सम्पन व्यक्तियों को **'आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान'** से सम्मानित करने संबंधी उत्कृष्ट प्रयास प्रशंसनीय है।

मैं पत्रिका के इस विशेषांक के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकानाएँ देता हूँ।

(देवेश चन्द्र ठाकुर)
21/6/23

आवास : 3, देशरत्न मार्ग, पटना-800001, फोन : 0612-2215819, 2215245 (का.), 2217203 (आ.)
मोबाईल : 94310 20000, 99344 45000, 9867998679, ई-मेल : chairman-blc@nic.in

अवध विहारी चौधरी
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा, पटना-15

सत्यमेव जयते

AWADH BIHARI CHAUDHARY
Speaker
Bihar Legislative Assembly, Patna-

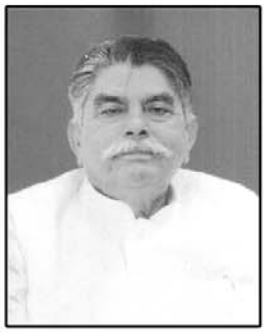

शुभकामना संदेश

यह हार्दिक प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका **''केवल सच''** द्वारा अपने 18वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर **''राजनीति के महानायक''** विशेषांक के प्रकाशन के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मयोगियों को **''आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान-2023''** से सम्मानित किया जा रहा है ।

अखंड भारत की परिकल्पना को सार्थक स्वरूप प्रदान करने वाले आचार्य चाणक्य ने अनेक महान क्षेत्रों में अपनी विशाल महत्ता स्थापित की है । मुझे आशा है कि उक्त विशेषांक के प्रकाशन से महान शिक्षक एवं कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की बहुमूल्य नीतियों का प्रसार जन-जन तक हो सकेगा तथा इतिहास की बातों को जानकर आम जनमानस प्रभावित होंगे ।

मैं इस समारोह के सफल आयोजन एवं **''राजनीति के महानायक''** विशेषांक पत्रिका के सफल प्रकाशन की मंगलकामना करता हूँ ।

(अवध विहारी चौधरी)

Address : 2, Desh Ratna Marg, Patna-15 Phone No. : 0612- 2217856, 2217082 (O)
Phone No. : 0612-2215232 (R), Fax No.: 0612-2217373 (O) 0612-2215858 (R)
E-mail : mla-siwan-bih@nic.in

सुदर्शन भगत
संसद सदस्य, लोकसभा
लोहरदगा, झारखंड
अध्यक्षः भारतीय खाद्य निगम सलाहकार समिति, झारखंड राज्य
सदस्यः विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय समिति
सदस्यः संसदीय प्राक्कलन समिति
सदस्यः जनजातीय कार्य मंत्रालय संसदीय समिति

सत्यमेव जयते

G20
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

C1/28 पण्डारा पार्क,
नई दिल्ली–110003
फोन नं.: 011–23074151
टेलिफैक्स नं.: 011–23387355
ईमेलः s.bhagat@sansad.nic.in
office.sbhagat@gmail.com
www.sudershanbhagat.net

DEL / SB/.504../2023

दिनांक : जून,2023

शुभकामना सन्देश

अत्यंत हर्ष का विषय है,कि हिंदी मासिक पत्रिका **"केवल सच"** के आगामी विशेषांक **"राजनीति के महानायक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य"** प्रकाशित किया जा रहा है । राजनीति सिद्धांत एवं मूल्य परक हो, समस्त समाज का हित रखने वाली हो । भारतीय अस्मिता और हमारे पौराणिक महत्व को समझते हुए, राष्ट्रनिर्माण के भाव से की जाने वाली नीति ही राजनीति हो !

अतः भारतवर्ष का सौभाग्य है, कि भारत भूमि पर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जैसे महान मनीषी और स्वाभिमानी महापुरुष हुए । हमें उनके विचार और उनकी नीतियाँ सदैव प्रेरित करते रहेंगे । यह विशेषांक आचार्य चाणक्य के जीवन और उनकी नीतियों से नवीन पीढ़ी को जोड़ने का कार्य करेगा । सफलतम प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनायें ।

मंगलकामनाओं सहित !

(सुदर्शन भगत)

संपादक,
केवल सच
मासिक हिन्दी पत्रिका
303,ब्लाक-22,सैक्टर-1,खेलगांव हाउसिंग काम्प्लेक्स.
होटवार, रांची-834009

बिजेन्द्र प्रसाद यादव
मंत्री
ऊर्जा, योजना एवं विकास विभाग
बिहार

विहार सरकार

कार्यालय : 8, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-1 (ऊर्जा)
कार्यालय : पुराना सचिवालय, पटना-15 (यो० एवं वि० विभाग)
आवास : 1, नेताजी मार्ग, पटना-15
दूरभाष सं. : **0612-2506224** (ऊर्जा)
0612-2506225 (फैक्स)
0612-2217564 (यो० एवं वि० विभाग)
0612-2205454 (आ०)

पत्रांक.....

दिनांक 05/7/2023

संदेश

यह अत्यन्त ही हर्ष की बात है कि दिनांक–23 जुलाई 2023 को ''केवल सच'' पत्रिका के 18वें स्थापना वर्ष के अवसर पर ''राजनीति के महानायक'' विशेषांक का प्रकाशन करने जा रही है। इस अवर पर प्रबुद्धगणों द्वारा चाणक्यनीति पर दिये गये वक्तव्य से आम लोग भी लाभान्वित होंगे। ''राजनीति के महानायक'' विशेषांक के सफल प्रकाशन की कामना एवं आयोजकगण को शुभकामना देता हूँ।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)

सेवा में,
श्री ब्रजेश मिश्र,
''केवल सच''
संपादक–सह–प्रबंधकर्ता,
सदस्य–प्रेस सलाहकार समिति
बिहार विधान परिषद्, पटना।

समीर कुमार महासेठ
उद्योग मंत्री
Samir Kumar Mahaseth
Industry Minister

बिहार सरकार

उद्योग विभाग
बिहार सरकार, पटना
Department of Industries
Government of Bihar, Patna
दूरभाष/Tel : 0612-2215431 (का.)
टेली+फैक्स/Tel+Fax: 0612-2215430 (का.)
ई-मेल/Email : minister.ind-bih@gov.in

पत्रांक 337 दिनांक 10/07/2023

"शुभकामना संदेश"

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि 23 जुलाई, 2023 को विद्यापति भवन, पटना में अप0 3:00 बजे **"केवल सच"** हिन्दी मासिक पत्रिका का **18वाँ स्थापना वर्ष** मनाया जा रहा है।

उपर्युक्त अवसर पर विभिन्न सेवा के उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मयोगियों को गणमान्य एवं प्रबुद्धगणों की उपस्थिति में **"आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान–2023"** से सम्मानित किये जाने के साथ ही **"राजनीति के महानायक"** विशेषांक के विमोचन का भी आयोजन किया जा रहा है।

मेरी कामना है कि 18वाँ स्थापना वर्ष समारोह ऐतिहासिक वातावरण का सृजन करे। **"राजनीति के महानायक"** के इस विशेषांक के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

(समीर कुमार महासेठ)

श्री ब्रजेश मिश्र
सम्पादक,
केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
पूर्वी अशोक नगर, रोड न0–14,
कंकड़बाग, पटना–800020

कार्यालय/Office तृतीय तल, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना- 800 015/3rd Floor, Vikas Bhawan, New Secretariat, Bailey Road, Patna- 800 015
आवासीय कार्यालय/Resi. office: 03, टेलर रोड, पटना / 03, Taylor Road, Patna | Mob.: 98350 30015, 94310 11416

श्रवण कुमार
شرون کمار

मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

पत्रांक....................   दिनांक 22/06/23

शुभकामना संदेश

अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि **"केवल सच"** राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका द्वारा राजनीति के महानायक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से संबंधित विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है ।

प्राचीन भारत के महान शिक्षक, अर्थशास्त्री, सलाहकार, दार्शनिक एवं महापंडित आचार्य विष्णुगुप्त के योगदान से ही मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट चन्द्रगुप्त अपने समय में राजनीति, कूटनीति, रणनीति एवं राजकाज में निपुण हो सके । आचार्य विष्णुगुप्त को हम सभी चाणक्य एवं कौटिल्य के रूप में भी जानते हैं ।

मैं इस विशेषांक के प्रकाशन तथा इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की सफलता हेतु अपनी मंगल कामना प्रेषित करता हूँ ।

(श्रवण कुमार)

कार्यालय - मुख्य सचिवालय, पटना-800015, आवास : 12ए, बेली रोड, पटना-800015
दूरभाष/फैक्स : 0612-2205331 (का॰), 2215472 (आ॰), मोबाईल : 9471006315
ई-मेल : sharwankumarmla@ gmail.com

सुमित कुमार सिंह
मंत्री
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

कार्यालय :
प्रथम तल, टेक्नोलॉजी भवन,
नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800015
: 9431017018 (मो०)
: 0612-2547154 (का०)
: 0612-2547054 (फैक्स)

पत्रांक : 242 दिनांक 12.07.2023

शुभकामना संदेश

'केवल सच' हिन्दी मासिक पत्रिका द्वारा विद्यापति भवन, पटना में 23 जुलाई 2023 को 'आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान–2023' का आयोजन निर्धारित है।

इस पुनीत अवसर पर ''राजनीति के महानायक'' विशेषांक के प्रकाशन का निर्णय अत्यन्त ही सराहनीय है। साथ ही 'आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान–2023' के आयोजन का भी कार्यक्रम है। इस अवसर पर संगठन द्वारा राजनीतिक संक्रमण के समय आवाम एवं राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के सम्मान हेतु प्रतिभाशाली लोगों का चयन कर विभिन्न सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मयोगियों को सम्मानित किया जायेगा।

उक्त अवसर पर **'केवल सच'** हिन्दी मासिक पत्रिका के संपादक, लेखकों एवं पाठकों को मैं अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना प्रेषित करता हूँ।

(सुमित कुमार सिंह)

ललित कुमार यादव
मंत्री
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार

कार्यालय : विश्वेश्वरैया भवन,
बेली रोड, पटना
दूरभाष : (0612) 2547180 (का.)
मोबाईल : 9431821873
ई-मेल : ministerphed0099@gmail.com

पत्रांक : 1210 दिनांक : 7-7-2023

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि **''केवल सच''** राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के 18वाँ स्थापना वर्ष दिनांक 23 जुलाई, 2023 को मनाने जा रहा है। इस अवसर पर **''राजनीति के महानायक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य''** के एक विशेषांक अंक का भी प्रकाशन होने जा रहा है तथा इस अवसर पर विभिन्न सेवा के उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मयोगियों को **''आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान-2023''** से सम्मानित किया जाएगा, जो एक सराहनीय कदम है।

मौर्य वंश की स्थापना और मौर्य सम्राज्य के सम्राट चन्द्रगुप्त और उनके पुत्र बिन्दूसार के मुख्य सलाहकार के रूप में भी विशिष्ट पहचान रखते हैं। आचार्य चाणक्य का अवतरण 375 ईसा पूर्व तक्षशिला में हुआ था। आचार्य चाणक्य ऐसे इंसान थें, जो अपनी बुद्धि से सामने वाले को हरा देते थें। उन्होंने अपने शिष्य चन्द्रगुप्त के साथ मिलकर अखंड भारत का निर्माण किया था। वर्त्तमान समय में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए चाणक्य और कौटिल्य जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है।

आचार्य चाणक्य एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री शाही सलाहकार व्यायविद, दार्शनिक और मार्ग दर्शक थें। सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य को न सिर्फ कूटनीति, राजनीति, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, सामाजिक क्षेत्रों की शिक्षा दी बल्कि धार्मिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से सुरक्षा एवं जनहित के लिए समुचित चौमुखी विकास का भी ज्ञान दिया।

प्रकाशित होने वाला यह विशेषांक निश्चित रूप से पठनीय ही नहीं अपितु अनुकरनीय एवं संग्रहनीय भी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं इस आयोजन की सफलता एवं विशेषांक के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ तथा **''केवल सच''** से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को हृदयतल से साधुवाद देता हूँ।

भ व दी य

(ललित कुमार यादव)

सेवा में,
श्री ब्रजेश मिश्र,
संपादक-सह-प्रबंधकर्त्ता,
सदस्य-पेस सलाहकार समिति,
बिहार विधान परिषद्, पटना।

आवास : सेल्स टेक्स आ० सं०-1, छज्जूबाग, पटना-1, दूरभाष : 0612-2222751 (आ०)

मुरारी प्रसाद गौतम
मंत्री
पंचायती राज विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

Murari Prasad Gautam
MINISTER
Department of Panchayati Raj
Govt. of Bihar

पत्रांक 1265

दिनांक 11-07-2023

शुभकामना संदेश

''**केवल सच**'' पत्रिका निष्पक्ष रूप से विषयवस्तु को आमजनों के समक्ष जिस प्रकार से प्रकाशित कर रही है, वह निश्चय ही प्रशंसनीय एवं प्रेरक है।

व्यक्तिगत तौर पर यह जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि दिनांक 23 जुलाई, 2023 को **राजनीति के महानायक आचार्य चाणक्य विशेषांक** का प्रकाशन होने जा रहा है।

इस अवसर पर अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मयोगियों को **''आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान–2023''** से सम्मानित किये जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है।

''केवल सच'' पत्रिका के 18वें स्थापना वर्ष के अवसर पर भारत की महान विभूति आचार्य चाणक्य को समर्पित **''आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान–2023''** में राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ तथा **राजनीति के महानायक आचार्य चाणक्य विशेषांक** के विमोचन पर संपादक मण्डल एवं पत्रिका के सभी प्रतिनिधियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ सम्प्रेषित करता हूँ।

मुरारी प्रसाद गौतम
(मुरारी प्रसाद गौतम)

आवास : 12, सर्कुलर रोड, पटना-800001, मो०- 9771534737
email : ministerprdbihar@gmail.com

Nayyar Hasnain Khan, I.P.S.
Addl. Director General of Police
Economic Offences Unit, Bihar, Patna

सत्यमेव जयते

Dr. S.K. Singh Path, Bailey Road,
Patna-800001, Bihar
Tel : +91 - 612 - 2217829 (O)
Fax : +91 - 612 - 2215553
Mobile : 9470001380
E-mail : adgecooffence-bih@nic.in

पटना, दिनांक 10.7.2023

प्रिय, ब्रजेश जी,

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि केवल सच, राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका द्वारा ''राजनीति के महानायक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य'' विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है ।

मौर्य वंश के संस्थापक आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री, शाही सलाहकार, न्यायविद, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक थे । उनकी विलक्षण प्रतिभा एवं गुणों के कारण उनको आज तक आदर एवं श्रद्धा से याद किया जाता है । राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति, समाजनीति, आदि पर आधारित उनकी कालजयी रचना 'अर्थशास्त्र' आज भी प्रासंगिक है, जो कई विषयों पर मार्गदर्शन एवं दिशा प्रदान करती है ।

मैं ''राजनीति के महानायक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य'' विशेषांक के सफल प्रकाशन की मंगलमय कामना करता हूं ।

शुभकामनाओं सहित ।

शुभेच्छु,
(नैयर हसनैन खान)

सेवा में,

श्री ब्रजेश मिश्र,
संपादक सह प्रबंधकर्त्ता,
केवल सच, राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका,
पूर्वी अशोक नगर, रोड नंबर–14,
मकान संख्या–14/28, कंकड़बाग, पटना–'800020

आज से करीब 2300 साल पहले पैदा हुए चाणक्य भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के पहले विचारक माने जाते हैं। पाटलिपुत्र (पटना) के शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेकने और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को बतौर राजा स्थापित करने में चाणक्य का अहम योगदान रहा। ज्ञान के केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य रहे चाणक्य राजनीति के चतुर खिलाड़ी थे और इसी कारण उनकी नीति कोरे आदर्शवाद पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान पर टिकी है। आचार्य चाणक्य का नाम विश्व के श्रेष्ठतम शिक्षकों में लिया जाता है. विष्णु गुप्त और कौटिल्य के नाम से प्रख्यात आचार्य चाणक्य को उनके कुशल नेतृत्व के लिए भी जाना जाता है. उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति पुस्तक को कई समस्याओं को हल करने के लिए जाना जाता है. आज भी बड़ी संख्या में लोग इसे पढ़ते हैं.आचार्य चाणक्य ने राजा के संबंध में कहा है कि राजा शक्तिशाली होना चाहिए, तभी राष्ट्र उन्नति करता है। राजा की शक्ति के तीन प्रमुख स्रोत हैं- मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। चाणक्य हमारे देश के बहुत बड़े राजनीतिक मनीषियों में से एक हैं, जिनके राजनीतिक चिंतन और कूटनीतिक दर्शन का सारा विश्व आज भी लोहा मानता है। अपनी मृत्यु के हजारों वर्ष पश्चात भी यदि भारतवर्ष का कोई कूटनीतिज्ञ इतना अधिक चर्चित है तो वह केवल चाणक्य ही हैं। सचमुच चाणक्य नीति कालजयी है, जो आज भी हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी मार्गदर्शन कर रही है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि राजा के लिए उसकी मानसिक शक्ति उसे सही निर्णय के लिए प्रेरित करती है, शारीरिक शक्ति युद्ध में वरीयता प्रदान करती है और आध्यात्मिक शक्ति उसे ऊर्जा देती है। इस प्रकार मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों का उचित समन्वय ही किसी राजा को शासन करते हुए उच्चता प्रदान करती हैं। प्राचीन काल में हमारे राजाओं का अपनी इन्हीं तीनों शक्तियों को साधने का भरपूर प्रयास रहा करता था, जिससे वह चक्रवर्ती सम्राट बनते थे और बहुत ही समन्वयात्मक बुद्धि रखते हुए प्रजाहित में उचित से उचित निर्णय लेने में सक्षम हो पाते थे। इनकी साधना राजा को प्रजाहित में काम करने की प्रेरणा देती है। आचार्य चाणक्य श्रेष्ठ विद्वान, एक अच्छे शिक्षक के अलावा एक कुशल कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री भी थे। चाणक्य की

निपुण थे बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण विषयों में भी विस्तृत ज्ञान था। उन्हीं के सानिध्य में महान सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। आचार्य चाणक्य ने एक कुशल नेता बनने के लिए कई गुणों के विषय में बताया था, जिस कारण चन्द्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट बनें। एक बार पाटलिपुत्र के नंद वंश के राजा धनानंद के यहाँ आचार्य एक अनुरोध लेकर गए थे। आचार्य ने अखण्ड भारत की बात की और कहा कि वह पोरव राष्ट्र से यमन शासक सेल्युकस को भगा दे किन्तु धनानंद ने नकार दिया क्योंकि पोरस राष्ट्र के राजा की हत्या धनानंद ने यमन शासक सेल्युकस से करवाई थी। जब यह बात आचार्य को खुद धनानंद ने बोला तब क्रोधित होकर आचार्य ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंदों का नाश न कर लूँगा तब तक अपनी शिखा नहीं बाँधूंगा। उन्हीं दिनों राजकुमार चंद्रगुप्त राज्य से निकाले गए थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से मिलकर विशेष ध्यान रखना चाहिए, वह है-हमेशा धैर्य बनाए रखें, सबको अपनी योजना न बताएं, कार्य पूरा होने तक सावधान रहें, अपने साथियों से सलाह ले। इन तमाम बातों को अमल करके ही चंद्रगुप्त मगध जनपद के कुशल शासक बने। चाणक्य को कभी राजा बनने का सौख नहीं था किन्तु पिता की हत्या के बाद पूरे नंदवंश के खात्मे की प्रतिज्ञा के दृढ़संकल्प ने जंगल से उठाकर एक वनप्राणी चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त बनाने का कार्य किया। उनकी कुटनीति और राजनीति से ही वे महानायक बने। इसलिए चाणक्य को राजनीति का महानायक कहा जाना गलत नहीं होगा। केवल सच पत्रिका अपने 18वें वर्षगांठ पर राजनीति के महान पूरोधा आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की जीवनी और उनके नीतियों को एक विशेषांक के तौरपर प्रकाशित कर रही है। राजनीति के महानायक चाणक्य पर पत्रिका के संयुक्त संपादक **अमित कुमार** द्वारा प्रस्तुत है समीक्षात्मक रिपोर्ट :-

आचार्य चाणक्य का नाम सभी ने सुना है। उनकी चाणक्य नीति बहुत प्रचलित है। सभी ने चाणक्य नीति के अनमोल वचन पढ़ें होंगे। आचार्य चाणक्य ऐसे इंसान थे जो अपनी बुद्धि से सामने वाले को हरा देते थे। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अखंड भारत का निर्माण किया था। वर्तमान समय में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए चाणक्य और कौटिल्य जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है।

आचार्य चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में हुआ था। चाणक्य मगथ सीमावर्ती गांव के एक साधारण ब्राह्मण के पुत्र थे। उनके पिता का नाम चणक था। पिता ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। वे एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री, शाही सलाहकार, राजनीतिज्ञ और मार्गदर्शक थे। अपनी पहचान छुपाने के लिए कौटिल्य ने अपना नाम विष्णु गुप्त रख लिया था। उन्होंने ही बाद में कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र लिखा और वात्सायन नाम से कामसूत्र लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध है। पिता श्री चणक निषाद के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल, सदुपयोग,जनकल्याण तथा अखण्ड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यो में करने के कारण वह कौटिल्य कहलाये। चाणक्य को एक दूरदर्शी राजनेता के रूप में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और संरक्षक माना जाता है। कौटिल्य की विद्वता, निपुणता और दूरदर्शिता का बखान भारत के शास्त्रों, काव्यों तथा अन्य ग्रंथों में किया गया है। भारतीय विचारक मानते हैं कि चाणक्य उन लोगों में से एक हैं, जिन्होने सबसे पहले एकछत्र भारत की कल्पना की थी। हालांकि, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि चाणक्य अगर एक बार नाराज हो गए तो उनके क्रोध की अग्नि से बच पाना असंभव के समान था।

वास्तव में आचार्य विष्णुगुप्त जन्म से निषाद कर्मो से सच्चे ब्राह्मण और उत्पत्ति से क्षत्रिय और सम्राट चन्द्रगुप्त के गुरु तथा अपने माता-पिता के प्रथम संतान थे। जन्म उपरान्त इनके माताजी का निधन हो गया था। राज ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि बालक में राजयोग

आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य

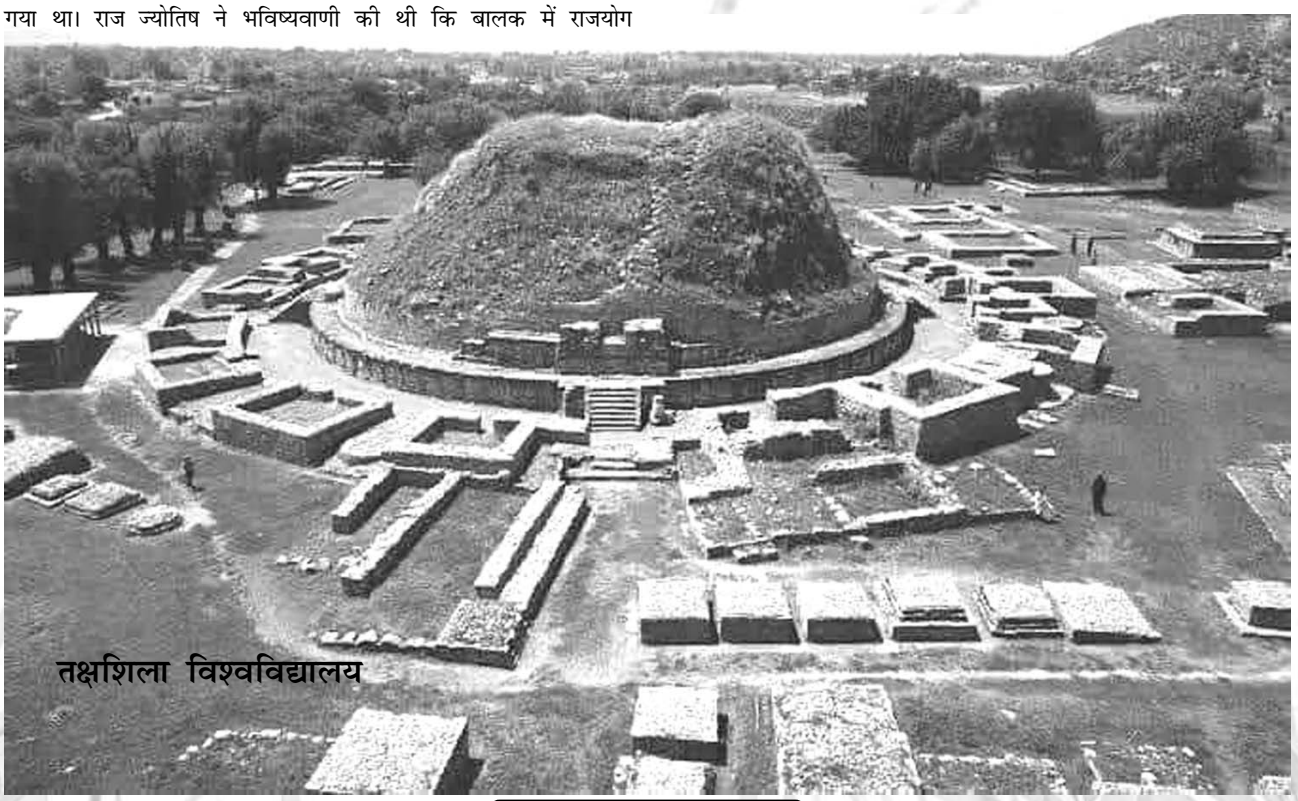

तक्षशिला विश्वविद्यालय

बिलकुल नहीं है। लेकिन बालक में चमत्कारिक ज्ञानयोग व विद्वता है। इसकी विलक्षण विद्वत्ता जो सूर्य के प्रकाश के सामान सम्पूर्ण जम्बू द्वीप को आलोकित करेंगी। विष्णुपुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथासरित्सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही है, साथ ही बौद्ध ग्रंथो में भी इनकी कथा बराबर मिलती है। बुद्धघोष की बनाई हुई विनयपिटक की टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृत्तांत दिया हुआ है। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाट-बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। चाणक्य के नाम पर डॉ चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा लिखित और निर्देशित 47 भागों वाला एक धारावाहिक भी बना था, जिसे मूल रूप से 8 सितंबर 1991 से 9 अगस्त 1992 तक डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था।

गौरतलब हो कि मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चणक किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य शकटार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगथ सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चणक को बंदी बना लिया गया और राज्यभर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चणक के किशोर पुत्र कौटिल्य को यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गया। चणक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य (चाणक्य) की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे-धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेट कर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह-संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली-'हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा, जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा...। हे यमराज! धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा।' इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णु गुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधामोहन ने विष्णु गुप्त को सहारा दिया। राधामोहन ने विष्णु गुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्व विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णु गुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े-बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया बल्की उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहां से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन।

एलेक्जेंडर द्वितीय जिसे भारत में अलेक्ष्रेंद्र कहा जाता था, जो बिगड़कर सिकंदर हो गया। जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था तब भारत का आर्यावर्त खंड ईरान की सीमाओं तक फैला था लेकिन यह आर्यावर्त खंड टुकड़ों में बंटा था। प्राचीन भारत के अनेक जनपदों में से एक था महाजनपद- मगध। मगध पर क्रूर धनानंद का शासन था, जो बिम्बिसार और अजातशत्रु का वंशज था। सबसे शक्तिशाली शासक होने के बावजूद उसे अपने राज्य और देश की कोई चिंता नहीं थी। अति विलासी और हर समय राग-रंग में मस्त रहने वाले इस क्रूर शासक को पता नहीं था कि देश की सीमाएं कितनी असुक्षित होकर यूनानी आक्रमणकारियों द्वारा हथियाई जा रही है। हालांकि 16 महाजनपदों में बंटें भारत में उसका जनपद सबसे शक्तिशाली था। बौद्ध काल तथा परवर्तीकाल में उत्तरी भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद था। पहले इसकी राजधानी थी गिरिव्रज (राजगीर) बाद में इसकी राजधानी बनी पाटलीपुत्र। इस राज्य में अति प्रसिद्ध एक नगर था-वैशाली नगर। यहां की एक नगरवधू विश्व प्रसिद्ध थी जिसे आम्रपाली कहा जाता था। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वृज्जिसंघ की इतिहास प्रसिद्ध राजनृत्यांगना थी। पहले इस मगध पर वृहद्रथ के वीर पराक्रमी पुत्र और कृष्ण के दुश्मनों में से

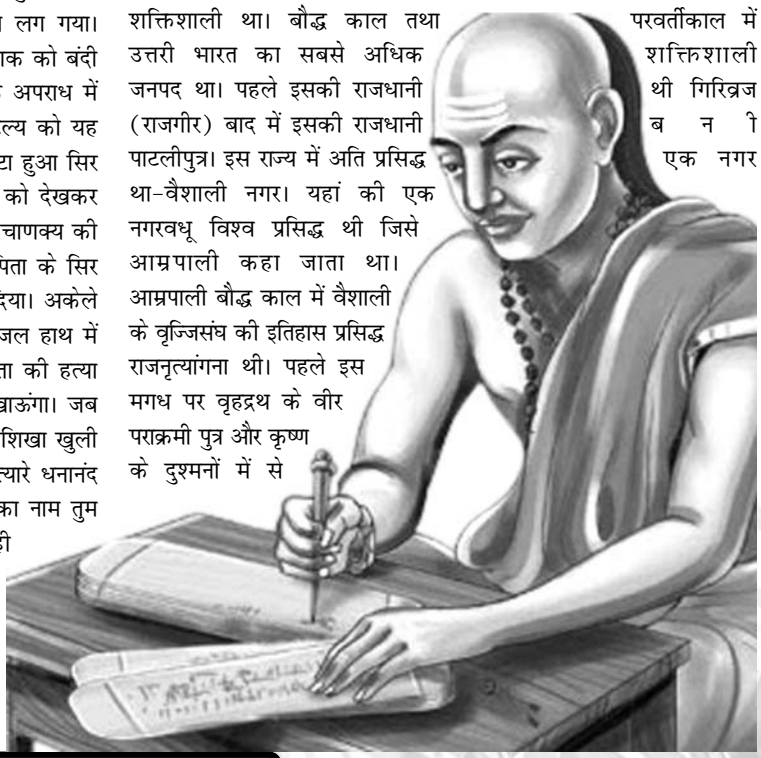

-: चाणक्य की विचारधारा :-

- ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए।
- वन की अग्नि चन्दन की लकड़ी को भी जला देती है अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते है।
- शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें।
- सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता।
- एक ही देश के दो शत्रु परस्पर मित्र होते है।
- आपातकाल में स्नेह करने वाला ही मित्र होता है।
- एक बिगड़ैल गाय सौ कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात एक विपरीत स्वाभाव का परम हितैषी व्यक्ति, उन सौ लोगों से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते है।
- आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दु:ख ही देता है।
- अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है।
- सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है।
- सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है।
- ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुँए से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते है।
- जो जिस कार्ये में कुशल हो उसे उसी कार्ये में लगना चाहिए।
- कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दु:ख पहुंचाती है।
- शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करे।
- कभी भी अग्नि, गुरू, ब्राह्मण, गौ, कुमारी कन्या, वृद्ध और बालक पर पैर न लगाये। इन्हें पैर से छूने से आप पर बदकिस्मती का पहाड़ टूट सकता है।
- कहा जा सकता है कि ऋण मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि जीवन में खुशहाल रहना है तो ऋण की एक फूटी कौड़ी भी पास नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य सबसे दुखी भूतकाल और भविष्यकाल की बातों को सोचकर होता है। केवल वर्तमान के विषय में सोचकर अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है।
- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त होती है क्योंकि एक दिन सुंदरता और जवानी छोड़कर चली जाती है परन्तु शिक्षा एक मात्र ऐसी धरोहर है जो हमेशा उसके साथ रहती है।
- व्यवसाय में लाभ से जुड़े अपने राज किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करना आर्थिक दृष्टी से हानिकारक हो सकती है। अत: व्यवसाय की वास्तविक ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखें तो उत्तम होगा।
- किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर अपने आप से जरुर कर लें कि- क्या तुम सचमुच यह कार्य करना चाहते हैं? आप यह काम क्यों करना चाहते हैं? यदि इन सब का जवाब सकारात्मक मिलता है तभी उस काम की शुरुआत करनी चाहिए।

एक जरासंध का शासन था, जिसके संबंध यवनों से घनिष्ठ थे। जरासंध के इतिहास के अंतिम शासक निपुंजय की हत्या उनके मंत्री सुनिक ने की और उसका पुत्र प्रद्योत मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। प्रद्योत वंश के 5 शासकों के अंत के 138 वर्ष पश्चात ईसा से 642 वर्ष पूर्व शिशुनाग मगध के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। मगध के राजनीतिक उत्थान की शुरुआत ईसा पूर्व 528 से शुरू हुई, जब बिम्बिसार ने सत्ता संभाली। बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु ने बिम्बिसार का कार्यों को आगे बढ़ाया। अजातशत्रु ने विज्यों (वृज्जिसंघ) से युद्ध कर पाटलीग्राम में एक दुर्ग बनाया। बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा और शोन के तट पर मगध की नई राजधानी पाटलीपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए नंद वंश के प्रथम शासक महापद्म नंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और मगध साम्राज्य के अंतिम नंद धनानंद ने उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता संभाली। बस इसी अंतिम धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य ने शपथ ली थी। हलांकि धनानंद का नाम कुछ और था, लेकिन वह धनानंद नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। उधर, विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और इधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है।

गौरतलब हो कि चाणक्य के पिता चणक के मित्र शकटार के द्वार पर एक रात्रि एक बेहद वृद्ध भिक्षु आकर रुकता है और द्वारपाल से कहता है कि जाओ शकटार से कहो कि 'कौटिल्य' आया है आपसे मिलने। चाणक्य ने वेश बदल लिया था। चाणक्य जानते थे कि इस वक्त राजा के सैनिक विष्णुगुप्त को खोज रहे हैं और कौटिल्य नाम से केवल शकटार ही जानते थे। यह अजीब संयोग ही था कि पिता के साथ हुई घटना कौटिल्य दोहरा रहा था। उसके पिता ने भी इसी तरह रात्रि में शकटार से मंत्रणा की थी और बाद में उनका सिर कलम कर दिया गया था। शकटार को जब यह पता चला तो वे चौंक गए और फिर सहज भाव से कहा-आने दो उसे भीतर। भीतर जब कौटिल्य पहुंचे तो शकटार ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी ने देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। चाणक्य ने कहा कि कुछ नहीं होगा तुम निश्चिंत रहो। चाणक्य ने शकटार के रथ में बैठकर अपने नगर का भ्रमण किया। राजमहल भी देखा और राजदरबार की व्यवस्था भी देखी। उस समय राजदरबार में नर्तकियां नृत्य कर रही थीं। इसके बाद राज्य की साप्ताहिक समीक्षा की कार्रवाई शुरू हुई। विष्णुगुप्त से यह सब नृत्य और राजा की चाटुकारिता देखी नहीं गई और रोष में भरकर वे दरबार के मध्य में आ गए। इस अज्ञात ब्राह्मण को देख सभी चौंक गए। सांवला लेकिन तेजयुक्त शरीर, केशहीन सिर पर खुली हुई शिखा, गले में रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत आदि देख राजा भी चौंका और संभलकर प्रश्न किया-'क्या बात है ब्राह्मणदेव! आप कौन हैं? कहां से आए हैं?' चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को खूब खरी-खोटी सुनाई।

नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद

धनानंद के दरबार में चाणक्य का अपमान

विष्णुगुप्त की बात सुनकर राजा भड़क गया और उसने कहा-इस मूर्ख ब्राह्मण को कौन लाया है यहां पर? तब शकटार खड़े हुए और उन्होंने कहा-महाराज क्षमा! मैं तक्षशिला के मार्तण्ड ब्राह्मण को आपके यहां लाया था। इन्हें आचार्य विष्णुगुप्त कहते हैं जिनके ज्ञान की चर्चा दूर-दूर तक है और जो रसायन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र आदि के प्रकांड विद्वान हैं।

एक दूसरी घटना यह भी है कि मगध राज्य में किसी यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ में चाणक्य भी पहुंचे और जाकर एक प्रधान आसन पर बैठ गए। वहां मौजूद महाराज नंद ने उन्हें आसन पर बैठे देख चाणक्य की वेशभूषा को लेकर उनका अपमान किया और उन्हें आसन से उठने का आदेश दिया। चाणक्य को कुरूप और शक्तिहीन काला ब्राह्मण कहकर राजा धनानंद ने उपहास किया। राजा के उपहास उड़ाने के साथ ही सभी चाटुकारी दरबारी भी जोर-जोर से हंसने लगते हैं। इसी बात से क्रोधित होकर चाणक्य ने पूरे सभा के बीच नंदवंश के राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने राजा से कहा कि व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर बैठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई भी ऊंचा नहीं हो जाता है। उन्होंने धनानंद को श्राप दिया कि वह उसके राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेगे। इसके बाद धनानंद ने चाणक्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। परंतु, चाणक्य धनानंद के पुत्र पब्बता की मदद से बच निकले।

बहरहाल, शकटार और चाणक्य के बीच धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने पर विचार-मंत्रणा हुई। तब चाणक्य ने कहा कि हमें मगध के भावी शासक की खोज करनी होगी। बड़े सोच विचार के बाद इस दौरान शकटार ने बताया कि एक युवक है, जो धनानंद के अत्याचारों से त्रस्त है। उसका नाम है-चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मुरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण घनानंद ने मुरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन शकटार और चाणक्य ज्योतिष का वेश धरकर उस जंगल में पहुंच गए, जहां मुरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले-भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरु हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन।

आचार्य चाणक्य, धनानंद के राज्य से निकलकर जंगल में चले गए। वहां पर उन्होंने एक तकनीक का उपयोग करके 800 मिलियन से ज्यादा सोने के सिक्के बना लिए थे। यह तकनीक उन्हें 1 सिक्के को 8 सिक्कों में बदल कर देती थी। इन सिक्कों को छुपाने के बाद, वे एक योग्य व्यक्ति की तलाश में लग गए जो धनानंद के बाद राजा बन सके। उन्होंने एक दिन देखा कि एक चंद्रगुप्त नाम का लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साथी दोस्तों को आदेश दे रहा है। हालांकि, चंद्रगुप्त शाही परिवार में जन्मा था। उसके पिता का युद्ध में देहांत हो गया था। तो देवताओं ने उसकी माता को कहा था कि चंद्रगुप्त को त्याग दो। चंद्रगुप्त को एक शिकारी ने अपने यहां रख लिया और उसे काम के बदले में पैसा दे दिया करता था। चंद्रगुप्त वहीं अन्य शिकारियों के लड़कों के साथ खेला करता था। तो चाणक्य चंद्रगुप्त के आदेशात्मक कार्यों से प्रभावित होकर अपने साथ

बालक चंद्रगुप्त को युद्धकला सिखाते आचार्य चाणक्य

चंद्रगुप्त मौर्य

मिलाने की सोची। उन्होंने उस शिकारी को एक हजार सोने के सिक्के दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर चले गए। दूसरी ओर धनानंद का पब्बता नाम का पुत्र था जो राजा बनना चाहता था परंतु, अपने पिता धनानंद के साथ रहना नहीं चाहता था। आचार्य चाणक्य ने इस चीज का फायदा उठाया और अपने साथ उसे मिला लिया। अब चाणक्य के पास दो शिष्य हो गए थे-चंद्रगुप्त और पब्बता। चाणक्य को दोनों शिष्यों में से एक को उन्हें चुनना था, जो धनानंद के बाद राजा बन सके। आचार्य चाणक्य ने दोनों को गले में डालने के लिए एक-एक धागा दिया था। जब चंद्रगुप्त सो रहा था तो चाणक्य ने पब्बता को बुलाया और कहा कि इस धागे को चंद्रगुप्त को बिना जगाए उसके गले से बाहर निकाल लो। इसमें वह सफल नहीं हो सका। यही प्रक्रिया चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ भी की। जब पब्बता सो रहा था तो उन्होंने चंद्रगुप्त को बुलाया और उस धागे को पब्बता के गले से बिना जगाए निकालने के लिए कहा। चंद्रगुप्त ने पब्बता के सिर को काट कर उस धागे को निकाल लिया। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजकीय कार्यों के लिए तैयार किया। उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। जब चंद्रगुप्त बड़ा हो गया तो चाणक्य ने सेना बनाने के लिए उन सोने के सिक्कों को निकाल लिया। चाणक्य ने गांव-गांव जाकर लोगों को चंद्रगुप्त की सेना

-: कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्य हैं :-

☞ **सुरक्षा सम्बन्धी कार्य :-** वाह्य शत्रुओं तथा आक्रमणकारियों से राज्य को सुरक्षित रखना, आन्तरिक व्यवस्था न्याय की रक्षा तथा दैवी (प्राकृतिक आपदाओं) विपत्तियों- बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, आग, महामारी, घातक जन्तुओं से प्रजा की रक्षा राजा के कार्य हैं।

☞ **स्वधर्म का पालन कराना :-** स्वधर्म के अन्तर्गत वर्णाश्रम धर्म (वर्ण तथा आश्रम पद्धति) पर बल दिया गया है। यद्यपि कौटिल्य मनु की तरह धर्म को सर्वोपरि मानकर राज्य को धर्म के अधीन नहीं करता, किन्तु प्रजा द्वारा धर्म का पालन न किए जाने पर राजा धर्म का संरक्षण करता है।

☞ **सामाजिक दायित्व :-** राजा का कर्त्तव्य सर्वसाधारण के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक व्यवस्था का समुचित संचालन तभी संम्भव है, जबकि पिता-पुत्र, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य आदि अपने दायित्वों का निर्वाह करें। विवाह-विच्छेद की स्थिति में वह स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों पर बल देता है। स्त्रीवध तथा ब्राह्मण-हत्या को गम्भीर अपराध माना गया है।

☞ **जनकल्याण के कार्य :-** कौटिल्य के राज्य का कार्य-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। वह राज्य को मानव के बहुमुखी विकास का दायित्व सौंपकर उसे आधुनिक युग का कल्याणकारी राज्य बना देता है। उसने राज्य को अनेक कार्य सौंपे हैं। जैसे- बाँध, तालाब व सिंचाई के अन्य साधनों का निर्माण, खानों का विकास, बंजर भूमि की जुताई, पशुपालन, वन्यविकास आदि। इनके अलावा सार्वजनिक मनोरंजन राज्य के नियंत्रण में था। अनाथों निर्धनों, अपंगो की सहायता, स्त्री सम्मान की रक्षा, पुनर्विवाह की व्यवस्था आदि भी राज्य के दायित्व थे। इस प्रकार कौटिल्य का राज्य सर्वव्यापक राज्य है। जन-कल्याण तथा अच्छे प्रशासन की स्थापना उसका लक्ष्य है, जिसमें धर्म व नैतिकता का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है। कौटिल्य का कहना है, ''प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की प्रसन्नता है। प्रजा के लिए जो कुछ भी लाभकारी है, उसमें उसका अपना भी लाभ है।'' एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है। ''बल ही सत्ता है, अधिकार है। इन साधनों के द्वारा साध्य है प्रसन्नता।''

इस सम्बन्ध में सैलेटोरे का कथन है, ''जिस राज्य के पास सत्ता तथा अधिकार है, उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी प्रजा की प्रसन्नता में वृद्धि करना है। इस प्रकार कौटिल्य ने एक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को उचित रूप में निर्देषित किया है।''

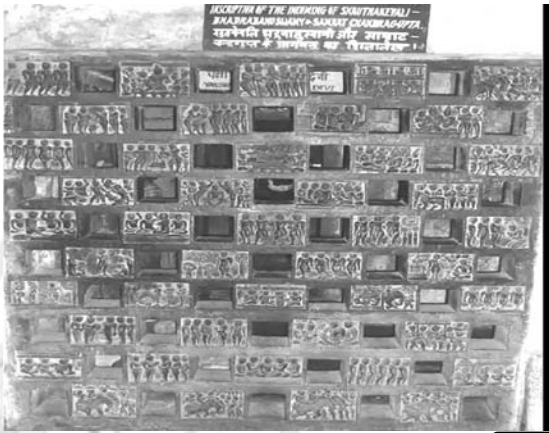

मौर्यकालिन पुरातात्विक अवशेष

से जुड़ने के लिए कहा। जब उनके पास एक बड़ी सेना बन गई तो उन्होंने धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उनकी हार हो गई। जब एक दिन वह गांव में ठहरे हुए थे तो वहां पर उन्होंने एक महिला की बात सुनी जो अपने पुत्र को डांट रही थी। उसका बेटा गरम खिचड़ी को बीच में से खाना चाहता था, जिससे उसका हाथ जल गया। उस महिला ने अपने बेटे को कहा कि तू चाणक्य की तरह मूर्ख है जो किनारों से खाने की बजाए सीधा बीच में से खाना चाहता है। आचार्य चाणक्य को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने उस महिला के पैर छूकर कहा कि माता आपने हमारी आंखें खोल दी। इसके बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धनानंद के राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करके उनको जीत लिया। और ऐसे करते करते उन्होंने धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र को भी जीत लिया और राजा धनानंद को चंद्रगुप्त ने मार दिया। चाणक्य ने एक आदमी को धनानंद के खजाने को ढूंढने के लिए कहा। जैसे ही उन्हें खजाने के बारे में पता चल गया तो चाणक्य ने उस व्यक्ति को मरवा दिया। इससे उनकी कूटनीति का पता चलता है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा दी। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया।

आचार्य चाणक्य हमेशा ही चंद्रगुप्त की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते थे। शत्रुओं के जहर के प्रति इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में कुछ मात्रा में जहर मिला देते थे। चंद्रगुप्त को इस बात का पता नहीं था तो उन्होंने अनजाने में जहर मिला हुआ भोजन अपनी गर्भवती पत्नी दुर्धरा के साथ खा लिया। बच्चे को जन्म देने में 7 दिन बचे थे। उस समय दुर्धरा की मौत हो गई। जब आचार्य चाणक्य को यह बात पता चली तो उन्होंने दुर्धरा के पेट को तलवार से चीरकर भ्रूण को निकाल लिया। उस भ्रूण को हर दिन एक बकरी के गर्भ में रखा जाता था। सात दिन बाद चंद्रगुप्त को पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बिंदुसार रखा गया, क्योंकि उसके शरीर पर बकरी के खून की बूंदों के निशान पड़ गए थे। बताते चले कि चंद्रगुप्त के समय में आचार्य चाणक्य मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बन

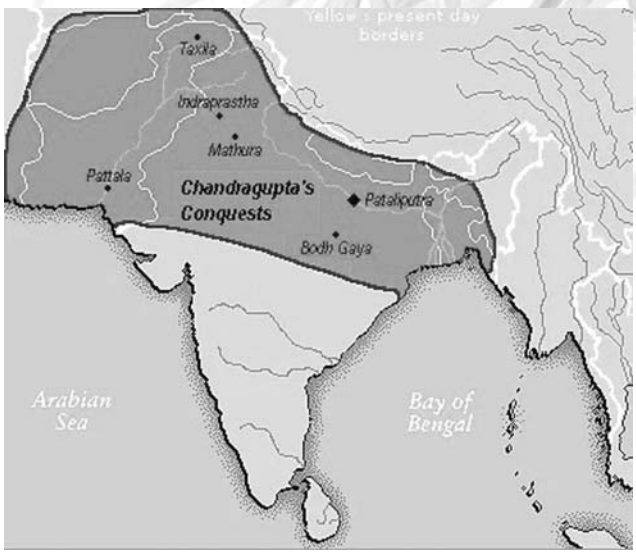

गए। राज्य के कार्यों के निर्णय उनकी सलाह से लिए जाते थे। उन्होंने राज्य में शहरों, गांवों, भवनों को इस तरह से बनाया कि वे साफ-सुथरे तथा शत्रु प्रतिरोधी भी बने। चंद्रगुप्त के महलों के चारों ओर गहरी खाई बनाकर उसमें पानी भर दिया गया। इस पानी में मगरमच्छ छोड़ दिए गए ताकि कोई भी बाहर का इंसान किले की दीवार से चढ़कर अंदर ना आ पाए। राज्य में हर राजकीय कार्यों के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन लगाया गया ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। उन्होंने धनानंद के समय से चलते आ रहे आतंक, विद्रोह, भ्रष्टाचार इत्यादि को खत्म कर दिया। वे चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के समय में भी मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री रहे। परंतु जब बिंदुसार को पता चला कि चाणक्य ने उसकी मां के पेट को चीर दिया था तो बिंदुसार ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। परंतु बाद में जब बिंदुसार को पूरी बात का पता चला तो उन्होंने चाणक्य से विनती की कि वे वापस प्रधानमंत्री बन जाए। परंतु, चाणक्य वृद्ध हो चुके थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया।

बिंदुसार मौर्य

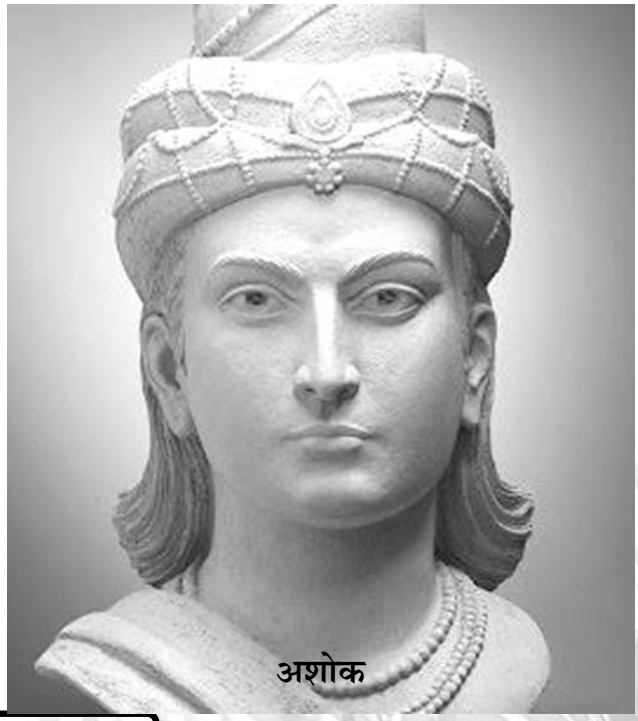
अशोक

प्राचीन भारत में ऐसे-ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए हैं, जो आज भी याद किए जाते हैं। ऐसे ही थे महान आचार्य चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी विख्यात हैं। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 'अर्थशास्त्र' सबसे प्रमुख है। अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं, जिनकी बदौलत उन्हें हमेशा से याद किया जाता रहा है और आगे भी याद किया जाता रहेगा।

चाणक्य के विचारों और संस्कारों से प्रभावित एक चोर ने चोरी करनी छोड़ दी, ऐसी इस घटना का वर्णन सुनने को मिलता है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य की कुटिया पर एक दिन एक महात्मा पधारे। भोजन की बेला थी। आचार्य ने अतिथि से अनुरोध किया कि वह उसके साथ भोजन करें। महात्मा ने अनुरोध सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुटिया के एक कक्ष में रसोई थी। वहां दो महिलाएं खाना बनाने में जुटी हुई थीं। उन्होंने शीघ्रता से भोजन परोसा। भोजन में थोड़े से चावल, कढ़ी और एक सब्जी। महात्मा को बड़ी हैरानी हुई। वह सोचने लगे, मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री के यहां ऐसा भोजन! आखिर वे बोल उठे, 'आप इस बड़े साम्राज्य के निर्माता और शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, फिर भी यह सादा जीवन क्यों बिताते हैं?' आचार्य चाणक्य ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री बना हूं जनता की सेवा के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य की संपत्ति का मैं उपयोग करूं। यह कुटिया भी मैंने अपने हाथों से बनाई है।' महात्मा पूछ बैठे, 'आप अपनी आजीविका के लिए भी कुछ करते हैं?' चाणक्य ने उत्तर दिया, 'हां, मैं भाष्य और पुस्तकें लिखता हूं। मैं प्रतिदिन राज्य के लिए आठ घंटे काम करता हूं। मेरी कोशिश है कि राज्य में कोई दुखी न हो।' महात्मा ने कहा, 'यहां तो कोई दुखी नहीं, पर पास के गांव में गांव वाले बड़े दुखी हैं क्योंकि कोई चोर उनके कंबल चुरा ले जाता है।' आचार्य चाणक्य ने उन दुखी गांव वालों के लिए राजभंडार से कंबल मंगवाए। रात को वे कंबल उनकी कुटिया में ही रखे हुए थे। चोर उन कंबलों का भंडार चुराने के लिए रात को चाणक्य की कुटिया में घुसा। उसने देखा कि प्रधानमंत्री चाणक्य पुराना कंबल ओढ़े सो रहे थे। नए कंबलों का ढेर अलग रखा था। प्रधानमंत्री की स्वार्थहीनता देखकर चोर अपने कार्य पर पछतावा करने लगा। अगले दिन जब गांव वाले जागे, तब उनके कंबल दरवाजों के बाहर पड़े मिले। उस घटना के बाद उस चोर ने हमेशा के लिए

कौटिल्य ने विदेश सम्बन्धों के संचालन हेतु छः प्रकार की नीतियों का विवरण दिया है :-

- संधि शान्ति बनाए रखने हेतु समतुल्य या अधिक शक्तिशाली राजा के साथ संधि की जा सकती है। आत्मरक्षा की दृष्टि से शत्रु से भी संधि की जा सकती है। किन्तु इसका लक्ष्य शत्रु को कालान्तर निर्बल बनाना है।
- विग्रह या शत्रु के विरुद्ध युद्ध का निर्माण।
- यान या युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी।
- आसन या तटस्थता की नीति।
- संश्रय अर्थात् आत्मरक्षा की दृष्टि से राजा द्वारा अन्य राजा की शरण में जाना।
- द्वैधीभाव अर्थात् एक राजा से शान्ति की संधि करके अन्य के साथ युद्ध करने की नीति।

कौटिल्य के अनुसार राजा द्वारा इन नीतियों का प्रयोग राज्य के कल्याण की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए।

चोरी छोड़ दी।

बहरहाल, आचार्य चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 375 में हुआ था जबकि मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई थी, यह आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। उनकी मृत्यु के संदर्भ में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कौन सी कहानी सच है, यह कोई नहीं जानता। पहली कहानी ये है कि एक दिन चाणक्य अपने रथ पर सवार होकर मगध से दूर किसी जंगल में चले गए और उसके बाद वो कभी लौटे ही नहीं। चाणक्य की मृत्यु के संबंध एक कहानी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो ये है कि उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। एक और कहानी ये है कि राजा बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा ही जला दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। हालांकि इनमें से कौन सी कहानी सच है, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है।

जब तक चंद्रगुप्त जैन धर्म में परिवर्तित नहीं हो गए और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन नहीं त्याग दिया, तब तक चाणक्य ने अपने राजा की सेवा की। यह सुनिश्चित करने के बाद कि बिंदुसार का शासन स्थिर है, चाणक्य ने उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में अर्थशास्त्र के साथ छोड़ दिया। चाणक्य को एक आत्महीन भौतिकवादी के रूप में देखा जा सकता है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने लाभ के लिए जो कुछ भी है उसका उपयोग करता है या एक प्रबुद्ध व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में जो मानता है कि किसी को महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी-कभी अरुचिकर कार्यों में संलग्न होना पड़ता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अर्थशास्त्र के उपदेशों ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना और रख-रखाव को सक्षम बनाया, जिसने पहले इस क्षेत्र में किसी भी साम्राज्य को पीछे छोड़ दिया था और इसे सकारात्मक माना जाना चाहिए। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था और इसने दुनिया को बौद्ध धर्म से परिचित कराया। इसने एक स्थिर राजनीतिक संरचना तैयार की, हालांकि समय के साथ इसमें हाथ बदले, लेकिन अक्सर विचार और विकास की एक सतत वंशावली का नेतृत्व किया। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति जीवन में महान और श्रेष्ठ बनाना चाहता है लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि महान और श्रेष्ठ बनाना इतना आसान नहीं है। चाणक्य की चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति

चाणक्य गुफा, पटना

चाणक्य जी की पुरातात्विक मुर्ति

को जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को सीख मिले। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने कार्यों को मानव कल्याण के लिए समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति जीवन में महान और श्रेष्ठ बनने की योग्यता रखता है। झूठ और दिखावा करने वाले व्यक्ति कभी भी महान और श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं कि ऐसे लोगों के कार्यों में स्वयं का निजी स्वार्थ छिपा होता है। चाणक्य एक शिक्षक होने के साथ-साथ एक श्रेष्ठ विद्वान भी थे। चाणक्य की चाणक्य नीति व्यक्ति को जीवन में सफल बनाने के लिए प्रेरित करती है। सफल बनाने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर कुछ विशेषताओं को विकसित करना होता है, ये विशेषताएं ही व्यक्ति को महान और श्रेष्ठ बनाती है। वही जीवन में अनुशासन नहीं तो सफलता नहीं। चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति का जीवन अनुशासित नहीं है वह कभी सफल नहीं हो सकता है। सफल होने की प्रथम शर्त अनुशासन है। सभी कार्यों को जो व्यक्ति अनुशासन में रहकर कार्य पूर्ण करता है, वह सफलता को प्राप्त करता है। अनुशासन से तात्पर्य व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या से भी है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आज के कार्यों को कल पर टालता है।आलस का त्याग नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति से सफलता, श्रेष्ठता और महानता कोसों दूर रहती हैं। जीवन में स्वार्थी न बनें। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सदा अपने बारे में सोचता है। हमेशा अपने लाभ को लेकर गंभीर रहता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ और महान नहीं बन पाते हैं। श्रेष्ठ और महान बनने के लिए पहली शर्त 'त्याग' है। जो व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को त्यागने की क्षमता और हृदय में मानव जाति के कल्याण की भावना रखता है। ऐसा व्यक्ति सभी गुणों से पूर्ण होता है। समाज ऐसे लोगों का अनुशरण करता है। ऐसे लोग समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। चाणक्य के अनुसार लालच ही व्यक्ति को स्वार्थी और अन्य प्रकार के अवगुणों से युक्त बनाता है। लोभ की भावना व्यक्ति इस तरह से फंस जाता है कि वह अच्छे और बुरे का भेद भी नहीं समझ पाता है। ऐसे लोग एक प्रकार के भम्र में जीते हैं। चाणक्य के अनुसार जब यह भ्रम टूटता है तो ऐसे लोग अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करते हैं, इसलिए 'लालच का त्याग' करें।●

चाणक्य

हिमालय जिसके उत्तर और दक्षिण में सागर, भूमि थी रही सदा ज्ञान परंपरा धरकर।
संस्कृति थी रही जहाँ स्वयं विश्व प्रभाकर, जहाँ थे रहे ऋषि संग श्रेष्ठ धनुर्धर।
राजतंत्र सहित गणतंत्र जहाँ पर, थी खंडों में बंटी विस्तृत भू-भाग पर।
स्थापित थी शांति उसमें महाभारत अग्रेतर, थे कथित विद्वेष भी धर्म मार्गेतर।

पर यवन योद्धाओं का स्कंधावर, था निकट भूमि के लिए लिए संकट धर।
थे बढ़ रहे वीर अल्क्षेन्द्र के ध्वज तर, विश्व विजय की कामना लेकर।
पदाक्रांत यूरोप, फारस संग उत्तर कर, बढ़ रहा समूह था भारत लक्षित कर।
देता सीमांत प्रहरी तक्षशिला प्रत्युत्तर, कर चुके थे संधि महाराजा आंभि पर।

होगा क्या हश्र मातृभू के पग-पग पर, विचलित हो उठे तक्षशिला के एक आचार्य चिंता कर।
आचार्य थे अर्थशास्त्र के बड़े द्रष्टा पर, नाम चाणक्य था मगध में पाटलिपुत्र था मूल घर।
तक्षशिला की स्थिति देखकर, और मगध का निज मूल स्मरण कर।
किया जब निराश राजवंश ने स्वार्थ धर, राष्ट्र-रक्षण दायित्व ग्रहण किया आचार्य ने स्वयं कंधों पर।

हुए गतिमान मगध की ओर संकल्प कर, मनाने धनानंद को भारत सीमांत रक्षण विषय पर।
बाल्यकाल की कटु स्मृतियाँ भूलकर, पैतृक अपमान भी राष्ट्र से लघुतर समझकर।
पहुंच गए निस्वार्थ पाटलिपुत्र राजप्रासाद द्वार पर, किया आह्वान मगध नरेश से हाथ जोड़कर।
करो रक्षण हे समर्थ तुम जानकर, मातृभू हो सकती प्रताड़ित शीघ्र ही यवनों के पदतर।

पर अभिमानी धनानंद ने दृष्टि संकुचित कर, कर दिया याचक आचार्य का तिरस्कार पर।
द्रवित आचार्य को महल से बाहर कर, कहा देख लेंगे शत्रु को जब आएगा मगध के समीपतर।
राष्ट्र पर आसन्न संकट को देखकर, मगध के विशाल सैन्य सामर्थ्य को समझकर।
लिया संकल्प आचार्य ने तब शिखा धर, मगध ही करेगा राष्ट्र रक्षण अखंड भारत को एक कर।

हटेगा नंद वंश का मूर्ख धनानंद पर, नव वहन करेगा सम्राट राष्ट्र मगध केन्द्र पर।
चिंतन संग जब बढ़े आचार्य नगर सीमा पर, दिखे बालक खेलते राष्ट्र-रक्षण क्रीड़ा कर।
अखंड भारत का था वहाँ भावी शासक, दृष्टि संपूर्ण राष्ट्र प्रति बचपन से ही धर।
पहचाना द्रष्टा ने सामर्थ्य देखकर, गोत्र-मूल भला करती कहाँ अवरोध वहाँ पर।

प्राचीन काल से बृहत्तर दृष्टि धारण कर, जब हुआ कोई संकल्पित बिहार की धरती पर।
परिवर्तित हुआ है अकल्पित तब-तब धरा पर, चाणक्य ने किया सिद्ध यहीं पर।
एक बालक के संग यात्रा कर, पहुंचे पश्चिमोत्तर भारत सीमा पर।
पंचनद में पर्वतेश्वर संग भीषण युद्ध कर, जब हो उठा था विचलित यवन स्कंधावर।

तब साथियों संग आचार्य के दूतों ने पहुंचकर, किया मगध सामर्थ्य का गान समय पर।
भयभीत हो उठे सभी सैनिक तब सोचकर, भला कहाँ बचेंगे मगध का सामना कर।
युनान में निज परिवारों को स्मरण कर, हुआ उद्घोषित विद्रोह का तब स्वर।
कर न सके कुछ कितना भी समझाकर, रहे दिवसों तक शिविर में अल्क्षेन्द्र पर नहीं माना स्कंधावर।

लौट गए अल्क्षेन्द्र युनान की ओर अग्रसर, पहुंच न सके मगर निज राष्ट्र धरा पर।
जब लगा तीर सैंधव का यवन सीने पर, प्रारंभ हुआ था वहीं से भीषण ज्वर।
आचार्य हुए संलग्न राष्ट्र निर्माण पर, चंद्रगुप्त बना साम्राज्य निर्माता अखंड भारत की धरा पर।
हुए थे जहाँ तिरस्कृत राजद्वार पर, कुटिया में ही रहे आचार्य निस्वार्थ वहीं जीवन भर।

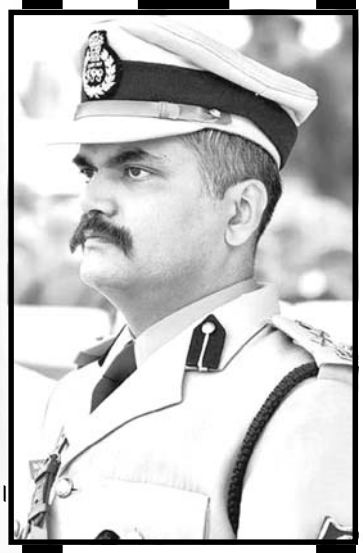

विकास वैभव
IG (IPS)

मगध साम्राज्य को उत्कर्ष तक पहुंचाने में आचार्य कौटिल्य की अहम भूमिका

● डॉ० विनोद कुमार जायसवाल

मगध साम्राज्य को उत्कर्ष तक पहुँचाने और एकीकृत भारतवर्ष के निर्माण में अहम भूमिका निर्वहन करने वाले आचार्य कौटिल्य भारतीय इतिहास में किवदंती बन गए। जिन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम व अपने कूटनीति से मगध के नन्द राजवंश का समूल नाश कर मौर्य राजवंश की नीवं रख मगध को भारतीय राजनीति का केंद्र स्थापित किया और यह मगध दीर्घ काल तक भारतीय राजधानी बनी रही, जहाँ से मगध (आधुनिक बिहार) अंतराष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर बैराज्य धर्मराज्य गणराज्य व एकराष्ट्र के रूप में पथ प्रदर्शित भी किया। आचार्य चाणक्य अथवा कौटिल्य गौरवमयी भारतीय इतिहास के महान न्यायप्रिय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के निर्माता, गुरु एवं मंत्री-पुरोहित थे जिनके अनेक नामोल्लेख प्राप्त होते है। हेमचंद्र की कालजयी रचना अभिधान चिन्तामणि में-वात्स्यायन, मल्लिनाग, कुटल, चाणक्य, द्रामिल, पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्त व अंगुल नाम प्राप्त होते है, वस्तुतः इनका व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त, कुटल गोत्र में उत्पन्न होने के कारण कौटिल्य, पिता का नाम चणक होने के कारण चाणक्य नाम से ख्यातिलब्ध हुए। आचार्य कौटिल्य ने अपनी सृजन शक्ति का अद्भुत परिचय देते हुए 'अर्थशास्त्र' नामक अद्वितीय कृति की रचना की जो अपने युग के लिए हीं नहीं अपितु प्रत्येक युगों व प्रत्येक राष्ट्र के लिए राष्ट्रोपयोगी है जिसमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, नीतिगत, खनन से लेकर न्याय व्यवस्था तक, राजा के कर्तव्य से लेकर उनके चुनने की सर्वोपधा शुद्ध प्रक्रिया तक, अंतरराष्ट्रीय नीति जिसे हम 'सप्तांग सिद्धांत' कहते है। सबकुछ प्राप्त होता है। इस कालजयी रचना ने आने वाले सभी भारतीय शासकों सहित शासन पद्धति हेतु रचना करने वाले रचनाकारों के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया, कामन्दक अपने नीतिसार में आचार्य विष्णुगुप्त व उनकी कृति के बारे में कहतें है कि 'वज्र के समान ज्वलंत तेज से युक्त जिसके अभिचार वज्र के आघात द्वारा श्रीसंपन्न व सुदृढ़ नन्दरूपी पर्वत जड़ से उखड़ कर गिर गया, जिस परम शक्तिशाली ने अकेले हीं अपनी मंत्रशक्ति द्वारा मनुष्यों में चंद्र के समान चंद्रगुप्त को राज्य दिलवा दिया और जिसने अर्थशास्त्र रूपी महासमुद्र से नीतिशास्त्र रूपी अमृत को प्राप्त कराया, उस विष्णुगुप्त को नमस्कार है। अपने युग परिवर्तित ग्रंथ में कौटिल्य ने सहज सुगम व बोधपरक ढंग से अनेकानेक उदाहरणों के माध्यम से इसके

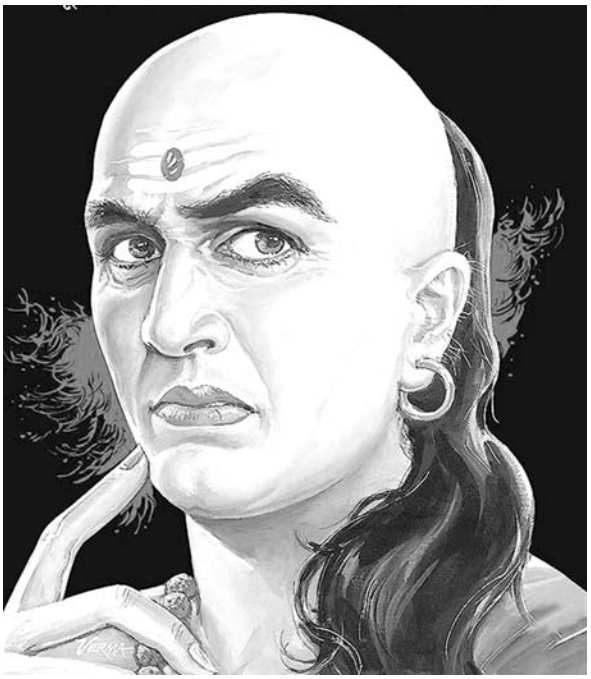

तत्व, अर्थ और पद सुनिश्चित किया है, जिसमें तनिक भी व्यर्थ का विषय डालकर विस्तार देने का कार्य नहीं किया है।

'सुखग्रहणविज्ञेयं तत्त्वार्थपदनिश्चितम्'। कौटिल्य का कार्य कृति चंद्रगुप्त को केवल ध्यान में रखकर उसे मात्र राजा बनाने के लिए नहीं था अपितु भारतवर्ष को एकीकृत करके एक सुशासन स्थापित कर भारतमाता की रक्षा व उसके पोषण हेतु न्यायप्रिय राजा को स्थापित करना था जिसके लिए यदि राजा को भी अनुचित कार्य करने या राष्ट्र-राज्य व प्रजा कल्याण में अपना सर्वस्व न लगाने पर उसकी आलोचना व दण्ड का भी विधान बनाया, अतः इसने राजा को कर्तव्य का पाठ भी कौटिल्य ने पढ़ाया है ताकि राजा अपने मार्ग से विचलित व किंकीतविमूढ़ न हो सके। अतः दण्ड व न्याय सबके लिए सुनिश्चित किया था। जिसके लिए कौटिल्य कहता है कि राजा को मध्याह्न के भोजन के पश्चात इतिहास-पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र इत्यादि विषयों का श्रवण करे और उसे इतिहास पुराण के ज्ञाता को एक हजार पण (तत्कालीन मुद्रा) के रूप में देकर नियुक्त करे। कौटिल्य व कौटिल्य की कृति को कालांतर के संस्कृत के आचार्यों एवं साहित्यकारों ने भी अनुशीलन कर अपनी रचनाओं मे उधृत किया है जैसे महाकवि दण्डी के दशकुमारचरित में 'सत्यमाह चाणक्यः' कहकर उनकी बातों को लेकर निर्देशित किया गया है, मल्लिनाथ ने अपने रघुवंश - टीका में 'अत्र कौटिल्यः' , विशाखदत्त अपनी कृति मुद्राराक्षस नाटक में 'विजिगीषुरात्मगुण संपन्न : प्रियहितद्वारेणाश्रयणीय इति' जैसे दण्डनीति विषयक विचार में कौटिल्य की छाया स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। महाकवि वाणभट्ट भी अपनी कादम्बरी ग्रंथ में कौटिल्य शास्त्र का उल्लेख करते है तथा जैनग्रंथ नन्दिसूत्र में। कौडिल्य रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। एक विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जब मिल, मैक्समूलर, रॉथ, विलियम जोन्स जैसे सरीखे अनेक साम्राज्यवादी यूरोपीय विद्वान यह सिद्ध करने में लगे थे कि भारत में कोई राज्य, राजनीतिक व्यवस्था व शासन पद्धति नहीं थी तो 1905 ई. में कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र की जब पांडुलिपि आर. शामशास्त्री को मिली तब इसी को आधार बनाकर राष्टभावी लेखक, कवि, विधिज्ञाता काशी प्रसाद जायसवाल जी ने अपनी कृति हिन्दू पॉलिटी (हिन्दू राजतंत्र) लिखकर सिद्ध किया कि भारत में राज्य व राज्यव्यवस्था जैसी सभी चीजें भारत में स्थापित थी, वैसी रचनाधर्मिता 20 वीं सदी में भी दुनियाँ मे नहीं मिलती। अतः कौटिल्य संपूर्ण विश्व व मानव जाती के लिए आज भी प्रासंगिक है, जिन्हे हमें समय समय पर स्मरण करते रहना चाहिए। क्योंकि कि वह व्यक्ति नहीं अपितु एक विचार है और विचार कभी मरते नहीं है।●

(लेखक इतिहास विद् एवं राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के असिस्टेंट प्रोफेसर, हैं।)

आरक्षण जरूरत या अभिशाप

● नवीन कुमार रौशन/ज्योतिरंजन पाठक

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई का निर्णय लिया गया है । लंबे समय से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण की मांगों को देखते हुए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर 2019 में की गई थी । 8 लाख से कम आय तथा एक निश्चित मात्रा में जमीन का स्वामित्व रखने वाले परिवार के लोग इस आरक्षण के लिए पात्र हैं । परंतु इस आरक्षण की वैधानिकता को चुनौती देने वाली अनेक याचिकायें सर्वोच्च्य न्यायालय में डाली गई थी ,जिन पर सुनवाई होनी है । देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी रोजगार ,सरकारी कंपनियों ऑर शैक्षणिक संस्थाओं में नौकरी तथा सीटों में 49.5 फीसदी आरक्षण प्राप्त है।

जनवरी 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसद ने 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण को मंजूरी दे दी । बहरहाल यदि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण लागू होता है तो संभव है कि सन 1993 में सुप्रीम कोर्ट के नौ न्यायधीशों वाले पीठ के उस निर्णय का उल्लंघन कर दे जिसमें सभी प्रकार के आरक्षण के लिए कुल मिलाकर 50 फीसदी सीमा तय की थी । फिलहाल 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ कई याचिका लंबित हैं । अब सवाल यह है कि देश में आरक्षण की जरूरत है ,जब भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है तो उसे पीछे धकेलने की कोशिश क्यों की जा रही है । अब तो प्रदेशों में भी मूल निवासी के आधार पर 75 प्रतिशत निजी नौकरियों में आरक्षण दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जातिगत आरक्षण या आर्थिक आधार पर आरक्षण ,किसी भी प्रकार के आरक्षण की बात करते हुए यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि क्या आरक्षण अपने उदेशयों में कितना सफल हो रहा है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आरक्षण अस्थायी व्यवस्था के तौर पर शुरू किया गया था ,उसे राजनीतिक हथकंडा तो नहीं बन चुका है ? इसका उत्तर आरक्षण की समीक्षा में निहित है ,जिससे अब तक परहेज किया जाता रहा है । दरअसल आरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में समानता को बढ़ावा देना था तथा निम्न ऑर पिछड़े वर्गों को हर क्षेत्र में समान अवसर मिले । जो आजादी के तत्कालीन सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थितियों के अनुसार ठीक था । परंतु बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि आरक्षण के जरिये किसी निश्चित अवधि में समाज की वंचित जातियाँ समाज के सशक्त वर्गों के समकक्ष आ जाएगी ऑर फिर आरक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। परंतु राज नेताओं के साथ-साथ दलित ऑर पिछड़ा वर्गों को भी आरक्षण की ऐसी लत लगी है और ऐसे में हम सोचते हैं कि दलित वर्ग इस आरक्षण को हटाने की पहल करेगा लेकिन यह संभव नहीं है। जिन्हें वैसाखी की आदत पड़ गई हो, वे कभी नहीं आरक्षण समाप्त करने की बात कहेंगे। अगर आरक्षित वर्ग से देश के राष्ट्रपति ऑर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फिर यह वर्ग पीछे कैसे? आज दलित वर्ग का विकास काफी हो गया है। आज आरक्षण जारी रखने के विरोध में कुछ कहा जाए तो भावनात्मक दलीलें दी जाती हैं कि अनुसूचित जाति-जनजाति ऑर अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ हजारों सालों के भेदभाव को कुछ दशकों में पूरा नहीं किया जा सकता है।

देश में 1960 अनुच्छेद 15 (4) के तहत आरक्षण व्यवस्था शुरू की गई थी तो बाबा साहब ने कहा था कि यह आरक्षण केवल दस वर्षों के लिए होना चाहिए और हर दस साल में यह समीक्षा हो कि जो आरक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं उनकी स्थिति में सुधार हुआ है कि नहीं? अगर आरक्षण से किसी वर्ग का विकास होता है तो इसके आगे की पीढ़ी को इस व्यवस्था का

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही लोगों के लिए 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिलेयर शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि क्रिमिलेयर यानी संवैधानिक पदों पर आसीन पिछड़े तबके के व्यक्ति के परिवार एवं बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। परंतु आज भी सुप्रीम कोर्ट का क्रीमीलेयर का परिभाषा को मानने से इंकार करता है राजनीतिक महकमा। सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सवाल न उठाए इसके लिए आय में भारी मात्रा में इजाफा कर इसकी परिभाषा ही बदल दी गई और देश में आरक्षण के नाम पर जिस तरह से राजनीतिज्ञों व राजनीतिक पार्टियों द्वारा राजनीति की जा रही है, वह बेहद ही चिंताजनक रहा है। अगड़ा-पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के रूप में वर्गिकरण करके खूब वोट बटोरा जा रहा है। पिछले कुछ महीने बिहार के तथाकथित सेकुलर राजनीतिक दलों के द्वारा एक बार भी जातिगत जनगणना के आड़ में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का नाकाम कोशिश किया गया। जिसमें यह कहा गया कि देश में जातीय गणना होना जरूरी है ताकि सरकार जातियों के आधार पर नीतियाँ बना सके। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उनके साथी राष्ट्रीय जनता दल ऑर कांग्रेस सहित तमाम दल फिर से जात के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं और इस बार मुद्दा जातीय गणना ताकि जात के संख्या के आधार पर आरक्षण की संख्या को बढ़ाया जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री के इस असफल कोशिश को देश के तमाम वैसे दल तूल दे रहे हैं जिन्हें लगता है कि आरक्षण के सहारे एक बार फिर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकी जा सकती है। हालांकि फिलहाल जातीय जनगणना को पटना उच्च न्यायालय यह कहकर रोक लगा दी है कि राज्यों को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है यह केंद्र के अधिकार क्षेत्र है। परंतु देश के

जाति के नाम पर खत्म हो आरक्षण, सिर्फ आर्थिक आधार पर मिले : सुप्रीम कोर्ट

कानून बनाकर सिर्फ संसद ही कर सकती है सूची में संशोधन?

तो फिर राज्य से मशविरा क्यों?

ये है मामला

एक ही वर्ग के ड्राइवर और जज में समानता कैसे?

अन्य राज्यों के तथाकथित सेकुलर दलों के तरफ से जातीय गणना की मांग उठने लगी है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अगर जातीय आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो जातीय जनगणना की मांग भी नहीं होती क्योंकि जातीय जनगणना के मूल में जातीय आरक्षण है।

अब सवाल तो यह उठता है कि एक तरफ सरकारें जातीय व्यवस्था को ध्वस्त करने की बात करती है वहीं दूसरी तरफ जातीय आधार पर गणना कर उनके लिए आरक्षण देने की भी बात कर रही है तो ऐसे में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना सरकार का दिखावा मात्र है। अब समाज बदल चुका है। लोग जाति ऑर संप्रदाय से ऊपर उठ रहे हैं ऐसे में जातीय आरक्षण के बजाय आरक्षण का आधार आर्थिक हो तो समाज में एकरूपता आएगी। यह बात आसानी से समझा जा सकता है कि आज भारत तेजी से बदल रहा है जहां दलितों को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है ऑर देश में पहले जैसा भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर हम भेदभाव की बात करें तो प्राचीन समय से दलितों के साथ तथाकथित अत्याचार की घटना को इस ढंग से प्रचारित किया गया है कि दलित स्वर्णों द्वारा प्रताड़ित होते आएं हैं । हालांकि सच्चाई नहीं है । दशकों पहले एक दो घटनाओं को उल्लेख कर पूरा स्वर्ण समाज को बदनाम करने की कोशिश की गयी है। यह सही है कि कथित निम्न जातियों के कुछ लोग आज भी अक्षम हैं और विपणन होकर जी रहे हैं ,लेकिन इन जातियों में अब भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर तरह से सशक्त हो चुके हैं। सवर्ण जातियों में ऐसे लोग हैं जो दरिद्रता के साथ जीने को मजबूर हैं। अगर आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है तो एक बात तो तय है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सबल होता है वह सामाजिक रूप से सशक्त हो जाता है। ऐसे में उच्च जातियाँ भी इस आरक्षण की भेदभाव का शिकार हो रही है, जो असंवैधानिक है। वास्तव में आज इस बात की पुख्ता तौर पर जरूरत महसूस होती है कि आरक्षण की समीक्षा हो तो उसका हानि-लाभ का आकलन कर इसके वर्तमान स्वरूप को कायम रखने का या न रखने का निर्णय लिया जाए। आज समय की जरूरत है कि आरक्षण की वर्तमान जाति आधारित व्यवस्था की समीक्षा की जाए ,ताकि सही मायने में भेदभाव को मिटाया जा सके और जातिगत आरक्षण जो देश में राजनीतिक हथियार मात्र बनकर रह गयी है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। ●

मोदी बनाम 15 पार्टियां

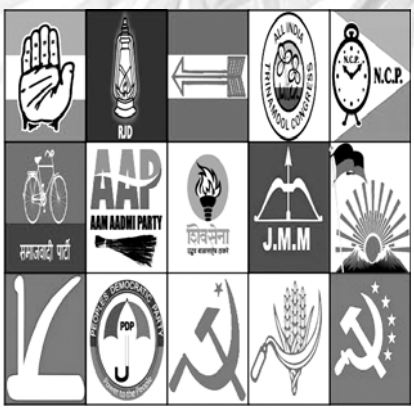

विपक्ष ने माना अकेले मोदी को हराना नामुमकिन

नरेन्द्र दामोदर दास मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

2024 और 272 कैसे आयेगा को लेकर चाणक्य की धरती पाटलिपुत्र (पटना) में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में मंथन बैठक हुआ है और सभी ने यह बात स्वीकार भी किया है की अकेले किसी भी पार्टी के भीतर भाजपा यानि की नरेन्द्र मोदी को हराना संभव नहीं है, इसलिए त्याग के भावना से एकजुट होकर मोदी हटाओ अभियान में संघर्ष करना होगा। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ उसके बाद से पूरे देश में परिवारवाद वाली पार्टी खुद को जब-जब लाचार समझती है वह चुनाव के वक्त महागठबंधन में शामिल हो जाती है ताकि उनका राजनीतिक भविष्य स्वाहा होने से बच जाये लेकिन चुनाव में करारी हार मिलने के बाद वह एकजुट नहीं रहती और सामूहिक राजनीति नहीं कर पाती। 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी भारत देश को उसी आधार पर 23 जून 2023 को 15 पार्टियां मिलकर मोदी को प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठने देंगे की बैठक की। लोकतंत्र की जननी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए एवं यूपीए दोनों के साथ गठबंधन की राजनीति करके सत्ता का सुख भी ले चुके हैं और अब उनकी महत्वकांक्षा 2024 में प्रधानमंत्री बनने की है की बाते लगातार जनता एवं भाजपा के गलियारें में हो रही है परन्तु नीतीश कुमार यह जानते हैं कि बिहार से जितनी सीट उनको आयेगीं उसके दम पर पीएम नहीं बन सकते। सवाल यह भी है कि आखिरकार विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस घुटने टेकने को विवश है क्योंकि राहुल गाँधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव नहीं लड़ना चाहती। सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल मोदी कर रहे हैं तथा बेरोजगारी की समस्या पर उनका ध्यान नहीं है और तो और भारत देश के भीतर सनातन धर्म को (हिन्दू राष्ट्र) की राजनीति करके देश को टूकड़ों में बांट रहे हैं। वहीं भाजपा को राम मंदिर, धारा-370, एनआरसी/सीएए, आर्थिक मजबूती, विदेशों में भारत का बढ़ता वर्चस्व, कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं स्थिर सरकार को 2024 में बनने के बाद ही हिन्दू मजबूत रह पायेगा की राजनीति के दम पर पुनः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुमत में सरकार बनायेंगे का प्रचार कर रहे हैं। अब जनता 2024 में हिन्दू बनाम ऑल यानि की मोदी बनाम विपक्षी पार्टियां में किसको तब्बजों देगी उसकी पड़ताल करती

संपादक ब्रजेश मिश्र के साथ अरूण बंका की रिपोर्ट:-

राहुल गाँधी
प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर भी प्रश्न

ममता बनर्जी
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
टीएमसी

अरबिन्द केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली
आप

हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखंड
झामुमो

गाँधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे की राजनीति की मंथन बैठक पटना में 23 जून 2023 को की गई। 15 पार्टियां और सबके अलग-अलग विचार होने के बाद भी सबका एक कॉमन एजेंडा 2024 में मोदी का प्रधानमंत्री के पद से रोकने का रहा लेकिन नेता कौन होगा इस गठबंधन का फैसला आने वाले बैठकों में तय किया जायेगा की राजनीति की कूटनीति हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्षी दल ने विपक्षी एकता को तैयार किया था उस वक्त जदयू एनडीए में शामिल थे और राजद कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और जीरो पर आउट हो गयी थी और सबसे अधिक 303 सीट से भाजपा ने परचम लहराया था। वैसे तो सभी 15 पार्टियां यह कहती है की विचारधारा की लड़ाई है तथा लोकतंत्र बचाना है ताकि राजनीति के सिद्धान्त को बचाया जा सके लेकिन सवाल यह भी उठता है कि 15 पार्टियों में से अधिकांशत: परिवारवाद की राजनीति करती है इससे यह खुद सभी पार्टियां इंकार नहीं कर सकती और तो और सभी ने कांग्रेस का विरोध करके ही सत्ता में आई है तथा अपनी कुर्सी की कुर्बानी नहीं हो उसी कांग्रेस के साथ मोदी को हराने की कूटनीति की राजनीति करते दिख रहे हैं। बिहार के चाणक्य की उपाधि लिए घुमने वाले लालू प्रसाद यादव के आंख के सामने ही नीतीश

2024 में नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना महागठबंधन का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि जनता 272 का आंकड़ा जिसको पार कराती है वह प्रधानमंत्री बनेगा। विपक्ष की 15 पार्टियां मिलकर कमल के फूल को धूल में मिलाना चाहती है लेकिन 10 वर्षों की स्थिर सरकार में भारत की आवाम को पूर्ण भरोसा दिखता है। 23 जून 2023 को राजनीतिक

पार्टी	लोकसभा	राज्यसभा
01. कांग्रेस	52	31
02. टीएमसी	22	13
03. आप	01	10
04. जदयू	18	05
05. सपा	05	03
06. झामुमो	01	02
07. शिवसेना	06	03
08. एनसीपी	05	04
09. भाकपा	02	02
10. माकपा	03	05
11. राजद	00	06
12. माले	00	00
13. डीएमके	24	10
14. पीडीपी	02	00
15. नेकां	03	00

महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की चाह रखते हैं ने 15 पार्टियों की बैठक पटना में आयोजित की लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा की बात पर सहमति नहीं बनी। लेकिन राहुल गाँधी ने भावना में भटककर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना दिया तो भाजपा के साथ 15 पार्टियां भी कांग्रेस को भारत में कांग्रेसमुक्त बना देगी। सभी ने यह स्वीकार भी किया है की अकेले कोई पार्टी मोदी को चुनाव नहीं हरा पायेगी। भाजपा के लिए भी 2024 का चुनौतीपूर्ण है लेकिन उसे हिन्दूओं पर भरोसा है।

लालू यादव
पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार
राजद

अखिलेश यादव
पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
सपा

उद्धव ठाकरे
पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
शिवसेना

कुमार राजनीति के महापंडित बन चुके हैं और इनकी राजनीति क्या है यह खुद ही असमंजस में दिखते हैं। बिहार में फैले जंगलराज को समाप्त करने की बीड़ा उठाने वाले नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को जंगलराज से मुक्ति दिलाई लेकिन कुर्सी और बड़ी कुर्सी की चाहत ने इनको अपने सिद्धांत एवं नीति का गला घोटना पड़ा है। 2013 के बाद से ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हुई थी और इनको लग रहा था कि जिस प्रकार एनडीए बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में सदैव स्वीकार किया है प्रधानमंत्री के रूप में भी शायद सेवा का अवसर दे, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कई राज्यों में सरकार और सदन में सबसे बड़ी विपक्षी बड़ी पार्टी होने की वजह से गुजरात मॉडल को लेकर नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू महज 02 सीट एवं राजद 04 सीट पर सिमट गयी थी और बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार को महागठबंधन में सरकार के मुखिया बनने के बाद भी भीतर ही भीतर अपनी गलती पर पछतावा होने के बाद 2017 में पुन: एनडीए में वापसी हो गयी और सिर्फ मोदी के साथ होने से 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट पर जदयू विजय हुई और राजद का लोकसभा का सफाया हो गया। मोदी का लगातार बढ़ता कद देखकर नीतीश कुमार को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मोदी के रहते इनका प्रधानमंत्री पद का सपना देखना शायद बेकार है इसलिए फिर से अपनी आस्था भ्रष्टाचार की गंगोत्री में शामिल कांग्रेस और बिहार के राजनीति में विपक्ष लायक नहीं बची राजद का दामन थामकर पर्दा के पीछे मोदी हटाओं और मुझे बनाओं की कूटनीति में 23 जून 2023 को 15 पार्टियों की बैठक बुलाकर भाजपा को हैरत में तो डाल ही दिया है कि नीतीश कुमार को राजनीति में आंख दिखाना भाजपा को महंगा पड़ेगा। भाजपा और जदयू कभी एकसाथ नहीं जाने का दावा तो कर रही है लेकिन राजनीति दावा बदल सकता है जब जिसको कुर्सी के लिए सीट की जरूरत पड़े वहीं दूसरी ओर राजद यह चाहती है कि किसी प्रकार नीतीश कुमार को केन्द्र की राजनीति में धकेल कर बिहार की गद्दी काबिज हो जाये इसके बाद नीतीश कुमार के पेट में दांत है का इलाज कर सके। भले ही चाचा एवं भतीजा कुर्सी के लिए अपने विचारों से समझौता कर लें लेकिन दोनों को आज भी स्थायी भरोसा नहीं है इस वजह से नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव साये की तरह उनका पीछा करते चलते हैं। कांग्रेस, जदयू नेता नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की विपक्षी एकता के प्रयास और दावे को सीपीएम ने नकार दिया। साफतौर पर कहा कि विपक्षी एकता राष्ट्रीय स्तर पर संभव नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर साझा स्टैंड लेने पर ही हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है, इस पर फोकस करना एक "निरर्थक खोज" है। अडानी और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के खुलासे को मुद्दा बनाया जाए, साथ ही यह भी बताया गया कि गौतम अडानी के अभूतपूर्व उत्थान के लिए प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनाना और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा पुलवामा हमले के बारे में किए गए खुलासे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। "यदि विपक्ष सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर और लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता और संघवाद की रक्षा में अपना वैकल्पिक रुख रख सकता है तो यह एक संयुक्त विकल्प पेश करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, लेकिन विपक्ष की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वकांक्षा मोदी के विजय रथ को रोकने में सफल नहीं दिख रही है।

देश की दूसरा सबसे बड़ा दल कांग्रेस के नेता राहुल गाँधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी छवि को मजबूत किया है तथा युवाओं के बीच हम पप्पू नहीं हैं की सोचपर विराम लगा दिया है। 10 साल प्रधानमंत्री का ताज पहनने का अवसर खो चुके राहुल के लिए प्रधानमंत्री के पद के लिए न सिर्फ भाजपा खतरा है बल्कि अन्य राजनीतिक पार्टियां भी पटना की पहली बैठक में उनका अपना नेता नहीं माना है तथा अगली जुलाई में होने वाली बैंगलोर की बैठक का नेतृत्व भी इनके मत्थे मठ दिया गया है

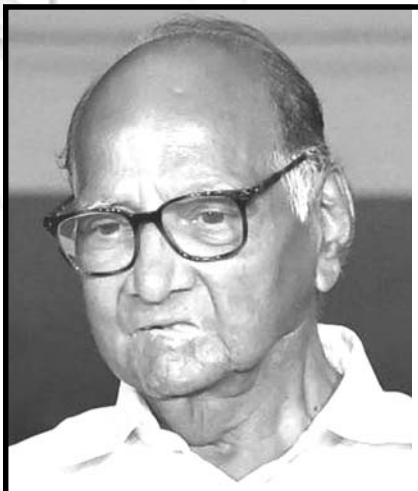

शरद पवार
अध्यक्ष, महाराष्ट्र
एनसीपी

उमर अब्दुला
पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर
नेशनल कांफ्रेंस

महबूबा मुफ्ती
पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर
पीडीपी

ताकि बात बिगड़ता देख कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा जा सके। बिहार की मिट्टी में आस्था दिखाते हुए राहुल गाँधी ने कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं से ताली तो बटोर ली लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक का मिजाज को समझने में अभी विफल हैं और मोदी को हराने के लिए पहले ही हार स्वीकार करके कांग्रेस ने अपना बढ़ता कद को छोटा कर लिया है। वर्त्तमान समय में कांग्रेस की लड़ाई खुद कांग्रेस से है।

बिहार में एकछत्र राज करने वाले लालू प्रसाद यादव ने 23 जून के प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मैं अब फिट हूं और अब भाजपा एवं नरेन्द्र मोदी को फिट कर देंगे और उनकी हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति पर विराम लगा देंगे क्योंकि अब हनुमान जी हमलोगों के साथ हैं। महज 10 साल की राजनीति में सभी विपक्षी पार्टियों का हिन्दू एवं उसके भगवान की याद आने लगी है तथा उनको यह लगने लगा है कि हिन्दू के भगवान भी हमरो काम आ सकते हैं लेकिन भगवान हनुमान जी श्रीराम के बिना रह ही नहीं सकते और जनवरी 2024 में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निमार्ण के बाद देश के एक करोड़ से अधिक हिन्दूओं का विश्वास भाजपा पर जगेगा कि यह सिर्फ मंदिर वहीं बनायेंगे का नारा ही नहीं देते बल्कि उसका निर्माण कराकर उसका उद्घाटन भी कर देंगे। महज 10 साल की सत्ता ने श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर का विकास एवं मथुरा का विवाद भी लगभग समाप्त होता दिख रहा है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एवं हनुमान कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिन्दूराष्ट्र की घोषणा ने हिन्दू का जहां मनोबल को मजबूत बना दिया है तो मुस्लिम की सुरक्षा को लेकर भी भाजपा गंभीर की कूटनीति में मोदी कामयाब होते दिख रहे हैं और तीन तलाक के मामले की वजह से मुस्लिम महिलाओं के झुकाव भी भाजपा की तरफ दिखता है। भले ही लालू यादव यह आरोप लगाते रहे कि भाजपा हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति कराकर देश को टुकड़ों में बांटना चाहती है लेकिन भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर 10 साल में हिन्दू-मुस्लिम के बड़े दंगे हुए हों। मोदी एवं शाह को अमेरिका गोधरा कांड के बाद आने से रोक दिया था वहीं जाकर यह लोग गुणगान कर रहे हैं परन्तु देश का अन्य विपक्षी दल भी यह स्वीकार करते हैं कि भारत का प्रभाव देश के बाहर भी मजबूत हुआ है। महंगाई और अडाणी के भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी का स्टैण्ड लोकसभा में बहुत कारगर रहा है जिसको देश की जनता हमलोगों के इक्ट्ठा होने पर वोट नहीं बटेगा और मोदी का सफाया हो जायेगा। आप पार्टी के सुप्रीम अरबिन्द केजरीवाल ने दिल्ली के अध्यादेश के मामले को लेकर बैठक में भी कांग्रेस को घेरा तथा स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो ऐसी बैठकों में आप का शामिल होना मुश्किल है। जम्मू-कशमीर के राजनेताओं ने धारा 370 के मामलों को लेकर अपनी गंभीरता दिखलाई लेकिन क्या कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों के लिए धारा 370 का फिर से बहाल करने की राजनीति की बात करके कश्मीरी पंडितो पर हुए हमले को कुरदने जैसा है जिसका वोटर के बीच भाजपा की साख काफी मजबूत होगी और इसके लिए भाजपा को अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। 33 साल पहले भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को 1990 में रोककर मुस्लिम के हीरो बनने वाले लालू यादव से अपना बदला ले लिया है क्योंकि राम मंदिर में बनने वाले मूर्ति की पत्थर नेपाल से 26 जनवरी 2023 को निकलकर बिहार होते हुए अयोध्या पहुंच चुकी है। लालू यादव को यह मालूम है कि मोदी अपने दल के साथ हुए अपमान का बदला ले लिया क्योंकि मोदी की राजनीतिक क्षमता इतनी बढ़ गयी की मंदिर के निमार्ण के लिए पत्थर की यात्रा में लाखों ने इस शालीग्राम पत्थर को प्रणाम किया है। भले ही 33 साल बाद राजनीतिक लाचारी की वजह से हनुमान को अपना तो मान लिए लेकिन सत्ता के लिए आज भी श्रीराम की राजनीति पर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। हिन्दू-मुस्लिम की लड़ाई को एक देश-एक कानून के माध्यम से जहां विपक्ष मुस्लिम को भड़काने की कोशिश कर रहा है वहीं यूनिफॉम सिविल कोड को लागू करके भाजपा एक बार जोर का

सीताराम येचुरी
महासचिव,
भाकपा (मार्क्सवादी)

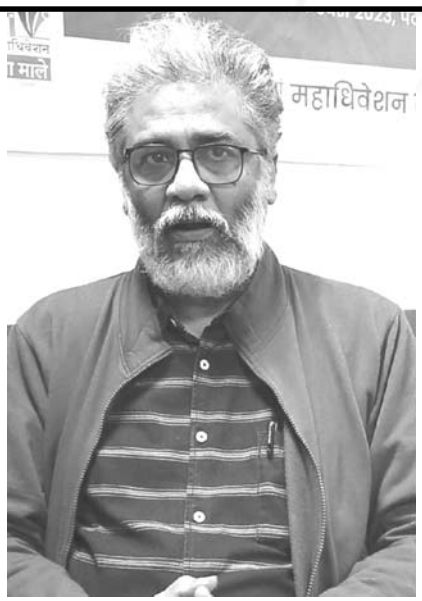

दिपांकर भटाचार्य
महासचिव
माले

एम. के. स्टालिन
मुख्यमंत्री, तामिलनाडू
डीएमके

झटका जोर से देने की तैयारी में है तथा सुप्रीम कोर्ट भी समान नागरिक संहिता को प्राथमिकता देने को तैयार है। भले ही इसके लिए विपक्ष लोगों को भ्रमित करे लेकिन जब एक **देश- एक संविधान** से देश चल सकता है तो **एक देश-एक कानून** क्यों नहीं? समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू होगा तथा संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना अदि एक हो जायेगा। भाजपा ने 2024 के चुनाव जीतने का हर पासा को सजा दिया है और उसकी चाल पर नाराज वोटर का भी मिजाज बदलता जायेगा।

वैसे तो आज भारत में सभी दल में राजनीति के चाणक्य हैं लेकिन राजनीति के महापंडित विष्णुगुप्त चाणक्य ने यह कहा कि जब सारा विपक्ष एक साथ हो जाये तो यह समझ लेना चाहिए कि सत्ता पर कोई ईमानदार राजनेता विराजमान है जिसके शासन में विपक्षी दलों की महत्वकांक्षा पूर्ण नहीं हो रही है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत की जनता को सोचना होगा कि वह किसको देश की सेवा का अवसर प्रदान करती है क्योंकि स्पष्ट बहुमत से बनी सरकार कितने मजबूत एवं ठोस कानून बना सकती है या फिर कमजोर सरकार विभिन्न पार्टियों की लाचारी की वजह से सिर्फसत्ता बचाने में ही मशगूल रहेगी। कमजोर गठबंधन का क्या हश्र होता है यह 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी समझ में आ गया था, ऐसे में देश की जनता ने अब देश एवं प्रदेश में किसी भी दल की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाने का फैसला लेनी लगेगी है वैसे में 2024 में जनता हिन्दू हित के साथ-साथ मजबूत पार्टी की सरकार ही बनायेगी इसमें कोई दो राय नहीं है।

लोकसभा चुनाव के मैदान में भाजपा एनडीए के सामने विपक्ष कैसे उम्मीदवार उतारती है और सभी विपक्ष सिर्फ एक ही उम्मीदवार उतारती है तो मोदी को 2014-2019 के मुकाबले कड़ी मेहनत करनी होगी लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं दिख रहा है कि राष्ट्रीय पटल के चुनाव पर यह संभव होगा। पटना में हुई विपक्ष की मंथन बैठक के दूसरे दिन से ही आम आदमी ने विपक्ष के पार्टियों पर परिवारवाद की पार्टी का आरोप लगाकर जनता के बीच अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है तो खुद ममता बनर्जी ने यह कहा कि कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे जिससे पश्चिम बंगाल में उसका मुकाबला कांग्रेस न हो। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि जिस प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टी को ज्यादा महत्व देना होगा वैसे में देश की सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस ने इस विचार को महत्व दिया तो 2024 के नतीजे कांग्रेस को सत्ता तो दूर मुख्य विपक्षी दल से ही दूर कर देगा। आप, सपा और त्रिमूल कांग्रेस ने तो बैठक के दिन ही कांग्रेस की नीति पर नाराजगी जताई वही सीताराम येचुरी यह मानते हैं कि 2024 में विपक्षी दल की एकता से कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला वैसे में नीतीश कुमार के सार्थक प्रयास बैंगलोर बैठक के बाद कितना कारगर साबित होगा दिख जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक कुव्यवस्था, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक का विरोध (10 साल तक भाजपा के खास रहे हैं और 2022 में हटने के बाद) को जनता शायद विचार करे परन्तु जब मोदी अपने रैलियों में कोरोना संकट में सक्रिय, आदर्श ग्राम, ग्रीन कॉरिडोर, बनारस कॉरिडोर, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370, सीएए एनआरसी, तीन तलाक, श्रीराम मंदिर निर्माण और हिंदुओं (सनातन धर्म) में जागृति की वजह से युवाओं में धर्म से काफी जुड़ाव हुआ है तथा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री का हिन्दुराष्ट्र अभियान ने विपक्ष की नींद हराम कर दी है क्योंकि श्री शास्त्री को फॉलो करने वाले सभी जाति में मौजूद हैं जिसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मिलेगा। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भाजपा के मोदी योगी के जोड़ी को लोग दिल मे बसा लिए हैं जैसा माहौल बनाने में भाजपा जहाँ सफल है वही विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी है और मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती है की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मोदी के इशारे पर काम कर रहा है तथा ईवीएम का बटन भी सेट है लेकिन जब

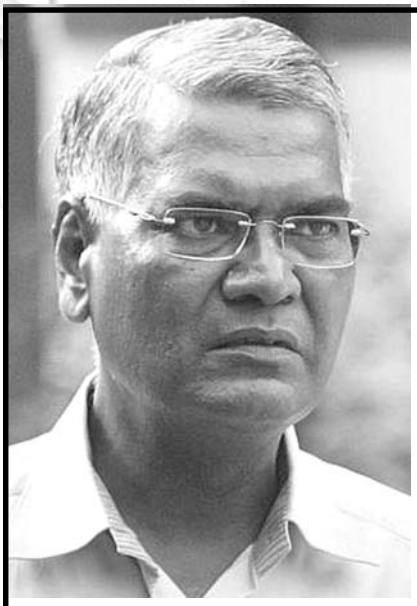

डी राजा
महासचिव
भाकपा

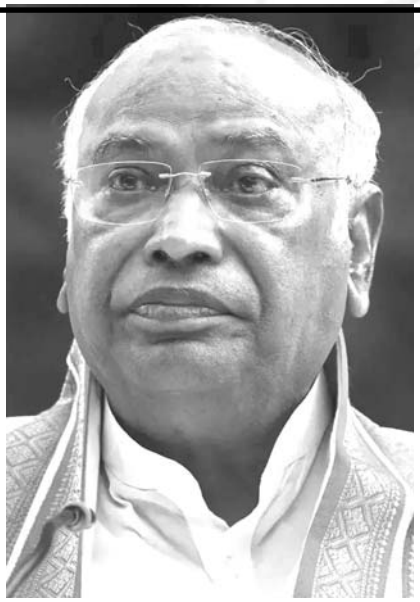

मल्लिकार्जुन खड़गे
अध्यक्ष,
कांग्रेस

नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार
जदयू

हिमांचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाती है तब ईवीएम गड़बड़ नहीं है कि बात सामने आती है। कुछ राजनीतिक तो यहां तक कहते है कि 2024 में केंद्र में मोदी अपनी सरकार बनाने के लिए 2 4 स्टेट हार भी गए तो भी इनकी चाल है कि 2024 का चुनाव ईवीएम से हो। नीतीश कुमार एक काबिल राजनेता हैं लेकिन उनके सलाहकार नेता एवं पदाधिकारी की कूटनीति में फंस चुके हैं और अब फिर से भाजपा में लौटते हैं तो उनकी सबसे बड़ी पराजय होगी। विपक्षी पार्टियों को एकजुट बैठक करने में भले ही श्री कुमार सफल हो जाएं पर बिहार में अब उनकी राजनीति का पतन भाजपा, लोजपा, मांझी, कुशवाहा और पर्दे के पीछे राजद के साथ जदयू के बागी भी अहम भूमिका निभाएंगे इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लालू यादव खुद कई बार यह कह चुके हैं कि नीतीश के पेट में दांत है तो तेजस्वी ने पलटू और बेशर्म मुख्यमंत्री के उपाधि से नवाजा है तथा लालू को चारा कांड में बेचारा बनाने वाले भी श्री कुमार ही हैं इसलिए जब भी मौका मिलेगा बदला लेने से नहीं चूकेंगे। वैसी स्थिति में 2024 का चुनाव बिहार के संदर्भ में मोदी और राहुल से ज्यादा नीतीश कुमार के लिए चुनौती पूर्ण है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नीतीश कुमार के खासमखास रहे आर.सी.पी. सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है और लवकुश की जोड़ी भी चुनाव के पहले टूट चुकी है और मांझी का वार भी नीतीश कुमार को ही झेलना पड़ेगा और ओवैसी के विधायकों को तोड़कर राजद में शिफ्ट कराने का ठिकरा भी श्री कुमार पर ही फूटेगा।

उपेन्द्र कुशवाहा

चिराग पासवान

जीतन राम मांझी

बिहार की राजनीति में जीरो से हीरो बनने वाले नीतीश कुमार को राजनीति के मौसम वैज्ञानिक की उपाधि रखने वाले दिवंगत रामविलास पासवान का चिराग ने 2020 के विधानसभा चुनाव में तीर के गति को कमजोर कर दिया और आज चिराग पासवान दलित के साथ सभी जाति-धर्म के युवाओं के चहेते बनते जा रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चिराग की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण होगी। बिहार में विपक्षी मंथन के बाद बैंगलोर में होने वाले विपक्षी एकता के पास समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी मोदी ने सामने रख दिया है की अब इसका क्या तोड़ कैसे निकालेंगे। देश का हर वोटर समान नागरिक संहिता को मानने के लिए तैयार है और भगवान श्रीराम का मंदिर का उद्घाटन हो जाने के बाद मोदी जो कहते हैं वह अपने कार्यकाल में ही पूरा करते हैं की बात को विपक्ष कैसे झूठलायेगा। कुल मिलाकर मोदी बनाम विपक्षी एकता निश्चित तौर पर चुनाव हारने के बाद जिम्मेवारी एक-दूसरे पर थोपने की काम अवश्य आयेगी और जिसका शंखनाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शुरू भी कर दी है और बैंगलोर बैठक होते-होते विपक्ष एकजुटता में लगेगा और मोदी रैलियों में। ●

स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का बहार है

रेणु का जलवा बरक़रार है

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
। संकल्प ।

श्रीमती रेणु कुमारी, बि0प्र0से0, काटि क्र0–1242/11 तत्का0 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3632 दिनांक 23.09.2020 द्वारा आरोप पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि जिला कार्यकम पदाधिकारी, कैमूर के रूप में अपनी पदस्थापन अवधि दिनांक 05.06.2014 से 06.04.2015 के बीच इनके द्वारा अल्पावास गृह, कैमूर का एक बार भी समीक्षा एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिससे अल्पावास गृह में कई प्रकार की अनियमितताएं प्रकाश में नहीं आ सकीं।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति साक्ष्य अभिलेखो सहित विभागीय पत्रांक–9343 दिनांक–09.06.2022 द्वारा भेजते हुए श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के पत्र दिनांक–09.02.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती रेणु कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि महिला विकास निगम, बिहार के पत्रांक 1105 दिनांक 10.10.2013 में प्रावधानित है कि अल्पावास गृह के लिए एक समीक्षा समिति होगी, जो इसमें प्रवास कर रहे संवासिनों के मामले में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में समीक्षा करेंगी। समीक्षा के दौरान गत माह में संवासिनों के रख–रखाव, खान–पान, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास आदि की समीक्षा की जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष जिला प्रोग्राम पदाधिकारी होते हैं। श्रीमती रेणु कुमारी द्वारा अपने पदस्थापन काल में नियमित रूप से अल्पावास गृह का समीक्षा नहीं किया गया, जिसके कारण अल्पावास गृह में व्याप्त त्रुटियों का निराकरण संभव नहीं हो पाया।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए आरोपी पदाधिकारी द्वारा बरती गयी लापरवाही एवं कर्तव्यगत शिथिलता के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत **निन्दन (आरोप वर्ष–2014–15) एवं दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध** किये जाने की शास्ति विनिश्चित की गयी है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड के आलोक में श्रीमती रेणु कुमारी, बि0प्र0से0, काटि क्र0–1242/11 तत्का0 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत **निन्दन (आरोप वर्ष–2014–15) एवं दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(रविन्द्रनाथ चौधरी)
सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–27/आरोप–01–43/2020–सा0प्र0– 6170 /पटना, दिनांक– 31-3-23

स्पीड पोस्ट फैक्स

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, कैमूर/कोषागार पदाधिकारी, कैमूर/कोषागार पदाधिकारी, पटना/श्रीमती रेणु कुमारी, बि0प्र0से0, काटि क्र0–1242/11 तत्का0 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/2023
सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी।

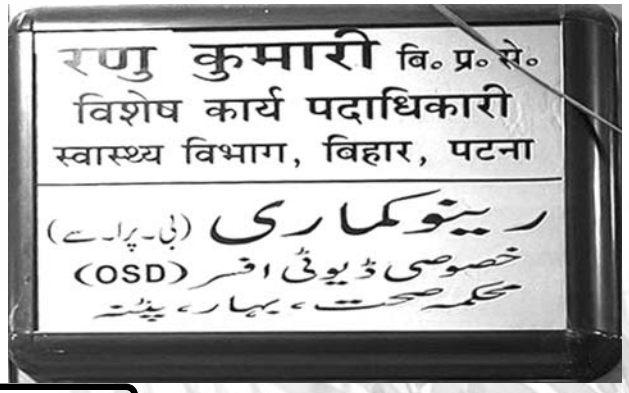

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

बिहार में सत्ता दो ध्रूव में बटा हुआ है एक की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, दूसरे की कमान तेजस्वी यादव के पास है। नीतीश कुमार ठहरे सत्ता के खिलाड़ी और तेजस्वी यादव ठहरे नौसिखिया जिस- जिस विभाग में राजद के मंत्री हैं, उन विभाग में नीतीश कुमार ने अपने सबसे विश्वसनीय अधिकारियों की पोस्टिंग कर रखी है। तेजस्वी यादव के मुख्य दो विभाग स्वास्थ्य और सड़क के अधिकारी प्रमुख नीतीश कुमार के नवरत्नों में से एक हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में यह संघर्ष त्रिकोणीय स्वास्थ्य विभाग में मंत्री, अपर मुख्य सचिव और तीसरा विशेष कार्य पदाधिकारी रेनू देवी जिनका कार्यकाल मंत्री मंगल पांडे से लेकर तेजस्वी यादव तक बरकरार है। ऐसे तो रेणु देवी तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की हैं और तेजस्वी यादव की स्वजातीय भी हैं और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछले पांच वर्षों से बिना वेतन के बड़े ही मनोभाव से विभागीय कार्य को भी निपटा रही हैं। ऐसे रेणु देवी विभागीय अन्य सेक्शनों के अलावा स्वास्थ्य विभाग का स्थापना भी देखती हैं और मैडम जब विभाग में इतना जलवा है ही तो थोड़ा नियम को तोड़-मरोड़ कर बड़ी गाड़ी, आदेशपाल, चाय की चुस्की आदि की विलासिता संबंधी वस्तुओं का भी इस्तेमाल सरकारी खर्चे पर कर लेती हैं।

रेणु मैडम के पति भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और उनका परिवार रसूखदार परिवार में से आता है। साथ ही राघोपुर विधानसभा के वोटरों पर थोड़ी बहुत पकड़ भी है। विभागीय अधिकारी प्रमुख विभाग में अगर किसी को सताना हो, तो उसके ऊपर रेणु बम चला देते हैं। स्वास्थ्य विभाग के छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक रेणु कुमारी के तुगलकी आदेश से त्रस्त हैं, लेकिन अपर मुख्य सचिव और मंत्री महोदय के प्रिय होने के कारण कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अगर कोई जुटा भी ले तो उसका स्थानांतरण तुरंत ही नियमों के विरुद्ध कर दिया जाता है।

डॉ० श्याम सुंदर सिंह और डॉक्टर राजेश्वर सिंह और विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु देवी के कृपा से अवैध डिग्रीधारी, बिजली चोर, आयुर्वेद

563 (आ० चि०)
15.06.2023

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आरोप-पत्र

[नियम-17(3) तथा विनियम 3 द्रष्टव्य]

(1). प्रथम भाग-सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1.	नाम	–	डा0 सम्पूर्णा नन्द तिवारी
2.	पदनाम	–	प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना।
3.	जन्म तिथि	–	23.10.1957
4.	सेवानिवृति की तिथि	–	31.10.2024
5.	सेवा/संवर्ग का नाम	–	बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी) चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग
6.	पद समूह एवं विभाग	–	'क'/स्वास्थ्य विभाग
7.	वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक	–	03 (औपबंधिक)
8.	वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर	–	ग्रेड पे- 10000/- वेतन स्तर-14
9.	आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	–	2023, प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना।
10.	बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी के तहत कालबाधित होने की तिथि	–	लागू नहीं।

(अलंकृता पांडे)
सरकार के संयुक्त सचिव

2

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(2). द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी के मैट्रिक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 23.10.1957 अंकित है, और वे मार्च, 1970 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी रहित तृतीय श्रेणी में उर्त्तीण घोषित किये गये है। स्पष्ट है कि डा० तिवारी द्वारा 14 वर्ष से कम लगभग 12 वर्ष 5 माह में ही मैट्रिक का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया, जबकि मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना आवश्यक है। अतः नियम विरूद्ध तरीके से 14 वर्ष से कम आयु में डा० तिवारी द्वारा प्राप्त किया गया मैट्रिक प्रमाण पत्र अवैध है।

2. बिहार डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक एवं यूनानी एक्ट–1951 एवं बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के नियम एवं विनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आयुर्वेद स्नातक (जी०ए०एम०एस०) कोर्स में 15 वर्ष से कम आयु में किसी भी अभ्यर्थी का नामांकन नहीं लिया जा सकता है, परन्तु डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा उक्त नियम एवं विनियम के विरूद्ध 15 वर्ष से कम लगभग 13 वर्ष की आयु में ही वाई०एन०ए० कॉलेज, भागलपुर में सत्र 1970–71 में पाँच वर्षीय आयुर्वेद स्नातक जी०ए०एम०एस० कोर्स में नामांकन लेकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से वर्ष 1976 में आयुर्वेद स्नातक, जी०ए०एम०एस० प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। अतः 15 वर्ष से कम उम्र में नियम के विरूद्ध नामांकन लेकर प्राप्त किया गया डा० तिवारी का आयुर्वेद स्नातक, जी०ए०एम०एस० प्रमाण पत्र अवैध है।

3. डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा निजी प्रबंधन के अधीन संचालित वाई०एन०ए० कॉलेज, भागलपुर में सत्र 1970–71 में पाँच वर्षीय आयुर्वेद स्नातक कोर्स जी०ए०एम०एस० में नामांकन लिया गया तथा 1976 में आयोजित जी०ए०एम०एस० के अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से आयुर्वेद स्नातक जी०ए०एम०एस० प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। साथ ही जनवरी, 1976 से जून 1976 तक इन्टर्नशिप किया गया। पुनः इसी बीच डा० तिवारी द्वारा सत्र 1975–77 में दो वर्षीय इंटरमीडिएट कोर्स में नामांकन लेकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से वर्ष 1977 में इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। इससे स्वतः स्पष्ट है कि डा० तिवारी द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से एक ही समय में दो अलग–अलग जी०ए०एम०एस० एवं इंटरमीडिएट कोर्स में

563 (आ० नि०)
15.06.2023

नामांकन लेकर दो अलग–अलग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, जिसके कारण डा० तिवारी का जी०ए०एम०एस० एवं इंटरमीडिएट दोनों प्रमाण पत्र अवैध है।

4. डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा आयुष विभाग, भारत सरकार के संस्थान से पंचकर्म विषय में स्नातकोत्तर करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को आवेदन दिया गया था तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकर्म विषय में स्नातकोत्तर कोर्स में नामांकन हेतु डा० तिवारी के नाम की अनुशंसा आयुष विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गई थी, परन्तु डा० तिवारी द्वारा सरकार के आदेश के विरूद्ध पंचकर्म विषय के स्थान पर द्रव्यगुण विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में नामांकन लिया गया तथा 03 वर्षीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर कोर्स को 02 वर्षों में ही पूर्ण कर नियम के विरूद्ध प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। अतः डा० तिवारी का स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र अवैध है।

5. डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से वर्ष 2006 में पी०एच०डी० डिग्री प्राप्त की गई है, जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रिय परिषद्, नई दिल्ली के द्वितीय अनुसूची में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रदत पी०एच०डी० उपाधि की मान्यता केवल वर्ष 1974 से 1988 तक हीं था। अतः डा० तिवारी द्वारा प्राप्त पी०एच०डी० उपाधि की मान्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रिय परिषद्, नई दिल्ली से नहीं होने के कारण अवैध है।

6. डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर में महाविद्यालय के कैंपस में स्थित सरकारी आवास में आवासन के दौरान सरकारी आवास का अलग से बिजली कनेक्शन बिजली विभाग से नहीं कराकर महाविद्यालय के कनेक्शन से ही अपने आवास की बिजली का उपभोग किया गया, जिससे सरकारी कोष को 22,000/–(बाईस हजार) रूपये की क्षति पहुंची। डा० तिवारी का उक्त कार्य सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

7. डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर के पुस्तकालय के पुस्तक "योग रत्नाकार" के पेज को फाड़ने एवं विनष्ट करने जैसा अशोभनीय एवं अमर्यादित कार्य किया गया। डा० तिवारी का उक्त कार्य सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

8. डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा नियम विरूद्ध गैर–कानूनी तरीके से मैट्रिक, इन्टरमीडिएट, जी०ए०एम०एस० (आयुर्वेद स्नातक), एम०डी० (आयुर्वेद स्नातकोत्तर), पी०एच०डी० उपाधि प्राप्त की गई है, जिसके कारण डा० तिवारी का उक्त प्रमाण पत्र अवैध है तथा अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में समायोजन/नियुक्ति प्राप्त कर करोड़ों रूपये वेतनादि के रूप में प्राप्त किया गया। डा० तिवारी का उक्त कार्य आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के प्रतिकूल है।

(अलंकृता पांडे)
सरकार के संयुक्त सचिव

563 (आ० नि०)
15.06.2023

डॉ० सम्पूर्णानन्द तिवारी

के बहुमूल्य पुस्तकों को बर्बाद करने वाला व्यक्ति पटना आयुर्वेद कॉलेज का प्राचार्य बना हुआ है। पूरे स्वास्थ्य विभाग में रेणु कुमारी और डॉ० श्याम सुंदर सिंह की जुगलबंदी किसी से छुपी हुई नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर पीआईएल सी डब्ल्यू जे सी नंबर –3422/2022 रामकिशुन साह बनाम बिहार राज्य में पारित आदेश के आलोक में एक जांच समिति का गठन किया

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापन

ज्ञाप संख्या–16/सी०1–32/2022 /(स्वा०)पटना, दिनांक – /06/2023

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 3422/2022(PIL) राम किशुन साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–11.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में वादी श्री राम किशुन साह द्वारा डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी, प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के विरूद्ध समर्पित परिवाद पत्र में कई गंभीर लांछन/आक्षेप यथा नियम विरूद्ध गैर–कानूनी तरीके से मैट्रिक, इन्टरमीडिएट, जी०ए०एम०एस० (आयुर्वेद स्नातक), एम०डी० (आयुर्वेद स्नातकोत्तर), पी०एच०डी० उपाधि प्राप्त करने सहित अन्य लांछन/आक्षेप लगाये गये थे। वादी श्री राम किशुन साह द्वारा डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी के विरूद्ध लगाये गये लांछन/आक्षेप की बिन्दुवार जाँच एवं सुनवाई कर स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विभागीय आदेश संख्या–775(आ०नि०), दिनांक–28.06.2022 द्वारा निदेशक, होमियोपैथ एवं निदेशक, आयुर्वेद की एक दो सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया था।

2. वादी श्री साह द्वारा परिवाद पत्र के साथ समर्पित साक्ष्य एवं जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समग्र अवलोकन एवं विचारण के उपरान्त उक्त लांछन/आक्षेप से संबंधित चार भागों में आरोप पत्र गठित कर अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, अवचार या कदाचार के लांछनों का कथन तथा आरोप को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करते हुए डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी से अपेक्षा की गई है कि एक सप्ताह के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें तथा साथ ही यह भी बताए कि जिन लांछनों/आक्षेपों को उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी व्यक्तिशः सुनवाई चाहते हैं।

3. डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अवचार या कदाचार के लांछनों/आक्षेपों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन अगर विनिर्दिष्ट अवधि तक प्राप्त नहीं होगा, तब विभागीय जाँच एक पक्षीय उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेखों के आधार पर कर ली जायेगी।

4. कृपया इस ज्ञापन की प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

ह०/–
(अलंकृता पांडे)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –16/सी०1–32/2022 –563 (आ० नि०) पटना, दिनांक –15/06/2023

प्रतिलिपि – डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी, प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – निदेशक, आयुर्वेद, आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/23
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\Vijay joc\Aarop\Patna College.docx

गया। जिसमें रेणु देवी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर प्राचार्य डॉ० संपूर्णानंद तिवारी को बचाने के उद्देश्य अपने प्रिय अधिकारी डॉ० श्याम सुंदर सिंह और राजेश्वर सिंह को जांच अधिकारी बनाया, लेकिन अपरोक्षरूप से पूरा जांच का जिम्मा अपने पास रखा, जिससे मनपसंद रिपोर्ट तैयार किया जा सके। जांच समिति द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट के कुछ अंश इस प्रकार हैं :-

☞ **मैट्रिक प्रमाण पत्र की वैधता संबंधित जांच :-** जांच पदाधिकारी का कहना है कि मामला 42 वर्ष पुराना है, इसलिए हम इसकी जांच नहीं करेंगे और हमारे अधिकार में क्षेत्र में भी नहीं आता है, इसलिए हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ठंडे बस्ते में रखने के लिए एक पत्र लिखकर काम को इतिश्री कर लेते हैं।

☞ **जी.ए.एम.एस प्रमाण पत्र की वैधता की जांच :-** उनका कहना है कि जी.ए.एम.एस. प्रमाण पत्र के आधार पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद ने निबंधन जारी किया है। लेकिन 13 वर्ष में ही नामांकन कैसे लिया, जांच का विषय है। हम अभी से पुरातत्व विभाग को जांच के लिए समर्पित कर रहे हैं।

☞ **पीएचडी प्रमाण पत्र की जांच :-** अधिकारी का कहना है कि; चुकी प्रमाण पत्र पर नंबर और संख्या है, इसलिए यह एकदम सही है। इसे कोई गलत बता ही नहीं सकता।

☞ **स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र की वैधता की जांच :-** इसमें भी उनका कहना है कि प्रमाण पत्र में अनुक्रमांक संख्या और दिनांक है, इसलिए 3 वर्ष में किए जाने वाले कोर्स 2 वर्ष में ही पूर्ण कर लिए गए तो कौन सा जुर्म हो गया। जांच समिति द्वारा डॉ० संपूर्णानंद तिवारी के बिजली चोरी, पुस्तकालय में पुस्तक फाड़ने जैसे सभी अनैतिक कार्य पर स्पष्टीकरण देने के कारण ठंडा पानी डाल दिया गया। अब डॉ० संपूर्णानंद तिवारी

पत्रांक–स०सं०–16/सी.1–32/2022– 1197 (आ० नि०) 19/10

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,
अंशुल अग्रवाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,
डा० श्याम सुन्दर सिंह,
निदेशक, होमियोपैथ।

डा० राजेश्वर सिंह,
निदेशक, आयुर्वेद
आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 19.10.2022

विषय :- स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायाल, पटना में दायर PIL CWJC NO-3422/2022 राम किशुन साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक– 11.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में वादी श्री राम किशुन साह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में लगाए गये लांछन के बिन्दुओं की जाँच एवं सुनवाई कर एक माह के अंदर स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया था, परन्तु निर्धारित समय सीमा से अधिक समय (लगभग दो माह) लेने के पश्चात् भी आपके द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में मुख्य बिन्दुओं पर कोई भी सुस्पष्ट मंतव्य नहीं दिया गया है और न ही सत्यता की बिन्दु को स्पष्ट किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अपूर्ण तथा अस्पष्ट होने के कारण अभ्यावेदन/परिवाद में लगाये गये लांछन के बिन्दुओं पर निर्णय लेने में कठिनाई एव असुविधा हो रही है।

जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्धारित समय से अधिक समय लेने के उपरांत भी अभ्यावेदन/परिवाद के मुख्य बिन्दुओं पर सुस्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित नहीं कर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किया गया है तथा सरकारी उर्जा एवं समय की बर्बादी की गई है।

आपका उक्त आचरण एवं व्यवहार कर्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं निष्ठा की कमी को प्रदर्शित करता है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3 (i)(ii)(iii) का सरासर उल्लंघन है।

अतः अपने उपर्युक्त आचरण एवं व्यवहार के लिए पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए अभ्यावेदन परिवाद के मुख्य बिन्दुओं पर सुस्पष्ट मंतव्य के साथ जाँच प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें।

मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय में दिनांक–11.03.2022 को पारित आदेश के अनुपालन से आच्छादित है। विलम्ब होने पर किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए आपलोग जिम्मेवार होगें।

विश्वासभाजन
(अंशुल अग्रवाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(3). तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 3422/2022(PIL) राम किशुन साह बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–11.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में वादी श्री राम किशुन साह द्वारा डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी, प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के विरूद्ध समर्पित परिवाद पत्र में कई गंभीर लांछन/आक्षेप यथा गैर–कानूनी तरीके से मैट्रिक, इन्टरमीडिएट, जी०ए०एम०एस० (आयुर्वेद स्नातक), एम०डी० (आयुर्वेद स्नातकोत्तर), पी०एच०डी० उपाधि प्राप्त करने सहित अन्य लांछन/आक्षेप लगाये गये थे।
2. वादी श्री राम किशुन साह द्वारा समर्पित परिवाद पत्र में लगाये गये लांछन/आक्षेप के बिन्दुओं की जाँच एवं सुनवाई कर स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विभागीय आदेश संख्या–775(आ०चि०), दिनांक–28.06.2022 द्वारा निदेशक होमियोपैथ एवं निदेशक, आयुर्वेद की एक दो सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया था।
3. वादी श्री राम किशुन साह द्वारा डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी के विरूद्ध समर्पित साक्ष्य एवं जाँच समिति द्वारा अलग–अलग अवधियों में समर्पित जाँच प्रतिवेदन का समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा मैट्रिक, इन्टरमीडिएट, जी०ए०एम०एस० (आयुर्वेद स्नातक), एम०डी० (आयुर्वेद स्नातकोत्तर), पी०एच०डी० उपाधियाँ नियम विरूद्ध तरीके से प्राप्त की गयी है तथा उक्त उपाधियों की वैधता संदिग्ध एवं प्रश्न चिन्ह के घेरे में है।
4. वादी श्री राम किशुन साह द्वारा समर्पित डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी के मैट्रिक प्रमाण पत्र (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत) के अवलोकन से ज्ञात होता है कि डा० तिवारी का जन्म तिथि 23.10.1957 है तथा मार्च, 1970 की माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी रहित तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। स्वतः स्पष्ट है कि डा० तिवारी 14 वर्ष से कम लगभग 12 वर्ष 5 माह की आयु में ही मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिये हैं अर्थात लगभग 2 वर्ष 5 माह की आयु में डा0 तिवारी प्रथम वर्ग में थे, जो सामान्यतः व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। डा0 तिवारी अंग्रेजी रहित तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, जो इनकी विलक्षणता का द्योतक भी नही है। साथ हीं जाँच समिति द्वारा डा0 तिवारी से एतद संबंधी की गई पृच्छा के प्रत्युत्तर में डा0 तिवारी द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है और न ही लगाये गये लांछन/आक्षेप का प्रतिवाद/खंडन किया गया है। स्पष्ट है कि डा0 तिवारी अपने विरूद्ध लगाये गये उक्त लांछन/आक्षेप को स्वीकार करते हैं। अतः नियम विरूद्ध तरीके से 14 वर्ष से कम आयु में मैट्रिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कारण डा0 तिवारी का मैट्रिक प्रमाण पत्र अवैध है तथा इस अनियमितता के लिए डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी दोषी हैं।
5. बिहार डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक एवं यूनानी एक्ट–1951 एवं बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के नियम/विनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आयुर्वेद स्नातक (जी०ए०एम०एस०) कोर्स में 15 वर्ष से कम आयु में किसी भी अभ्यर्थी का नामांकन नहीं लिया जा सकता है, परन्तु डा0 सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा 15 वर्ष से कम लगभग 13 वर्ष की आयु में नियम विरूद्ध तरीके से वाई०एन०ए० कॉलेज, भागलपुर में सत्र 1970–71 में पाँच वर्षीय आयुर्वेद स्नातक जी०ए०एम०एस० कोर्स में नामांकन लेकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से आयुर्वेद स्नातक (जी०ए०एम०एस०) प्रमाण पत्र वर्ष 1976 में प्राप्त किया गया। 15 वर्ष से कम आयु में नियम के विरूद्ध नामांकन लेकर डा0 तिवारी द्वारा प्राप्त किये गये आयुर्वेद स्नातक (जी०ए०एम०एस०) प्रमाण पत्र अवैध है तथा इस अनियमितता के लिए डा0 तिवारी दोषी हैं।
6. डा0 सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा निजी प्रबंधन के अधीन संचालित वाई०एन०ए० कॉलेज, भागलपुर में सत्र 1970–71 में पाँच वर्षीय आयुर्वेद स्नातक कोर्स जी०ए०एम०एस० में नामांकन लेकर जनवरी, 1976 में आयोजित जी०ए०एम०एस० के अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से जी०ए०एम०एस० प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया तथा जनवरी, 1976 से जून 1976 तक इन्टर्नशिप किया गया। पुनः इसी बीच सत्र 1975–77 में दो वर्षीय इंटरमीडिएट कोर्स में नामांकन लेकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से वर्ष 1977 में इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। इससे स्वतः स्पष्ट है कि जी०ए०एम०एस० एवं इंटरमीडिएट की अवधि का अतिव्यापन हुआ है तथा एक ही समय में दो अलग–अलग जी०ए०एम०एस० एवं इंटरमीडिएट कोर्स में नामांकन लेकर दो अलग–अलग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जो नियम विरूद्ध एवं गैर–कानूनी है। अतः डा0 तिवारी का जी०ए०एम०एस० एवं इंटरमीडिएट दोनों प्रमाण पत्र अवैध है तथा इस अनियमितता के लिए डा0 तिवारी दोषी हैं।
7. डा0 सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा आयुष विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के संस्थान से पंचकर्म विषय में स्नातकोत्तर करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को आवेदन दिया गया था तथा विभाग द्वारा पंचकर्म विषय में स्नातकोत्तर कोर्स में नामांकन हेतु डा0 तिवारी के नाम की अनुशंसा आयुष विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गई थी, परन्तु डा0 तिवारी द्वारा सरकार के आदेश के विरूद्ध पंचकर्म विषय के स्थान पर द्रव्यगुण विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में नामांकन लिया गया तथा 03 वर्षीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर कोर्स को नियम के विरूद्ध 02 वर्षों में ही पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। अतः नियम के विरूद्ध डा0 तिवारी द्वारा एम०डी० प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जिसके कारण डा० तिवारी का आयुर्वेद स्नातकोत्तर (एम०डी०) प्रमाण पत्र अवैध है तथा इस अनियमितता के लिए डा0 तिवारी दोषी हैं।
8. डा0 सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से वर्ष 2006 में पी०एच०डी० डिग्री प्राप्त की गई है, जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रिय परिषद, नई दिल्ली के द्वितीय अनुसूची में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रदत पी0एच0डी0 उपाधि की मान्यता केवल 1974 से 1988 तक हीं था। डा0 तिवारी द्वारा प्राप्त पी०एच०डी० उपाधि की भारतीय चिकित्सा केन्द्रिय परिषद, नई दिल्ली से मान्यता नही होने के कारण अवैध है। डा0 तिवारी इस अवैध उपाधि को महाविद्यालय में प्राचार्य के बोर्ड पर प्रदर्शित किये हुये है। अतः इस अनियमितता के लिए डा0 तिवारी दोषी हैं।
9. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर में महाविद्यालय के कैंपस में स्थित सरकारी आवास में आवासन के दौरान डा0 सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा सरकारी आवास का अलग से बिजली कनेक्शन बिजली विभाग से नहीं कराया गया था बल्कि महाविद्यालय के बिजली कनेक्शन से ही अपने आवास की बिजली का उपभोग करते थे, और इस तरह बिजली खपत कर डा0 तिवारी द्वारा सरकारी कोष को 22,000/–(बाईस हजार) रूपये की क्षति पहुंचाई गई। डा0 तिवारी का उक्त कृत्य सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।
10. डा0 सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर के पुस्तकालय के पुस्तक "योग रत्नाकर" के पेज को फाड़ने एवं विनष्ट करने जैसा अशोभनीय कार्य किया गया था, जिसके कारण इस संबंध में डा0 तिवारी के विरूद्ध महाविद्यालय में गठित समिति द्वारा डा0 तिवारी पर पुस्तक के मूल्य की चार गुणा अर्थ दण्ड लगाने की अनुशंसा की गई थी। डा0 तिवारी का यह कृत्य सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।
11. उक्त से स्पष्ट है कि डा0 सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा गैर–कानूनी तरीके से नियम विरूद्ध मैट्रिक, इन्टरमीडिएट, जी०ए०एम०एस० (आयुर्वेद स्नातक), एम०डी० (आयुर्वेद स्नातकोत्तर), पी०एच०डी० उपाधि प्राप्त की गई है, जिसके कारण डा0 तिवारी का उक्त सभी प्रमाण पत्र अवैध है। डा0 तिवारी द्वारा अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में समायोजन/नियुक्ति पाकर अब तक करोड़ों रूपये वेतनादि के रूप में प्राप्त किया गया है। साथ ही सरकारी कोष से अपने आवास का बिजली बिल जमा करवाना तथा सरकारी पुस्तक के पेज को फाड़ कर विनष्ट करने का अशोभनीय कार्य किया गया है। डा0 तिवारी का उक्त कार्य आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। डा० तिवारी बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के प्रतिकूल कार्य करने के कारण दोषी हैं एवं दण्ड के भागी हैं।

563 (आ॰नि॰)
15.06.2023

15/6/23
(अलंकृता पांडे)
सरकार के संयुक्त सचिव।

563 (आ॰नि॰)
15.6.2023

द्वारा इस जांच रिपोर्ट के बदले किसको उपकृत किया गया, ये तो जांच का विषय अभी भी बना हुआ है। क्योंकि मैडम 5 वर्षों से अधिक समय से वेतन आदि नहीं ले रही हैं और उनका भी खर्चा भी है तो कुछ भी संभव है।

डॉ० श्याम सुंदर सिंह और डॉक्टर राजेश्वर सिंह द्वारा जांच प्रतिवेदन अपूर्ण स्पष्ट होने के कारण अंशुल अग्रवाल, सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। कुछ कर्मचारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि चुकी रेणु मैडम को उनका पूरा हिस्सा नहीं दिया गया, इसलिए रेणु मैडम ने स्पष्टीकरण निकलवाया है, वह भी अपने प्रिय अधिकारी से। कहानी में नया मोड़ आ जाता है जब सरकार के संयुक्त सचिव अलंकृता पांडे द्वारा डॉ० संपूर्णानंद तिवारी को दिनांक 15/06/23को एक ज्ञापन आरोपपत्र के प्रतिलिपि के साथ एक सप्ताह के अंदर लिखित अभीकथन देने का आदेश दिया जाता है। 15/06/23 का एक सप्ताह तो 22/06/23 को ही समाप्त हो जाता है, लेकिन आलेख लिखे जाने तक अभी तक डॉक्टर संपूर्णानंद तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार के संयुक्त सचिव अलंकृता पांडे द्वारा आरोप पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि डॉ संपूर्णानंद तिवारी द्वारा गैरकानूनी तरीके से नियम के विरुद्ध मैट्रिक, इंटरमीडिएट, जी.ए.एम.एस., एमडी (आयुर्वेद), पीएचडी की उपाधि प्राप्त की गई है, जिसके कारण तिवारी की उक्त सभी डिग्री अवैध है। साथ ही अवैध प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी, सरकारी कोष से निजी उपयोग के लिए बिजली जलाना, सरकारी पुस्तकालय कि पुस्तक फाड़ने जैसे आर्थिक अपराध की श्रेणी में भी आता है। इसलिए डॉक्टर तिवारी बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 03(1) के प्रतिकूल कार्य करने के कारण दोषी हैं एवं दंड के भागी। अब सवाल उठता है कि सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा जब डॉ श्याम सुंदर एवंसिंह राजेश्वर सिंह के प्रतिवेदन को गलत साबित करते हुए डॉक्टर तिवारी को दोषी मान लिया जाता है तो अभी तक वह पद पर कैसे बने हुए हैं और अभी तक में प्राथमिकी दर्ज की गई है, साथ ही डॉ श्याम सुंदर सिंह और राजेश्वर प्रसाद सिंह पर अभी तक कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या विभाग में स्पष्टीकरण को ही दंड माना जाता है या विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी रेणु देवी को अभी तक उम्मीद है कि उनको उनका हिस्सा मिल जाएगा या रेणु देवी के खौफ के कारण कोई भी अधिकारी इन लोगों पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि संपूर्णानंद पर कार्रवाई होती है या रेणु देवी का हिस्सा मिल जाने के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल देती हैं।

भ्रष्टाचार; रेणु देवी की पुरानी आदत है। मैडम कैमूर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थी तो उन्होंने कभी भी किसी अनियमितता की जांच नहीं की और समीक्षा भी नहीं की, जिसके कारण उन्होंने दो वेतन वृद्धि को को रोकते हुए उन पर कार्रवाई की गई है। रेणु कुमारी को भी निश्चित दंड के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा कोटि क्रमांक-1242/22 तत्काल जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निंदन और दो वेतन वृद्धि और असंचायतमक प्रभाव से अवरुद्ध का दंड आरोपित एवं सनसूचित किया गया है। प्रश्न उठता है जिनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही विभाग द्वारा की गई हो, जिसके खिलाफ अनियमितता जानबूझकर उजागर नहीं करने का आरोप हो, वह सचिवालय स्तर के अधिकारी बनकर पूरे राज्य की अनियमितता का मामला प्रकाश में आते ही उसे दबाने और ब्लैकमेल का प्रयास जरूर करती होंगी, जिससे विभाग में भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो रहा है और विभाग में भ्रष्टाचार नहीं उजागर होने के कारण भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है-मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर विभाग के विभागीय प्रमुख? रेणु कुमारी जैसे अनियमितता और भ्रष्टाचार की पोषक को सचिवालय स्तर के अधिकारी बनाकर मुख्य पदों पर कार्य कराना कहीं ना कहीं सरकार के कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है और नीतीश कुमार के सुशासन पर यह बहुत बड़ा काला धब्बा साबित होता है।●

जून तबादला उद्योग का हुआ राजनीतिकरण

नियमों को ताख पर रखकर और पैसों की खनक से होता है तबादला

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

बिहार में उद्योग धंधे से कमाई तो आ नहीं रही है इसलिए मंत्री से लेकर अधिकारी तक जून महीने में स्थानांतरण उद्योग का इंतजार करती रहती है। ऐसे तो विभागीय संकल्प संख्या-3918 और 2079 के अनुसार मई महीने में आवेदन लेकर उसे उपस्थापित करना होता है और उसे सचिव के माध्यम से मंत्री के पास उपस्थापित करना होता है, मंत्री का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। लेकिन बिहार में जून महीने से लेकर जुलाई महीने तक मंत्री और विभाग के अधिकारी प्रमुख के बीच तनाव अपने चरम सीमा पर होता है। मंत्री महोदय को पार्टी, राजनेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं और रिश्तेदारों के साथ अपना जेब भी देखना पड़ता है, मंत्री महोदय के भी अपने खर्चे हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदित होने के बाद अधिसूचना आदेश निकाला जाता है। अधिसूचना अवर सचिव स्तर से कम अधिकारी नहीं निकाल सकते हैं। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति/स्थानांतरण अधिसूचना प्रत्येक अधिकारियों का अलग-अलग अधिसूचना संख्या एवं तारीख होना अनिवार्य है ,इस आलेख में उदाहरण के लिए पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संलग्न की जा रही है।

अब स्वास्थ्य विभाग को तो नियमों को ताक पर रखकर कार्य करने की आजादी है, क्योंकि यहां के अधिकारी प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री के प्रिय पात्र हैं और स्थापना देखने वाली मैडम उपमुख्यमंत्री ,सहस्वास्थ्य मंत्री के प्रियपात्र हैं।

इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जैसे संस्थानों के निदेशक का अधिसूचना विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी मैडम के जिनके खिलाफ और वेतन वृद्धि रोकने का आदेश हो उनके द्वारा अधिसूचना सरकारी अधिसूचना नियमों के विपरीत जारी किया जाता है। जिस विभाग का अधिसूचना ही गलत हो और मुख्यालय स्तर पर इस तरह की नियमों को तोड़कर स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाता हो तो मामला कभी न्यायालय में जाने के बाद सरकार को मुंह की खानी पड़ सकती है।

बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग संकल्प संख्या -01/R-28/2006/434 दिनांक-01/03/2007 के नियमों के अनुसार जो अधिकारी वर्तमान पद पर 3 वर्ष पूरी कर चुके हो उसी अधिकारी का स्थानांतरण नियम के अनुसार है, विशेष परिस्थिति में 2 वर्ष का भी हो सकता है लेकिन इसके लिए उपयुक्त कारण बताना आवश्यक होगा। साथ ही ध्यान रखना भी जरूरी है कि संवर्ग के कुल कार्य पदाधिकारी/कर्मचारी के 10% से ज्यादा स्थानांतरण पदस्थापन 1 वर्ष में नहीं हो। विभागीय संकल्प में साफ तौर पर कहा गया कि जिला के बगल वाले जिले में भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा और जहां पहले से पदस्थापित हों, वहां स्थानांतरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग तो बना ही नियमों को तोड़ने के लिए बिहार में सहायक औषधि नियंत्रक के कुल 34 सहायक औषधि नियंत्रक संवर्ग के पदाधिकारी हैं जिनका 10% तीन से चार आता है लेकिन 12+ 4 मतलब कुल =16 सहायक औषधि नियंत्रक का तबादला कर दिया गया। साथ ही

सहायक औषधि नियंत्रक जिनका तबादला अधि सूचना संख्या -885(15) दिनांक -30/06/21वैसे सहायक औषधि नियंत्रक को 2 साल से भी कम 28/06/2023 अधिसूचना संख्या 715 (15) से तबादला किया गया। उसमें भी नियमों के राजपत्रित कर्मचारी होने के बावजूद भी तबादला के अधिसूचना पर विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय के द्वारा हस्ताक्षर किया। औषधि निरीक्षक के तबादले में भी घोर अनियमितता बरती गई अधिसूचना संख्या-707(15)दिनांक-28/06/2023 द्वारा किया गया, उसमें कई अनियमितताएं हैं। बिहार में औषधि निरीक्षकसंवर्ग के कुल 102 औषधि निरीक्षक है, जिसका 10% से 10-11 अधिकतम होगा, लेकिन नियमों के विपरीत 59 औषधि निरीक्षक के तबादले किया गया। इसमें भी कई खामियां हैं। श्रीमती नीतू बाला जून 2001 में दरभंगा में थी, उनका दरभंगा में ही तबादला कर दिया गया है। कई निरीक्षकों को तो सिर्फ एरिया बदला गया। एरिया बदलने का सबसे बड़ा कारण दुकानों की अधिकता और अधिक कारोबार वाला क्षेत्र होता है। कई को औषधि निरीक्षकों का तबादला सिर्फ 6 महीने में ही कर दिया गया, कई औषधि निरीक्षकों को संपूर्ण जिला दिया गया तो कई औषधि निरीक्षकों को कम महत्व कम दुकान वाला क्षेत्र आवंटित किया गया और सबसे बड़ी बात है कि नियम को तोड़ते हुए पुनः विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय के द्वारा अधिसूचना निकाली गई, जबकि औषधि निरीक्षक का पद राजपत्रित कर्मचारी का पद होता है और राजपत्रित कर्मचारी के स्थानांतरण पदस्थापन की अधिसूचना अवर सचिव से न्यूनतम के अधिकारी के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है ए इस पूरे खेल में पैसों का लेनदेन तो कैमरे पर नहीं किया गया लेकिन स्थानांतरण सूची देखने पर ही पता चलता है कि पैसों का लेनदेन किस रूप में किया गया होगा पैसों के लेनदेन के लिए अलग-अलग संवर्ग में अलग-अलग अधिकारियों का उत्तरदयित्व दिया गया था। अधिसूचना संख्या-707 दिनांक-20/06/2023 में कहा गया कि क्रम संख्या- 12, 22, 23, 24 पर अंकित औषधि निरीक्षक का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः उक्त औषधि निरीक्षक को स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि बाकि अधिकारियों का स्थानांतरण का मापदंड क्या है? क्या सरकार में पैरवी और पैसा ही मापदंड है।

स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण नीति के विपरीत 2 वर्ष पूर्व ही पैसों के बल पर स्थानांतरण/पदस्थापन कर दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग में इस बार जून का महीना स्वास्थ्य विभाग के विशेष पदाधिकारी पदाधिकारियों के

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– / /2023

संचिका सं0–17/आई 01–01/2014– ...../स्वा0, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली–2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में डा० सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक, मेडिकल कार्डियोलॉजी, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना सम्प्रति कार्यकारी निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सम्यक् विचारोपरान्त निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति की जाती है।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/आई 01–01/2014 –561(17) पटना, दिनांक :–31/05/2023

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/ सिविल सर्जन, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा० सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक, मेडिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना सम्प्रति कार्यकारी निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा–01, 02, 03, 08, 09 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/06/2023
विशेष कार्य पदाधिकारी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक 28-06-2023

संo संo–15/औ0–14–02/2022 709 (15) /स्वा0, औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम 59(1) तथा 67A(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि नियंत्रक प्रशासन में कार्यरत निम्नांकित सहायक औषधि नियंत्रको को उनके नाम के साथ अंकित स्तभ–5 में उल्लेखित स्थान/स्थानों पर कार्य करने हेतु स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	सहायक औषधि नियंत्रक का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन जिला	नव पदस्थापन जिला	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5	6
1	श्री विश्वजीत दास गुप्ता	कोलकाता	पटना नगर निगम क्षेत्र (अतिरिक्त प्रभार –पटना ग्रामीण क्षेत्र)	सारण	सिवान
2	श्री राजेश प्रसाद सिंह	भागलपुर	पूर्णियाँ	सहरसा	–
3	श्रीमति संगीता कुमारी	राँची (झारखण्ड)	जहानाबाद	पूर्णियाँ	–
4	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह	रोहतास	दरभंगा	कैमूर	–
5	श्री विजय कुमार	मुंगेर	सिवान (अतिरिक्त प्रभार– गोपालगंज)	गया	–
6	श्री उदय शंकर	पटना	वैशाली	मुख्यालय पटना	जहानाबाद
7	श्रीमति सुषमा	मुजफ्फरपुर	बक्सर	बेतिया	–
8	श्री इन्द्रशेखर यादव	मधुबनी	अररिया	वैशाली	–
9	श्री महेश राम	सिवान	सारण	गोपालगंज	–
10	श्री सच्चिदानन्द प्रसाद	नालंदा	शिवहर	पटना नगर निगम क्षेत्र, पटना	पटना ग्रामीण क्षेत्र
11	श्री उपेन्द्र नारायण पंडित	बक्सर	कैमूर	अररिया	–
12	श्री उत्तम कुमार सिंह	झारखंड	गया	बक्सर	–

2– उपर्युक्त सभी सहायक औषधि नियंत्रकों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने नव–पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3– एतद् सम्बंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित/अवक्रमित समझे जायेंगे।

4– क्रम संख्या–3, 7, 10 एवं 11 पर अंकित सहायक औषधि नियंत्रकों का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः उक्त सहायक औषधि नियंत्रकों को स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

5– उपर्युक्त सभी सहायक औषधि नियंत्रकों के वेतनादि का भुगतान उनके नव–पदस्थापित स्थान से देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक –15/औ0–14–02/2022 709 (15) /स्वा0, पटना, दिनांक 28-06-2023

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0द0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी

E:\Irshad Sec-15\Notification Page 7

E:\Irshad Sec-15\Notification Page 8

लिए लिए जश्न का महीना था। नियमों को ताक पर रखकर स्थानांतरण किया गया पत्रांक संख्या–927(4), 928(4), 929(4), 930(4), 931(4), 932(4), 933(4) दिनांक–26/06/2023 और पत्रांक संख्या–934(4), 936(4), 337(4) दिनांक–27/06/2023 द्वारा एक्स–रे टेक्नीशियन, चतुर्थवर्गीय कर्मी, लिपिक, शल्य कक्ष सहायक, प्रयोगशाला प्रोविधिकी, फार्मासिस्ट , अन्य कर्मियों का स्थानांतरण किया गया इसमें पैसों का बंदरबांट खुद में कर लिया गया इसका मतलब अधिकारी प्रमुख और मंत्री तक इसका कुछ भी नहीं पहुंचा ,साथ ही भ्रष्टाचार का तो भरमार ही था इसलिए उपमुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति में अपर मुख्य सचिव के आदेश पर डॉ राकेश चंद्र सहाय वर्मा ,निदेशक

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक 28-06-2023

संo संo–15/औ0–14–01/2022 707 (15) /स्वा0, औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि नियंत्रक प्रशासन में कार्यरत निम्नांकित औषधि निरीक्षकों को उनके नाम के साथ अंकित स्तभ–5 में उल्लेखित स्थान/स्थानों पर कार्य करने हेतु स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	औषधि निरीक्षक का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन स्थल	नव पदस्थापन स्थल	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5	6
1	श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा	गया	दरभंगा–1	पटना–1	–
2	मो0 क्यूमुद्दीन अंसारी	रोहतास	बक्सर–2	पटना–4	–
3	श्री पंकज सुमन	वैशाली	सुपौल–2	पटना–5	–
4	श्री राजेश कुमार सिन्हा	राँची	अररिया	पटना–9	–
5	श्री अशोक कुमार यादव	सिवान	गया–1 एवं गया–5	पटना–10	–
6	श्री विमल कुमार सिंह	भोजपुर	मधुबनी–5	पटना–12	–
7	श्री रविन्द मोहन	पटना	पूर्वी चम्पारण–4	सुपौल–2	सुपौल–3
8	श्री सुरेन्द्र राम	वैशाली	पटना–13	सुपौल–4	सुपौल–5
9	श्री अजय कुमार रोहतास	रोहतास	पटना–1	बक्सर–1	बक्सर–3
10	श्री मनोज कुमार दास	औरंगाबाद	पटना–4	बक्सर–2	–
11	श्री अमोद कुमार प्रसाद	पटना	बक्सर–1	अररिया (सम्पूर्ण जिला)	–
12	श्रीमती गीतु बाला	पटना	कैमूर–2	दरभंगा–5	–
13	मो0 रईस आलम	पo चम्पारण	दरभंगा–5	पूर्वी चम्पारण–6	–
14	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	गया	जमुई–1	जहानाबाद (सम्पूर्ण जिला)	
15	श्री धनजय कुमार	पटना	जहानाबाद–2	जमुई (सम्पूर्ण जिला)	
16	श्री दीपक कुमार राम	सहरसा	खगड़िया–2	लखीसराय (सम्पूर्ण जिला)	
17	श्री नरेश सिंह	पटना	लखीसराय–1	खगड़िया–2	खगड़िया–3
18	श्री सुनिल कुमार	नालंदा	पटना–10	गया–1	गया–5
19	श्री अशोक कुमार	रोहतास	पटना–12	सीतामढ़ी–1	सीतामढ़ी–4
20	श्री शैलेन्द्र नारायण	बक्सर	सिवान–2	अररिया (सम्पूर्ण जिला)	
21	श्रीमती सीमा कुमारी	भागलपुर	पूर्णिया–4	वैशाली–4	–
22	श्रीमति सुनिता प्रसाद	मुंगेर	पo चम्पारण–3	दरभंगा–1	–
23	श्रीमति अनिता कुमारी	नालंदा	गोपालगंज–3	पटना मुख्यालय	–
24	श्री प्रमोद कुमार	नालंदा	खगड़िया–1	पटना मुख्यालय	–

2– उपर्युक्त सभी औषधि निरीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने नव–पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3– एतद् सम्बंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित/अवक्रमित समझे जायेंगे।

4– क्रम संख्या–12, 22, 23 एवं 24 पर अंकित औषधि निरीक्षकों का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः उक्त औषधि निरीक्षकों को स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

5– उपर्युक्त सभी औषधि निरीक्षकों के वेतनादि का भुगतान उनके नव–पदस्थापित स्थान से देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक –15/औ0–14–01/2022 707 (15) /स्वा0, पटना, दिनांक 28-06-2023

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0द0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

E:\Irshad Sec-15\Notification Page 1

E:\Irshad Sec-15\Notification Page 2

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी सिविल सर्जन/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला/सभी सहायक औषधि नियंत्रक/सभी औषधि निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी सम्बंधित औषधि निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अधिसूचित पदाधिकारी के नाम अगर उनके पूर्व पदस्थापन में मामूली त्रुटि होने पर भी अधिसूचित पदाधिकारी स्थानान्तरित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे एवं त्रुटि में सुधार हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा जावेगा।

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

707 (15)
28-06-2023

विशेष कार्य पदाधिकारी।

प्रमुख ,रोग नियंत्रक, लोक स्वास्थ्य ,पारा मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना द्वारा आदेश संख्या -938(4) दिनांक-28/ 28 27 को सारे स्थानांतरण को रद्द कर दिया गया। इस तबादले का राजनीतिकरण बहुत ही तेजी से हुआ और राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत हुई। भाजपा और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा इस मामले को जोर-शोर से उठाया गया लेकिन भाजपा वालों को एक बार पूर्व मंत्री महोदय मंगल पांडे से भी इस पर सवाल जवाब कर लेना चाहिए राजनीतिक सुचिता और विरोधी दल की परंपरा के अनुसार पूर्व मंत्री मंगल पांडे जी को को भी इस स्थानांतरण पर ध्यान देना चाहिए लेकिन एक कहावत है "जिसके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते हैं" इसलिए पूर्व मंत्री ने इस हस्तांतरण घोटाले पर अपनी जुबान को बंद रखना ही उचित समझा और एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। ईडी का छापा अगर बिहार में किसी के ऊपर पढ़ना चाहिए तो पहला नाम होगा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का लेकिन सत्ता जिसके पास रहती है, वह एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती है।

बिहार के लगभग 232 डॉक्टरों का तबादला ज्ञापन संख्या-1166 (2), दिनांक-30/06/2023 के द्वारा और असामान्य तरीकों से किया गया। इन मामलों में भी बड़े पैमाने पर पैसों का खेल खेला गया। ऐसे कई डॉक्टर है जिनका स्थानांतरण का आवेदन सचिवालय की धूल फांक रहा है और जिस डॉक्टर का पदस्थापन का 2 वर्ष भी नहीं बीते थे, उन डॉक्टरों का भी स्थानांतरण पैसों के बल पर हो गया कई डॉक्टर जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, अपंग हैं। उनका आवेदन कई सालों से सचिवालय की धूल फांक

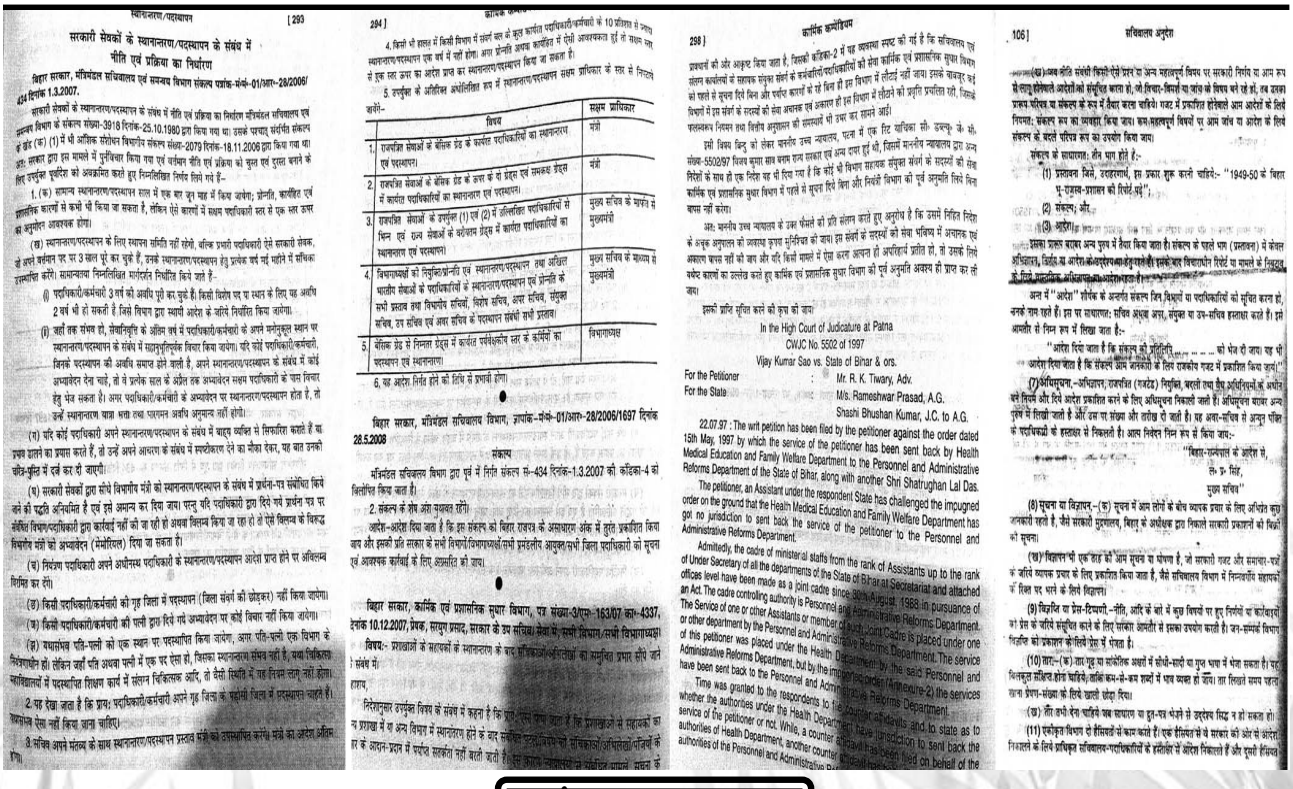

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–1/स्था०–13/2014 3745(5) **पटना, दिनांक** 30/6/23

1. श्री सोहैल अख्तर, प्रभारी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के अधीन अगले आदेश तक के लिए अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या–1/स्था०–13/2014 3746(5) **पटना, दिनांक** 30/6/23

2. श्री अमरनाथ पाठक, प्रभारी मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के अधीन अगले आदेश तक के लिए अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या–1/स्था०–13/2014 3747(5) **पटना, दिनांक** 30/6/23

3. श्री नीरज सक्सेना, प्रभारी मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के अधीन अगले आदेश तक के लिए अभियंता प्रमुख के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु सेवा तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।

अधिसूचना संख्या–1/स्था०–13/2014 3748(5) **पटना, दिनांक** 30/6/23

4. श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (शिक्षा विभाग) को अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के अधीन अगले आदेश तक के लिए मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (शिक्षा विभाग) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या–1/स्था०–13/2014 3749(5) **पटना, दिनांक** 30/6/23

5. श्री चन्द्र मोहन कुमार मिश्रा, प्रभारी अधीक्षण अभियंता, (पथ संधारण)–2, मुख्य अभियंता (पथ संधारण) कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना को अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के अधीन अगले आदेश तक के लिए मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

रहा है। इस तबादलों में एमवाई समीकरण भी चला, लेकिन जिससे पैसों की खनक बना रहे। उदाहरण के लिए डॉक्टर मोहम्मद खालिद हसन, सहायक चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौतन, पश्चिम चंपारण जो दोनों पैर से दिव्यांग हैं तथा उन्होंने कई बार माननीय मंत्री महोदय को भी आवेदन दिया है लेकिन उसका स्थानांतरण पैसों की खनक में कमी के कारण नहीं हो पाया और उनका आवेदन आज भी सचिवालय की फाइलों में धूल फांक रहा है। इस स्थानांतरण से साबित होता है कि कोई समीकरण वोट के वक्त/चुनाव के वक्त ही काम आता है, पैसों की खनक के आगे सारे समीकरण फेल हो जाते हैं। जून महीने का स्थानांतरण जून के अंतिम सप्ताह में होता है। इसका सबसे बड़ा कारण पूरी तरह से पैसों का मोल-भाव जब हो जाता है, पैसों की वसूली जब पूरी हो जाती है या कोई अन्य विकल्प पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तब स्थानांतरण की अधिसूचना आदेश निकाला जाता है।

जून महीने के स्थानांतरण में चाहे सरकार किसी की भी रहे, सिर्फ पैसा ही पैसा बोलता है और सिर्फ पैसा बोलता है और हर जून के बाद मंत्री और विभागीय अधिकारी प्रमुख के बीच ठन ही जाता है। कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जून में हुए स्थानांतरण को किसी न किसी विभाग के स्थानांतरण को रद्द भी किया जाता है, जैसे पिछले साल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का स्थानांतरण तो इस बार स्वास्थ्य विभाग का स्थानांतरण को निरस्त किया गया/रद्द कर दिया गया। हर बार की तरह नीतीश कुमार का सुशासन जून महीने में गहरी नींद में सोता है और नींद से जगाने के बाद भी नहीं लगता है। यह प्रमाण आपको हर महीने के जून के स्थानांतरण में देखने को मिल जाएगा। क्या नीतीश कुमार का सुशासन काल, समय, स्थान, जाती देखकर होता है? इसी प्रश्न के सहारे हम आपको स्थानांतरण उद्योग की समीक्षा करने के लिए छोड़ जाते हैं।●

संजय सिंह

अविनाश पांडे

राज्य स्वास्थ्य समिति का बॉस कौन संजय सिंह या अविनाश पांडे?

● **त्रिलोकी नाथ प्रसाद**

केंद्र के स्वास्थ्य बजट का रखवाला राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है, चाहे आउटसोर्सिंग घोटाला हो या हो एंबुलेंस संचालन के निविदा का भ्रष्टाचार यहां सारे निर्णय में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। सबसे बड़ी बात आजकल राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यपालक निदेशक संजय सिंह चला रहे हैं या राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अविनाश पांडे यह पता ही नहीं चल रहा है। फाइलों या पत्रों पर तो कार्यपालक निदेशक महोदय का आदेश होता है, लेकिन निर्णय होता है राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अविनाश पांडे का। राज्य स्वास्थ्य समिति के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अविनाश पांडे कहते हैं कि मेरे बिना अनुमति के राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्ता भी नहीं हिलता।

खगड़िया सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक शशिकांत सिंह ने अविनाश पांडे को निजी कार्य करने से मना कर दिया तो उसका तबादला भोजपुर कर दिया गया और धमकी भी दी गई कि ज्यादा करोगे तो नौकरी से भी हाथ धो सकते हो। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ह्यूमन रिसोर्स मैनुएल्स रूल एंड रेगुलेशन 2021 के प्रावधान 17(a) के अनुसार DPM (District Program Manager-जिला

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

आदेश सं०: SHSB/GA/HR/4476/2020/1337... पटना, दिनांक : 23/06/2022

-: आदेश :-

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के HR Policy की Chapter-2 की कंडिका-17(a) एवं शासी निकाय की 28वी बैठक के प्रस्ताव संख्या-28/12 में लिए गए निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी को जनहित एवं कार्यहित में प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सामने उल्लेखित स्तम्भ-4 में अंकित जिला में स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति	नवपदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री सव्या साची कुमार पण्डित	अररिया	खगड़िया
2.	श्री अंजनी नन्दन शरण मिश्रा	बाँका	भागलपुर
3.	श्री राजन सिन्हा	बेगूसराय	नालन्दा
4.	श्री धनन्जय कुमार	भागलपुर	भोजपुर
5.	श्री श्रीकान्त शरण	भोजपुर	दरभंगा
6.	श्री ब्रजेश कुमार	दरभंगा	सारण
7.	श्री मुकेश कुमार	जमुई	बाँका
8.	श्री अरविन्द कुमार	जहानाबाद	नवादा
9.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	खगड़िया	किशनगंज
10.	श्री शशि भूषण प्रसाद	किशनगंज	सुपौल
11.	श्री आलोक कुमार	मधेपुरा	समस्तीपुर
12.	श्रीमती रचना कुमारी	मुंगेर	बेगूसराय
13.	श्री अमीत कुमार	नालन्दा	रोहतास
14.	श्री शशिकान्त प्रकाश	नवादा	मुंगेर
15.	श्री शोएब रजा	पश्चिम चम्पारण	शिवहर
16.	श्री अमानुल्लाह	पटना	पश्चिम चम्पारण
17.	श्री विनय कुमार सिंह	पूर्वी चम्पारण	पटना
18.	श्री दीपक कुमार विभाकर	पूर्णियाँ	सहरसा
19.	श्री रितुराज	रोहतास	वैशाली
20.	श्रीमती कंचन कुमारी	सहरसा	मधेपुरा
21.	श्री आलोक कुमार	समस्तीपुर	पूर्णियाँ
22.	श्री भानू शर्मा	सारण	पूर्वी चम्पारण
23.	श्री रवि शेखर	शेखपुरा	सिवान
24.	श्री कुमार विरेश वर्मा	शिवहर	जमुई

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

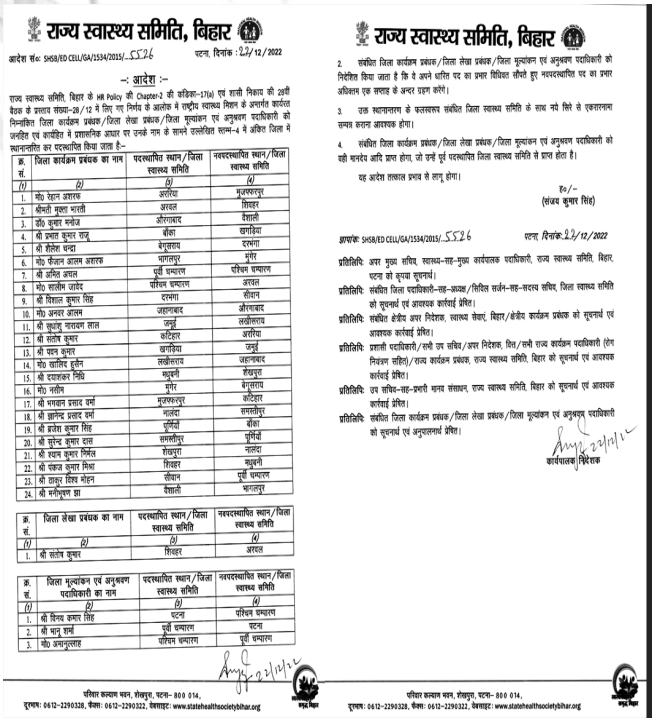

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

आदेश सं०: SHSB/ED CELL/GA/1534/2015/...5526 पटना, दिनांक : 22/12/2022

-: आदेश :-

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के HR Policy की Chapter-2 की कंडिका-17(a) एवं शासी निकाय की 28वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या-28/12 में लिए गए निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक/जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी को जनहित एवं कार्यहित में प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सामने उल्लेखित स्तम्भ-4 में अंकित जिला में स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक का नाम	पदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति	नवपदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मो0 रेहान अशरफ	अररिया	मुजफ्फरपुर
2.	श्रीमती मुक्ता भारती	अरवल	शिवहर
3.	डॉ0 कुमार मनोज	औरंगाबाद	वैशाली
4.	श्री प्रभात कुमार राजू	बाँका	खगड़िया
5.	श्री शैलेश चन्द्रा	बेगुसराय	दरभंगा
6.	मो0 फैजान आलम अशरफ	भागलपुर	मुंगेर
7.	श्री अमित अचल	पूर्वी चम्पारण	पश्चिम चम्पारण
8.	मो0 सालीम जावेद	पश्चिम चम्पारण	अरवल
9.	श्री विशाल कुमार सिंह	दरभंगा	सीवान
10.	मो0 अनवर आलम	जहानाबाद	औरंगाबाद
11.	श्री सुधांशु नारायण लाल	जमुई	लखीसराय
12.	श्री संतोष कुमार	कटिहार	अररिया
13.	श्री पवन कुमार	खगड़िया	जमुई
14.	मो0 खालिद हुसैन	लखीसराय	जहानाबाद
15.	श्री दयाशंकर निधि	मधुबनी	शेखपुरा
16.	मो0 नसीम	मुंगेर	बेगुसराय
17.	श्री भगवान प्रसाद वर्मा	मुजफ्फरपुर	कटिहार
18.	श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद वर्मा	नालंदा	समस्तीपुर
19.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	पूर्णियाँ	बाँका
20.	श्री सुरेन्द्र कुमार दास	समस्तीपुर	पूर्णियाँ
21.	श्री श्याम कुमार निर्मल	शेखपुरा	नालंदा
22.	श्री पंकज कुमार मिश्रा	शिवहर	मधुबनी
23.	श्री ठाकुर विश्व मोहन	सीवान	पूर्वी चम्पारण
24.	श्री मनीभूषण झा	वैशाली	भागलपुर

क्र. सं.	जिला लेखा प्रबंधक का नाम	पदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति	नवपदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री संतोष कुमार	शिवहर	अरवल

क्र. सं.	जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी का नाम	पदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति	नवपदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विनय कमार सिंह	पटना	पश्चिम चम्पारण
2.	श्री भानू शर्मा	पूर्वी चम्पारण	पटना
3.	मो0 अमानुल्लाह	पश्चिम चम्पारण	पूर्वी चम्पारण

22/12/22

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

2. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक/जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने धारित पद का प्रभार विधिवत सौंपते हुए नवपदस्थापित पद का प्रभार अधिक्तम एक सप्ताह के अन्दर ग्रहण करेंगे।

3. उक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के साथ नये सिरे से एकरारनामा सम्पन्न कराना आवश्यक होगा।

4. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक/जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी को वही मानदेय आदि प्राप्त होगा, जो उन्हें पूर्व पदस्थापित जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त होता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक: SHSB/ED CELL/GA/1534/2015/...5526 पटना, दिनांक: 22/12/2022

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार/क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक, वित्त/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियंत्रण सहित)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः उप सचिव-सह-प्रभारी मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक/जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

22/12/22
कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

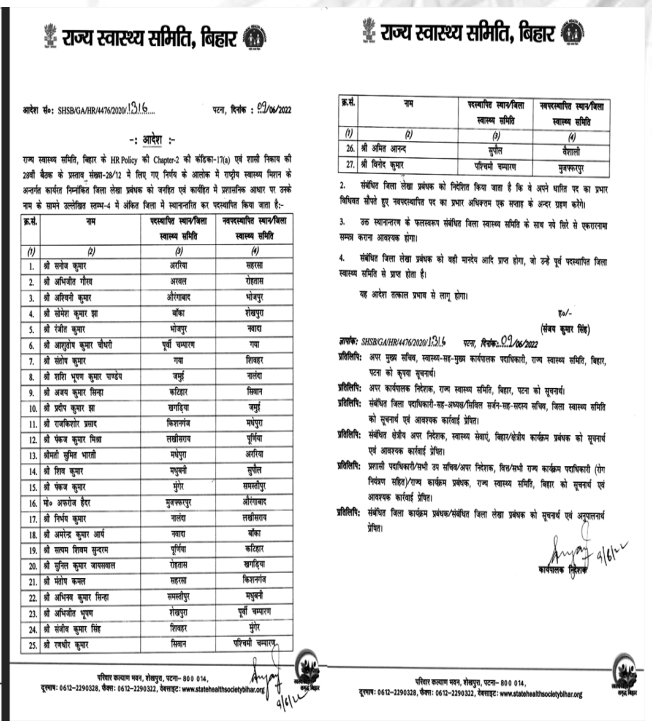

आदेश सं०: SHSB/GA/HR/4476/2020/1316..... पटना, दिनांक : 09/06/2022

-: आदेश :-

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के HR Policy की Chapter-2 की कंडिका-17(a) एवं शासी निकाय की 28वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या-28/12 मे लिए गए निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित जिला लेखा प्रबंधक को जनहित एवं कार्यहित मे प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सामने उल्लेखित स्तम्भ-4 में अंकित जिला मे स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति	नवपदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री सनोज कुमार	अररिया	सहरसा
2.	श्री अभिजीत गौरव	अरवल	रोहतास
3.	श्री अश्विनी कुमार	औरंगाबाद	भोजपुर
4.	श्री सोमेश कुमार झा	बाँका	शेखपुरा
5.	श्री रंजीत कुमार	भोजपुर	नवादा
6.	श्री आशुतोष कुमार चौधरी	पूर्वी चम्पारण	गया
7.	श्री संतोष कुमार	गया	शिवहर
8.	श्री शशि भूषण कुमार पाण्डेय	जमुई	नालंदा
9.	श्री अजय कुमार सिन्हा	कटिहार	सिवान
10.	श्री प्रदीप कुमार झा	खगड़िया	जमुई
11.	श्री राजकिशोर प्रसाद	किशनगंज	मधेपुरा
12.	श्री पंकज कुमार मिश्रा	लखीसराय	पूर्णिया
13.	श्रीमती सुमित भारती	मधेपुरा	अररिया
14.	श्री शिव कुमार	मधुबनी	सुपौल
15.	श्री पंकज कुमार	मुंगेर	समस्तीपुर
16.	मो० अफरोज हैदर	मुजफ्फरपुर	औरंगाबाद
17.	श्री निर्भय कुमार	नालंदा	लखीसराय
18.	श्री अमरेन्द्र कुमार आर्य	नवादा	बाँका
19.	श्री सत्यम शिवम सुन्दरम	पूर्णिया	कटिहार
20.	श्री सुनिल कुमार जायसवाल	रोहतास	खगड़िया
21.	श्री संतोष कमल	सहरसा	किशनगंज
22.	श्री अभिनव कुमार सिन्हा	समस्तीपुर	मधुबनी
23.	श्री अभिजीत भूषण	शेखपुरा	पूर्वी चम्पारण
24.	श्री संजीव कुमार सिंह	शिवहर	मुंगेर
25.	श्री रणधीर कुमार	सिवान	पश्चिमी चम्पारण

9/6/22

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

क्र.सं.	नाम	पदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति	नवपदस्थापित स्थान/जिला स्वास्थ्य समिति
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	श्री अमित आनन्द	सुपौल	वैशाली
27.	श्री विनोद कुमार	पश्चिमी चम्पारण	मुजफ्फरपुर

2. संबंधित जिला लेखा प्रबंधक को निदेशित किया जाता है कि वे अपने धारित पद का प्रभार विधिवत सौपते हुए नवपदस्थापित पद का प्रभार अधिक्तम एक सप्ताह के अन्दर ग्रहण करेंगे।

3. उक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के साथ नये सिरे से एकरारनामा सम्पन्न कराना आवश्यक होगा।

4. संबंधित जिला लेखा प्रबंधक को वही मानदेय आदि प्राप्त होगा, जो उन्हें पूर्व पदस्थापित जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त होता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/4476/2020/1316 पटना, दिनांक: 09/06/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार/क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक, वित्त/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियंत्रण सहित)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक/संबंधित जिला लेखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

9/6/22
कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency

STATE HEALTH SOCIETY BIHAR

District Health Society

HUMAN RESOURCE MANUAL

RULES AND REGULATIONS, 2021

STATE HEALTH SOCIETY BIHAR 16

Unless for special reasons which must be recorded by the Competent Authority, the charge of an office must be handed over at the headquarters, both the relieving and relieved employees being present.

16. HOURS OF WORK AND ATTENDANCE

Every employee shall be required to work for forty-eight hours a week. The time of arrival and departure, hours of work, weekly holidays may not be uniform in SHSB/HO/DHS, RPMU/DPMU/BPMU/District Hospitals/Block CHC/PHC. Employees shall therefore, strictly adhere to instructions issued from time to time by their respective offices with regard to hours of work, arrival/departure time, weekly holiday etc.

The employees attending office shall be required to register their time of arrival and departure in biometric system. In units of SHSB/DHS where biometric system for recording attendance has not been installed, the employees will register both entry and exit time in attendance register kept in the custody of unit head.

17. TRANSFER POLICY

The normal tenure of posting of an employee working in the office of SHSB/DHS or any of its unit shall be minimum three years. In the event any employee is transferred from his place of posting pre-maturely without completing the normal tenure of three years, such transfers shall require specific sanction of the Executive Director, SHSB.

During the first year of employment, request for change of place of posting/transfers shall not be considered. Transfer of the employee shall be considered only under the following conditions: -

a) Transfer of employees in respect of five DPMU positions - DPM/DAM/DPC/DCM/DM&EO from one district to another on consent/administrative ground.[6];

b) Transfers for posting at the same or nearest station/place where spouse is posted subject to the condition that the spouse is employed in State undertaking or State Government of Bihar[7];&

c) The services of employees of State Health Society Bihar are however transferable to any place within Bihar[8].

Employee seeking transfer on spouse ground shall make a written request through his reporting officer specifying the reasons for seeking such transfer with supporting documentary evidence with respect to place of posting of his spouse. In case of transfer on consent as at 'a' above, request letter from the employee detailing the justification for seeking such transfer and consent letter

[6] 28th/12 Meeting of the Governing Body
[7] 29th/19 Meeting of the Governing Body
[8] Bihar Financial and Service Rules 2005 Part-II Para 2.2 amended to delete stipulation of transfer outside Bihar

कार्यक्रम प्रबंधक), DAM (District Accounts Manager-जिला लेखा प्रबंधक), DM&EO (District Monitoring & Evaluation Officer-जिला मुल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी), DCM (District Community Mobilizer-जिला सामुदायिक उत्प्रेरक) और DPC (Distict Planning Coordinator-जिला योजना समन्वयक) का तबादला प्रशासनिक दृष्टिकोण से करना है, लेकिन नियम तो अविनाश पांडे के जेब में रहता है। अविनाश पांडे और उनके माध्यम से आला अधिकारियों की जेब भरने वाले DPC और डीसीएम के इतिहास में तबादला एक बार भी नहीं होता है। अविनाश पांडे का कहना है की हम जिसको चाहेंगे, तबादला उसी का होगा। पहले जितने भी कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति में आए, उनके कार्यकाल में राज्य स्वास्थ्य समिति का निर्णय कार्यपालक निदेशक लेते थे, आज निर्णय अविनाश पांडे का होता है और हस्ताक्षर संजय सिंह का होता है, जिस कारण राज्य स्वास्थ्य समिति और जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी में आक्रोश व्याप्त है और यह आक्रोश कभी भी ज्वालामुखी का रूप ले सकती है।

कुछ लोगों का कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति का भ्रष्टाचार का पैसा मुंडेश्वरी कंस्ट्रक्शन में जाता है। यह नीतीश कुमार का खास विभाग विशेष निगरानी इकाई या आर्थिक अपराध शाखा ही बताएगा कि पैसा मुंडेश्वरी कंस्ट्रक्शन में जा रहा है या कहीं और? ●